

छत्तीसगढ़ विधान सभा

की अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



पंचम विधान सभा

दशम् सत्र

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 05, शक सम्वत् 1942)

[अंक 03]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 5, शक् संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री विनय कुमार भगत।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है सुन लीजिए। आज हम सदन में उपस्थित ज़रूर हैं, हम लोग भी निर्वाचित होकर आए हैं इसलिए हम बाहर नहीं रह सकते। लेकिन कल जो घटना सदन में घटी, पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, उनसे पूछा भी नहीं गया। नेता प्रतिपक्ष के बारे में अमूमन यह परम्परा है कि सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष किसी भी विषय में कभी भी बोल सकते हैं। हम लोग उनका नाम लिखकर नहीं देते।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तरी पर चर्चा के बाद, इस पर चर्चा हो जाएगी। सारे सदस्यों ने बड़ी मेहनत से प्रश्न बनाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखकर नहीं देते। अब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया गया और न ही उनसे आग्रह किया गया। चलती भाषा में उस पर व्यवस्था दे दी गई। आसंदी की व्यवस्था पर हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन ऐसी घटना छत्तीसगढ़ के सदन में पहली बार घटी और उस घटना से हम अपमानित महसूस कर रहे हैं, ईमानदारी की बात तो यह है। इसलिए जनादेश का सम्मान करते हुए हम यहां उपस्थित रहेंगे लेकिन हम लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, लोकतंत्र में विपक्ष का हमेशा सम्मान होता है। जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष के नहीं बोलने से आहत होने की बात है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो धरम भर्ड्या का वैसे भी सम्मान है। वे इसी आसंदी में अध्यक्ष के रूप में भी 5 साल काम कर चुके हैं। इसलिए उनका सम्मान और भी बढ़ जाता है। कल की घटना के बारे में मैं समझता हूं कि कुछ कम्यूनिकेशन में, आदान-प्रदान में कहीं कमी रह गई होगी। आपने कहा कि आप आसंदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे इसलिए मैं भी नहीं कहना चाहता। लेकिन कहीं से त्रुटि हो गई है। किसी की मंशा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष जी का आप जितना सम्मान करते हैं हम लोग हृदय से उससे भी ज्यादा सम्मान करते हैं। यह बहुत पवित्र मंच है। छत्तीसगढ़ की जनता और हम सबके विचार यहां

प्रतिबिंबित होते हैं। हम छत्तीसगढ़ के विकास को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यदि आप आलोचना करते हैं तो हम उसे रचनात्मक मानते हैं। हम उसको सुझाव मानते हैं। यहां आप और हम बहस करते हैं। लोकतंत्र की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। यहां आलोचना को स्वीकार किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि एकदम से आपने कहा कि आप प्रश्न नहीं करेंगे, आप चुप बैठे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा और दूसरी बात यह कोई हमेशा के लिए उदाहरण नहीं बनने वाला है। एक चूक हो गई, आसंदी से हुई, हमसे हुई, आपसे हुई, किससे हुई यह अब चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन यह कोई पूर्वदाहरण नहीं होगा। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, विपक्ष से आग्रह करूंगा आप भाग लीजिए और बहुत अच्छे सुझाव दीजिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के वित्त विभाग के अनुप्रक पर चर्चा होनी है। हम तो आपको आमंत्रित करेंगे, अच्छे सुझाव आने चाहिए। आप और हम दोनों ही छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यह आश्वस्त करते हैं कि यह परम्परा नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से मैं आपकी इस भावना से सहमत हूं कि हमारे सदन की उच्च परम्पराएं हैं, हम उसे बनाए रखेंगे और आप आश्वस्त करते हैं कि यह अपरिहार्य नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष का नाम है या नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का हो या सदन के नेता का हो। इस सदन की किसी भी कार्यवाही को हमें हाईट देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम भाग ले सकते हैं, हम भाग लेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष जी का तो यूं भी सम्मान है। जब वे खड़े होते हैं तब वे अपनी बात कहते हैं। आपने कहा कि यह परम्परा नहीं बननी चाहिए। मैंने भी कहा यह पूर्वदाहरण नहीं होगा। हम लोग सम्मान करते हैं, आप लोग भाग लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है उपाध्यक्ष जी।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक यू।

प्रश्न संख्या : 01 xx xx

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

धमतरी विधान सभा के अंतर्गत संचालित आयुर्वेदिक अस्पताल

2. (*क्र. 313) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित किये जा रहे हैं? कितने अस्पताल का स्वयं के भवन में संचालन हो रहा है? कितने किराये के भवन में संचालित किये जा

रहे हैं? कितने भवन जर्जर अवस्था में हैं? (ख) संचालित आयुर्वेदिक अस्पताल में कितने अधिकारी कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की भर्ती हेतु विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में 13 आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित है. स्वयं के भवन 12, किराए का भवन 01 एवं जर्जर भवन निरंक है. (ख) संचालित आयुर्वेदिक अस्पताल में अधिकारियों के 14 एवं कर्मचारियों के 54 पद स्वीकृत हैं. अधिकारियों के 9 एवं कर्मचारियों के 16 पद रिक्त हैं. पद पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें धमतरी विधान सभा में 13 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं और जिसमें अधिकारियों की संख्या 14 है और जिनमें से रिक्त 9 हैं और कर्मचारियों की संख्या 54 है, जिसमें से 16 पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूं कि इन पदों की भर्ती कब की जायेगी? क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी, उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाधीन मतलब क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है और समय-सीमा बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक यह भर्ती हो जायेगी?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, समय-सीमा संभव नहीं होता। यह कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को जाता है और वित्त विभाग की अनुमति के बाद मैं जैसी वित्तीय स्थिति रहती है, उस हिसाब से पद जैसे ही स्वीकृत होते हैं, वे भर लिये जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धमतरी जिले का प्रश्न है। स्वास्थ्य विभाग के किसी भी भर्ती या रिक्त पदों के बारे में हम बात करते हैं तो दो साल से माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब, राजा साहब का एक ही उत्तर आता है कि प्रक्रियाधीन है। दुनियाभर की बात छोड़ दें कि लेकिन आज प्रश्न में जितने पद रिक्त हैं, वे कहां पर किस तरह प्रक्रियाधीन हैं, यह बता दें। वित्त में लंबित है? पी.एस.सी. में लंबित है या विभाग अभी कार्यवाही कर रहा है। प्रक्रियाधीन का मतलब क्या होता है? शासन में हम लोग भी रहे हैं। कौन सी प्रक्रिया कहां पर लंबित है? किसके कारण लंबित है? उसमें क्या समयावधि तय की गई है? कुछ तो बतायें। प्रक्रियाधीन तो हम इन विषयों में दो साल से सुन रहे हैं। तो इन्हीं पदों में धमतरी के पद में प्रक्रियाधीन है तो वह कहां पर किस स्तर के अधिकारी, विभागाध्यक्ष, शासन स्तर, वित्त विभाग, पी.एस.सी. कहां पर लंबित है? कहां पर प्रक्रियाधीन है? आप यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 19 पदों के लिए लोक सेवा आयोग में दिनांक 07/09/2019 को प्रेषित किया गया। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, दिनांक 10/10/2020 को 20 पदों हेतु लोक सेवा आयोग को यह प्रेषित किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा

अधिकारी 132 पद हेतु दिनांक 20/10/2020 को लोक सेवा आयोग को यह प्रेषित किया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष विंग थेरेपी सेंटर के लिए 5 पदों के लिए दिनांक 04/01/2021 को यह लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। तृतीय चतुर्थ वर्ग की भर्ती के लिए अनुमति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। संचालनालय पत्र क्रमांक 03/02/2017, 21/03/2017, 23/05/2018, 30/05/2019, 28/08/2020. तृतीय श्रेणी के 507 पद विभिन्न संवर्ग के। चतुर्थ श्रेणी 90 पद विभिन्न संवर्ग के। कुल 597 पद और मुझे उम्मीद है कि इसकी जल्द ही अनुमति मिलेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो यहां जो 16 पद कर्मचारियों के रिक्त हैं, अधिकारियों का छोड़ दीजिए। कर्मचारी तृतीय, चतुर्थ हैं या किस वर्ग के हैं? द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग किसके हैं? आप जो 16 पद रिक्त बता रहे हैं वह।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैंने 597 पद बताये थे। लैब टेक्नीशियन 3, फार्मासिस्ट आयुर्वेद 320, फार्मासिस्ट होम्योपैथी 99, फार्मासिस्ट यूनानी 34, स्टॉफ नर्स 19, म्यूजियम कीपर-कम-आर्टिस्ट 03, प्रयोगशाला सहायक 06, रेडियोग्राफर 01, पंचकर्म सहायक पुरुष एवं महिला 20, वाहन चालक संविदा 02, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई) 05, लैब अटेंडेंट 6, स्वीपर स्वच्छक 21 पद, वार्ड बॉय 10 पद, आया मिड वाइफ 03 पद, फिमेल वार्ड अटेंडेंट 01 पद, मसाजर 44 पद, कुल 597 पद।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरत्न शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आपने सारे पद रिक्त होने की जानकारी दे दी। आपके लिए 3 महीने में कोई पद रिक्त होने वाला है क्या? इसकी जानकारी सदन को देने का कष्ट कीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- पदों की तो निरंतरता रहती है।

श्री शिवरत्न शर्मा :- नहीं, आपके लिए क्या कोई पद रिक्त होने वाला है?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय धरमलाल कौशिक जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो पूरा नहीं हुआ है..।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ गया है। माननीय धरमलाल कौशिक जी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर परिजनों/पुलिस विभाग को उपलब्ध कराने के नियम

3. (*क्र. 465) श्री धरमलाल कौशिक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर परिजनों/पुलिस विभाग को उपलब्ध कराये जाने के नियम है? (ख) प्रश्न दिनांक तक कितने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित हैं व क्यों? जिलेवार जानकारी देवें? इन रिपोर्टों को कब-तक परिजनों/पुलिस विभाग को उपलब्ध करा दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) पोस्टमार्टम रिपोर्ट 07 दिनों के भीतर विवेचना अधिकारी (पुलिस विभाग) को उपलब्ध कराये जाने के नियम हैं। (ख) कुल 317 रिपोर्ट लंबित हैं। जिलेवार जानकारी ^{†+1} संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित हैं। शब परीक्षण के कुछ पुस्तकों, जर्नल्स एवं वरिष्ठ चिकित्सकों से विचार विमर्श की आवश्यकता एवं कुछ प्रकरणों में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी एवं विभागीय शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों की अधिकता के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित हो जाती हैं। पुलिस विभाग द्वारा फोरेंसिक मेडिसीन विभाग में जमा रिपोर्ट वहां से प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मिलनी चाहिए, उसमें विलंब हो रहा है और हम देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं घट रही हैं। कोई भी अगर क्लेम लगाने के लिए जाता है तो उसके लिए एफ.आई.आर. और पोस्ट मार्टम के रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस प्रदेश में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट समय पर मिलनी चाहिए। मंत्री जी ने बताया है कि 7 दिवस के अंदर पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। लगभग 317 प्रकरण ऐसे हैं, जिसमें रिपोर्ट अभी भी लंबित है, जिनके कारण न तो परिवार वालों को मुआवजा की क्षति मिल पा रही है, न ही वे क्लेम कर कर पा रहे हैं, जिसकी अनिवार्य शर्त भी यह रिपोर्ट है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 317 रिपोर्ट पेंडिंग हैं, वह 7 दिवस के ऊपर और कितने महीने तक उसकी लंबित अवधि है और आप उनको कब तक रिपोर्ट दिलवा देंगे?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने यह प्रश्न किया और इस संवेदनशील विषय पर, जो रिपोर्ट पेंडिंग रह जाता था, उस पर हमारा ध्यान केन्द्रित किया। 7 फरवरी, 2021 को यह प्रश्न आया था, उस समय 317 प्रकरण लंबित थे। यह प्रकरण 8 जिलों में थे, जिनमें बीजापुर में 11, बिलासपुर में 36, दंतेवाड़ा में 2, धमतरी में 8, रायगढ़ में 55 और रायपुर में 189 प्रकरण थे। इस दरम्यान ये भी देखा गया कि बहुत छोटे से को-ऑडिनेशन के चलते कहीं न कहीं कमी थी। ऐसे पुलिस विभाग की ओर से ले जाना था, स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना था, ऐसी ही छोटी कमी थी, जो विलंब का कारण बन रही थी तो आपके प्रश्न से यह बात आगे बढ़ गई। जब आज के दिन हम जवाब दे रहे हैं तो दो जिले के मात्र 18 प्रकरण बच गए हैं। बिलासपुर जिले के 8 और रायपुर जिले के 10 प्रकरण बच गए हैं। रायपुर में यह दिक्कत आ रही है कि पूरे के पूरे 68 स्थानों के प्रकरण एक ही संस्था में जा रहे हैं, वह है मेकाहारा। सारे प्रकरण मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और उसको को-ऑडिनेशन करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। यह प्रयास रहेगा कि हमने एम्स से भी बात की है और उन्होंने सहमति भी दी है कि वे भी पोस्ट मार्टम कर देंगे और आज के दिन में जो लंबित प्रकरण हैं, 7 फरवरी को आपका प्रश्न आया था, उस समय से अब तक प्रदेश के केवल 18 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से 8 प्रकरण बिलासपुर

¹ परिशिष्ट “दो”

जिले के लंबित हैं, वह कोटा के प्रकरण हैं, वहां के जो डॉक्टर ने पोस्ट मार्टम किया था, उनकी मृत्यु हो गई। तब उसमें उसको कैसे सब्मिट किया जाये, यह बात सामने आ रही है। हम लोग उसमें कार्यवाही को आगे ले जा रहे हैं। उन 8 प्रकरणों का भी रिपोर्ट आ जायेगा। प्रश्नकाल के दौरान जितने प्रकरण लंबित थे, वह पूरे हो जाएंगे। भविष्य में भी विभाग ने यह निर्णय किया है कि हर महीने इसकी समीक्षा होगी कि यह प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए क्योंकि अमूमन लंबित रहने के कारण इस प्रकार के रहते हैं कि थोड़ा सा लाना, ले जाना, ऐसे में बहुत सारे प्रकरण लंबित हो जाते हैं। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न हो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बारे में आपने बताया है कि कुल 18 प्रकरण शेष हैं और उसको जन्मदी करा लेंगे। कई बार यह स्थिति आती है कि बॉडी पड़ी रहती है, लेकिन समय पर उसका पोस्ट मार्टम नहीं हो पाता। इसके कारण परिवार वाले बहुत द्रवित और दुखी होते हैं। कई बार पोस्ट मार्टम के लिए फोन करने की आवश्यकता पड़ती है कि जब आप फोन करेंगे, एप्रोच लगाएंगे, तभी उसका पोस्ट मार्टम होता है। आप इसको भी सुनिश्चित करवा लें क्योंकि परिवार वाले वैसे ही परेशानी में रहते हैं। यदि पोस्ट मार्टम को लेकर प्रतीक्षा करनी पड़े तो यह अत्यंत चिन्ताजनक विषय है।

दूसरी बात, इसमें बहुत प्रश्न पूछने की बात नहीं है। आपने बताया कि विशेषज्ञ की कमी के कारण भी वह मामला लंबित हो रहा है। आपने शुरू में ही कहा था कि जितने पद खाली हैं, हम उसको भरवा देंगे और अभी प्रश्न के उत्तर में आपने बता दिया कि जो पद खाली हैं, उसे आप नहीं भरवा पा रहे हैं। आज भी सारे पद खाली पड़े हुए हैं। कृपया इन दोनों विषयों पर आप शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही करें, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टर के कारण रिपोर्ट में देरी हो और दूसरी बात यह है कि पोस्ट मार्टम समय पर हो जाये, वह बॉडी पड़ी न रहे। तीसरी बात, यह विषय मेरा नहीं है, लेकिन आप अस्पताल में जाकर देखेंगे तो बिना डॉक्टर के चिकित्सालय चल रहे हैं, पर्याप्त अवसर हो गया, सवा दो साल का समय मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको सुनिश्चित करें।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनकी देखरेख में करीब 2 हजार डॉक्टरों के पद हमने दो साल में भरे हैं। इसमें बाउंडेड वाले भी हैं और जो नई भर्तियां भी हुई हैं। हमने करीब दो हजार डॉ. भरे हैं। प्रयास यही हो रहा है कि पहले मेडिकल कॉलेजेस फूल हो जायें, जिला अस्पताल फूल हो जायें, सी.एच.सी फूल हो जायें फिर हम पी.एच.सी. तक पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति में काफी अंतर आया है। 1900 डॉक्टरों के पद हैं, लेकिन आपने कहा कि विलंब नहीं होना चाहिए और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ऐसी बातें बार-बार न आयें।

श्री शिवरत्न शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर विवेचना अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने का नियम है। उन्होंने एक बहुत अच्छी

जानकारी दी कि पेंडेंसी बहुत कम रह गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ज्यादातर रिपोर्ट जो लेट होती है उसके पीछे बड़ा कारण होता है कि विसरा जांच के लिये भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट लेट आती है और उसके चलते केस लेट होते हैं। विसरा जांच के लिये भेजते हैं, इसके लिये भी कोई समय सीमा निर्धारित है क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये दूसरी एजेंसी को जाता है तो हमारे हाथ में नहीं रहता। हम लोग फालोअप कर सकते हैं और जो दिक्कतें आती हैं उसको कैसे कम करना है, हम लोगों की जवाबदारी है, हम लोग प्रयास करेंगे।

श्री शिवरत्न शर्मा :- छत्तीसगढ़ के अंदर विसरा जांच की व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है। पहले सागर जाता था, अभी छत्तीसगढ़ में खुली है कि नहीं खुली है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील और मानवीय प्रश्न है। क्या फोरेंसिक साईंस डिपार्टमेंट को इसको मजबूत करने के लिये आपके पास कोई कार्य योजना है, एक ? दूसरा, किसी भी परेशानी जितनी भी ठीक है, कम है, ज्यादा है, स्वास्थ्य विभाग में उपलब्धता कितनी है, इसको छोड़कर, अवधि तय करेंगे कि पुलिस में इतने दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जमा हो जायेगी। नहीं होने से जो साईंड इफेक्ट हैं, पुलिस अपराधी लोग जो खाते हैं, वह अलग विषय है, बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फोरेंसिक साईंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने, की छत्तीसगढ़ में ही जांच हो जाये और नई संसाधन हैं तो एक निश्चित समयावधि में पुलिस तक पहुंच जाये, इसके लिये कोई निर्देश या कोई नियम आप करेंगे क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पिछले शासन काल में, ऐसी कोई निर्धारित समयावधि, निर्धारित पूर्व से नहीं है। लेकिन पिछले शासन काल में शासन ने यह निर्णय लिया था कि हम सात दिन के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे तो वहां से ये सात दिन वाली लाईन चली है और उचित भी है। कैसे इसको समय के अंदर करना है, सात दिन भी बहुत होता है। सात दिन के पहले दिक्कतें आती हैं, कुछ डॉक्टर्स की दिक्कतें होती हैं, कुछ उनकी व्यक्तिगत दिक्कतें होती हैं लेकिन वह प्रक्रिया की बात है, जवाबदारी विभाग का है। हम लोगों का प्रयास रहेगा और सुझाव भी लेंगे। आप लोगों का भी अनुभव है। मुझे संकोच नहीं है, सुझाव भी लेंगे। आप लोग भी बताइयेगा, हम लोग भी कर रहे हैं। इसको आगे करेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक सलाह है। कई दूरस्थ अंचलों में बरसात के समय पोस्टमार्टम के लिये डेंड सौ किलोमीटर, सौ किलोमीटर ऐसा रेज आ जाता है। क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि मोबाइल पोस्टमार्टम की एक यूनिट तैयार करें जो एक जिले में एक हो और इसमें कर सकें ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मोबाइल मर्चुरी वैन के लिये तो हम लोगों ने सोचा नहीं है। कहां-कहां कर पायेंगे, ये भी एक दिक्कत है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- एक जिले में एक हो तो जरूरत के अनुसार कर सकते हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- क्योंकि पूरे प्रदेश में मर्चुरी की स्थिति अभी भी, एक नया सुझाव आया है। इसको भी विचार करेंगे, इसकी प्रैक्टिलायिटी क्या है ? लेकिन दिक्कत ज्यादा आती है, क्योंकि अभी तक पी.एच.सी लेवल पर एम.बी.बी.एस डॉक्टरों की पदस्थापना सब जगह नहीं हो पायी है तो वहां कमियां हैं, जहां पोस्टमार्टम कक्ष की कमी है, उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि दिक्कतें कम से कम हो।

प्रदेश में देशी तथा विदेशी मंदिरों के विक्रय से प्राप्त राशि

4. (*क्र. 639) श्री नारायण चंदेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक प्रदेश में देशी तथा विदेशी मंदिरों के विक्रय से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नावधि में दुकानों को कितनी-कितनी धनराशि जमा करना शेष है, राशि जमा नहीं होने का कारण क्या है? (ग) देशी व विदेशी मंदिरों विक्रय से प्राप्त राशि विभाग द्वारा कहां-कहां जमा करायी जाती है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में देशी मंदिरों के विक्रय से रु. 6279,60,55,590/- (छ: हजार दो सौ उन्यासी करोड़, साठ लाख, पचपन हजार, पांच सौ नब्बे रु.) तथा विदेशी मंदिरों के विक्रय से रु. 5870,51,28,930/- (पांच हजार आठ सौ सत्तर करोड़, इक्यावन लाख, अट्ठाईस हजार, नौ सौ तीस रु.) राशि प्राप्त हुई है। जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर +² संलग्न है। (ख) प्रश्नावधि की बिक्री राशि में से महासमुंद जिले में 5,25,98,650/- (पांच करोड़ पच्चीस लाख अठानबे हजार छ: सौ पचास रुपये) जमा होना शेष है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मंदिरों विक्रय राशि संग्रहण एवं निगम के खाते में जमा करने हेतु यस बैंक प्रबंधन की अनियमितता के फलस्वरूप उक्त राशि निगम के खाते में जमा नहीं हो सकी। राशि जमा नहीं किये जाने पर निगम द्वारा यस बैंक को ब्लैक लिस्टेड किया गया। निगम के उक्त आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करते हुए यस बैंक से रुपये 10.33 करोड़ की बैंक गारंटी निगम के पक्ष में जमा करायी गई है। (ग) देशी व विदेशी मंदिरों विक्रय से प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कापरिशन लिमिटेड रायपुर द्वारा निगम के बैंक खाते में जमा करायी जाती है।

² † परिशिष्ट “तीन”

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में बड़े विस्तार से सब बताया है, महासमुंद जिले में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा पांच करोड़ पच्चीस लाख अठानबे हजार छः सौ पचास रुपये की राशि बैंक में जमा नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसे कितने दुकान हैं, किन-किन जिलों में प्लेसमेंट के कर्मियों द्वारा कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर अभी तक जमा नहीं कराया गया है ? कृपया दुकानवार इसकी जानकारी दे देंगे। प्लेसमेंट मालिकों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कभी कोई सरकारी कर्मचारी पैसा जमा नहीं कराता है, यदि वह एक दिन भी अपने घर में रखता है तो उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। लेकिन महासमुन्द जिले में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा 5-5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कहां-कहां राशि रखी गई है ? कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी है और उसके मालिक कौन हैं और उसके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। यह यस बैंक है। 5 करोड़ 25 लाख रुपये, यस बैंक ने लापरवाही किया है। हमारा वार्षिक आडिट होता है, उसमें यह पकड़ा गया है। हम लोग उसके बाद कार्रवाई कर रहे थे तो वह कोर्ट चला गया, मामला न्यायालय में है। इसलिए कोर्ट के आदेशानुसार 10 करोड़ 35 लाख रुपये का एफ.डी.आर. दिया है और वह रकम वसूल किया जायेगा। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री नारायण चंदेल :- ठोका झन रे भाई। राशि जमा नहीं हुई है।

श्री अमरजीत भगत :- बहुत पाईण्टेड उत्तर है। आप 5 करोड़ रुपये की बात कर रहे हो और वहां 10 करोड़ रुपये जमा हैं और उसमें से काट लिया जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- इतने सालों तक चन्द्राकर जी मंत्री थे, ऐसा कभी पाईण्टेड जवाब नहीं दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, बैठिये।

श्री नारायण चंदेल :- मंत्री जी, आपने उत्तर दिया है। क्या यस बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है ? पूरे प्रदेश में यस बैंक की शाखाओं में कहां-कहां पर राशि जमा है ? आप राष्ट्रीयकृत बैंक में क्यों पैसा जमा नहीं कराते हैं ? जबकि सरकार का स्वयं का ग्रामीण बैंक, कोआपरेटिव बैंक है, आप वहां पर राशि जमा क्यों नहीं करते ? यस बैंक में राशि जमा कराने की क्या बाध्यता है ? क्या कारण है, यह बता दीजिये ?

श्री कवासी लखम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यस बैंक, राज्य सरकार की सूची में है। हमारे सरकार के समय में यस बैंक में खाता नहीं खोला गया है, यह आपके सरकार के समय से खुला है और

यह राज्य सरकार की सूची में है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) हम लोगों ने उसको विलोपित किया है।

श्री नारायण चंदेल :- अच्छा, आप यह बता दीजिये कि 5 करोड़ रुपये के ब्याज का क्या हुआ ? ब्याज की राशि कहां है, आप मुझे यह जानकारी दे दीजिये ? क्या ब्याज की राशि भी प्लेसमेंट एजेंसी के पास है ? मैंने यह पूछा है कि उस प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक कौन है ? सामान्य रूप से प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो गड़बड़ी होती है तो आप उसके कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, आप मालिक के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, प्लेसमेंट एजेंसी निगम कम्पनी है, हम लोगों ने उसका भी 4 करोड़ रुपये का एफ.डी.आर. जमा कराकर रखा है। उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। लेकिन मामला उच्च न्यायालय में है। हम लोगों ने उस मामले में वकील लगाया है, ताकि उसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो। अगर पैसा जमा नहीं होगा, तो दोनों के ऊपर कार्रवाई होगा।

श्री नारायण चंदेल :- मैंने ब्याज के बारे में भी पूछा है। उसकी ब्याज की राशि कहां है ? वह किसके पास है और कितनी राशि है ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जब न्यायालय से केस फायनल होगा, उस समय कितना ब्याज होगा, उस हिसाब से कार्रवाई होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हूं कि पर्याप्त उत्तर आ चुका है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से निर्देशित करें। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा एक-एक प्रश्न का जवाब दे दिया गया है। वे बहुत जानी हैं और बहुत समझदार हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कवासी लखमा जी के प्रश्न में इतना इन्टरेस्ट क्यों है ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय मंत्री जी हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय पूरी तैयारी से आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त उत्तर आ चुका है। चतिये शर्मा जी, एक प्रश्न कर लीजिये।

श्री शिवरत्न शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यस बैंक को पैसा जमा करने की अनुमति कब दी गई ? किसने दी है और किन शर्तों पर दी ? आपने ब्लेक लिस्ट किया है न ? तो शासकीय धन वहां जमा होगा यह अनुमति यश बैंक को कब प्रदान की गई?

श्री कवासी लखमा:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भुत नहीं होता। अगर इनको अलग से जानकारी चाहिए तो दे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- यश बैंक से रिलेटेड मामला है, क्यों उद्भुत नहीं होता यश बैंक से रिलेटेड मामला है, यश बैंक ने अनियमितता की, इस बात को आप बोल रहे हैं तो यश बैंक से संबंधित प्रश्न क्यों उद्भुत नहीं होता? माननीय मंत्री जी घुमाने की बात कर रहे हैं।

श्री बृहस्पति सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, बाकी प्रश्नों पर ध्यान दिया जाए। सदन का अनावश्यक समय बर्बाद न किया जाए।

श्री कवासी लखमा:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2018 में जब आपका शासन था, उस समय जमा किया गया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, यह बता दीजिए ना यश बैंक में पैसा जमा करने की अनुमति कौन सी तिथि को दी है, किस कंडीशन में दी गई, क्या शर्त बताई गई, यह बताइये ना?

श्री कवासी लखमा:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2018 में आपकी सरकार थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- वो भी हमारी सरकार थी, यह भी हमारी सरकार है इस सत्य को स्वीकारो। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के सबके मुख्यमंत्री हैं केवल कांग्रेसियों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आप ऐसा बता दें।

श्री बृहस्पति सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, पर्याप्त हो गया, अब आगे भी प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्नों में बाकी लोगों को भी पूछने का मौका दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यश बैंक में चाहे इस सरकार में खोला हो या उस सरकार में, मैं यश बैंक के फेवर में कोई बात नहीं कर रहा हूं। यश बैंक किसी भी दिन नो बैंक हो जायेगा। आप क्या पूरे प्रदेश में जहां-जहां भी यश बैंक में सरकार के खजाने का पैसा जमा होता है उसे हटाकर नेशनलाईज्ड बैंक में करने की कार्यवाही करेंगे क्या? क्योंकि यह हमारी सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत है। इसे खतरे में मत डलवाईये। वह आई.सी., बी.सी. क्या-क्या बैंक है उसी प्रकार का यह यश बैंक है। आप उसको हटाकर नेशनलाईज्ड बैंक में करेंगे क्या?

श्री कवासी लखमा:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बात तो उद्भुत नहीं होता। यश बैंक में हमने उसको ब्लेकलिस्ट किया है, हाईकोर्ट में मामला है और उसके ऊपर कार्रवाई किया। अभी बोला।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप आज के बाद का पैसा बंद कर दीजिए, जो भी लेना-देना हो करियेगा लेकिन अभी खजाने में जो पैसा आयेगा वह आगे के लिए नेशनलाईज्ड बैंक में पैसा जमा कर दीजिए, इससे पैसा सुरक्षित रहेगा। यह आगे के लिए बात कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति दे दें, एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री बृहस्पति सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, पर्याप्त हो गया। यह बहुत तकलीफ की बात है कि सारे जवाब आने के बाद अनावश्यक समय बर्बाद कर रहे हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, पर्याप्त हो गया है।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग भी नये सदस्य हैं, हम लोगों का भी प्रश्न कभी-कभी लगता है, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं राजनांदगांव जिले में संचालित आयुर्वेदिक अस्पतालों के बारे में माननीय मंत्री जी से जानकारी मांगा था।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जब उसमें 5 करोड़ रुपये प्लेसमेंट एजेंसी के पास हैं, उन्होंने जमा नहीं किया और जमा नहीं करने के कारण यह पहली सरकार है कि जो सरकार, सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए बैठी हुई है, ऐसी सरकार चल रही है और उसके बाद उस प्लेसमेंट एजेंसी का संरक्षण कर रहे हैं। यह प्रश्न पहली बार नहीं आया है। ऐसे पहले भी प्रश्न आये हैं तो गोल-मोल घुमाकर उत्तर देना आखिर उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते? प्लेसमेंट एजेंसी को क्यों बचाना चाहते हैं?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, से चूना लगाने वाली बात को विलोपित किया जाए। ये गलत बात है, ये आरोप ठीक नहीं है कि चूना लगा रहे हैं। (व्यवधान) हम क्या चूना लगा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सदन की समिति से जांच होनी चाहिए।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धुव :- उपाध्यक्ष महोदय, बिना डाक्यूमेंट सरकार पर आरोप मत लगाईये। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह:- नीरव मोटी केस में किसने चूना लगाया?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, मैं खड़ा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये लोग किस बात पर उत्तेजित हो रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइये कि किस बात पर उत्तेजित हो रहे हैं?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब में मेज थपथपाईये। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी धुव :- हमारी बहुमत की सरकार है। इसका गलत मतलब मत लगाईये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूना तो नीरव मोटी, लकित मोटी आपकी केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की मोटी सरकार ने..।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अजय जी पूछ रहे थे कि अमितेश किस बात के लिए उत्तेजित हो रहे हैं? यह मैं कैसे बताऊंगा? आप उनसे पूछिए। (हंसी)

श्री शिवरत्न शर्मा :- नहीं। मैं उनसे पूछ लेता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो व्यस्त हैं। वह तो गेस्ट आर्टिस्ट हैं। वह आज कैसे-कैसे आ गये, वह तो दिल्ली में रहते हैं। वह आप ही के लिए दिल्ली में रहते हैं कि रविन्द्र चौबे जी को हटाया जाए।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं जवाब देता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- रविन्द्र चौबे जी को हटाया जाए, इसलिए वह दिल्ली जाते हैं। आप पूछ लीजिए।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुःखी हूँ। मैं उत्तेजित नहीं हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमितेष जी, आप रविन्द्र चौबे जी को हटवाने के लिए दिल्ली जाते हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेष जी की उत्तेजना का सिफ दो कारण है पहला कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री से.. (व्यवधान) और दूसरा कारण यह है कि भाभी जी से झगड़ा करके आएं हों। अब वह बताएं कि क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि इस प्रश्न में बहुत सारा उत्तर हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ गये हैं। नेता जी, आप मानिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन की कमेटी से जांच करवा दें। लाखों करोड़ रुपये गडबड़ हुआ है, बैंक में जमा नहीं हुआ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह केवल एक प्रश्न करना चाहते हैं तो उन्हें प्रश्न करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी मानिएगा। चूंकि उन्होंने दोनों तरफ की चीजें बताई हैं, किसने क्या किया है, वह सब बताये हैं। उसको बोलना नहीं चाहिए। श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। सरकार के खजाने को छूना लगा रहे हैं। ये बैठी हुई सरकार है। अपने खजाने को छूना लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो जनता है छत्तीसगढ़ के लोगों का जो पैसा है, ये सरकार कैसे बर्बाद करती है उसका एक नमूना है उसके बाद कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, उसमें कार्यवाही होनी चाहिए। हम लोग उसमें मांग कर रहे हैं।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर वही बात कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब माफियाओं के द्वारा इस तरीके से .. (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसमें जवाब नहीं आएगा, उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी तो किसके ऊपर कार्यवाही होगी ? (व्यवधान) यह गंभीर मसला है। यह हमारा नहीं, सरकार का मामला है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)मुकदमा चल रहा है। जानबूझकर डिफाल्टर बैंक में.. (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी धुव :- आप लोग बेमतलब सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया है इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11:32 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में (भारतीय जनता पार्टी) के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल जी। मोहन भाई आप बैठिए।

श्री मोहन मरकाम :- नीरव मोटी, ललित मोटी पूरे देश को चूना लगा कर चले गये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मन तो चूना अउ कत्था दोनों लगाथे। माननीय चन्द्राकर जी तुमन चूना अउ कत्था दोनों लगाथे।

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी आप बैठिए।

राजनांदगांव जिले में संचालित शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय

5. (*क्र. 738) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में कुल कितने शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? (ख) उपरोक्त औषधालयों में चिकित्सा स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें पदस्थ, रिक्त की वर्गवार औषधालय केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताएंगे कि रिक्तियों की पूर्ति कब तक की जाएगी?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) राजनांदगांव जिले में 41 शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं। (ख) उक्त औषधालय में 169 पद स्वीकृत हैं जानकारी ^{††} संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग भी नये सदस्य चुनकर आये हैं और हमको कभी-कभी प्रश्न पूछने का मौका मिलता है।

³ परिशिष्ट “चार”

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह अवसर दिया गया है।

मेरा प्रश्न राजनांदगांव जिले में संचालित शासकीय आयुर्वेदिक औषधालयों के बारे में था जो माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। पूर्व में हमारे विधायक साथी जो प्रश्न लगाये थे, उससे उसका जवाब मिल गया है, लेकिन कोविड काल में आपको देखने को मिला है कि हम लोग आयुर्वेदिक अस्पताल में ज्यादा भरोसेमंद रहे हैं और इसको बढ़ाया जाए और इसके जो पद रिक्त हैं माननीय मंत्री जी इन पदों को भरने का प्रयास करेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी। हम पूरा प्रयास करेंगे।

रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

6. (*क्र. 563) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? (ख) स्वीकृत पद के आधार पर कार्यरत् (नियमित/संविदा/दैनिक वेतन भोगी/अन्य) एवं रिक्त पदों की जानकारी दें? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर दर्शित है। (ख) स्वीकृत पद के आधार पर कार्यरत (नियमित/संविदा/दैनिक वेतन भोगी/अन्य) एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर दर्शित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का तो जवाब आ गया है कि कितने पद रिक्त हैं और जवाब में यह आया है कि रायगढ़ जिले में कुल जो सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 2013 के स्वीकृत पद हैं और उसमें लगभग 719 पद रिक्त हैं और मेरा दूसरा सवाल यह है कि ये पद आप कब तक भर लेंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा जवाब में लिखा ही है। ये डिटेल्स जहां-जहां लंबित हैं लोक सेवा आयोग में भी और शासन के स्तर पर भी हम लोगों का भरपूर प्रयास यही है कि वहां जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल सके और हम लोग जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ये बहुत लम्बे समय से यह पद रिक्त हैं 719 पद लगभग एक तिहाई पद होता है और यह बहुत बड़ी संख्या है। मैं यह चाहूंगा कि इसमें जल्दी नियुक्ति हो। मेरा दूसरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि रायगढ़ जिले के जिला अस्पताल में anesthesia के डॉक्टर की कमी है, जिसके कारण आपरेशन में देरी होती है और जो आपरेशन की तारीख आती है, खाली anesthesia के डॉक्टर की कमी के कारण आपरेशन में 8 से 15

दिन का समय लगता है। एनीस्थिसिया के डॉक्टर की संविदा से, डी.एम.एफ. से या आप जैसा भी कहें, कब तब नियुक्ति करवा लेंगे?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में रायगढ़ जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में संबंध हो गया है, उसका अलग अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी पद मेडिकल कॉलेज के होंगे, शिफिटिंग के बाद में जिला अस्तपाल के होंगे, वह जल्द से जल्द भरने की कार्यवाही की जायेगी। मैंने पहले भी बताया था कि काफी मात्रा में मेडिकल आफिसर्स की भर्ती हुई है। विशेषज्ञों की भी भर्ती के लिए एक प्रमोशन के माध्यम से और दूसरा सीधी भर्ती के माध्यम से हम लोगों ने पहल की है। यदि आधे पदों को सीधी भर्ती से और आधे पदों को प्रमोशन से भरने के लिए अनुमति मिल गई तो हम विशेषज्ञों के भी पद जल्दी से जल्दी भर सकेंगे।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विशेष निवेदन किया है कि वह anesthesia के डॉक्टर की कमी है जिसके कारण आपरेशन में 10 से 15 का समय लगता है। मैंने स्पेसीफिक इसी पद के लिए बात किया है। रायगढ़ जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज दोनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूं और वहां पर दोनों जगह anesthesia के डॉक्टर नहीं हैं। इसके संबंध में मैंने पूछा है कि चाहे आप संविदा में, डी.एम.एफ. में के माध्यम से नियुक्ति करें या कहीं से व्यवस्था करें, यह व्यवस्था करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को समय पर उपचार प्राप्त हो सके।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, हम लोग जल्द से जल्द करेंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बंद हुई योजनाओं की राशि वापसी

7. (*क्र. 291) श्री अजय चन्द्राकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि परिवर्तित तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 70) दिनांक 4 मार्च, 2020 के उत्तर में यह जानकारी दी गई है, कि राशि को ग्राम में वापस नहीं की गई है और किसी कार्य में उपयोग नहीं की गई है? (ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 2020 की स्थिति में कुल कितनी राशि वापस ली गई है? राशि के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया एवं कितनी राशि का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किया गया? यदि निर्णय नहीं लिया गया है, तो कब तक लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जी नहीं, यह सही नहीं है, उक्त संबंध में पुनरीक्षित उत्तर में जानकारी दी गई है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। लेकिन प्रश्न में जो उत्तर दिया गया है कि पुनरीक्षित उत्तर प्राप्त हुआ है, मुझे कोई पुनरीक्षित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके उत्तर में यह आया है कि (क) जी नहीं, यह सही नहीं है, उक्त संबंध में पुनरीक्षित उत्तर में जानकारी दी गई है.

(ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। मुझे पुनरीक्षित उत्तर कुछ नहीं मिला है। अब यही प्रश्न मैंने दूसरे संदर्भों में पिछले सत्र में लगाया था, उस दौरान यह प्रश्न स्थिगित हो गया था, उसका उत्तर मुझे मिला है। पिछले सत्र के प्रश्न में कभी बहस नहीं हो सकती और मुझे पुनरीक्षित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अब मैं क्या प्रश्न करूं, आप ये बताईए। आप जैसी व्यवस्था देंगे, वैसा में करूंगा। आप आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दें या इसको दूसरे दिन के लिए रखिये। इसमें कोई भी व्यवस्था आये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अगर आप आधे घंटे की चर्चा चाहेंगे, उसका अलग से प्रारूप है, आप दे देंगे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है। मैं समझता हूं कि पुनरीक्षित उत्तर वितरित हुआ होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे कोई पुनरीक्षित उत्तर नहीं मिला है। यदि पिछले सत्र के उत्तर में आज बहस हो सकती है तो बतायें।

श्री रविन्द्र चौबे :- पिछले सत्र के उत्तर में बात नहीं होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- पिछले सत्र में वह भी उस दिन का प्रश्न स्थिगित हो गया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या वितरित हुआ है?

उपाध्यक्ष महोदय :- हाँ वितरित किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, वह तो पिछले सत्र का है। क्या पिछले सत्र में आज बहस होगी?

श्री रविन्द्र चौबे :- बहस नहीं हो सकती।

श्री अजय चन्द्राकर :- हाँ, यह पिछले सत्र का दिखा रहे हैं, वह मेरे पास है। वही तो मैं बोल रहा हूं कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। इस सत्र के प्रश्न में मुझे पुनरीक्षित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सचिवालय जो दिखा रहा है, वह पिछले प्रश्न का उत्तर है। जब स्थिगित का मेरी ओर इशारा किया गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी प्रश्न का उत्तर है?

श्री सौरभ सिंह :- वह पिछले सत्र का दिखा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि पिछले सत्र में बहस करनी है तो मैं उसमें तैयार हूं। ऐसा कभी उदाहरण नहीं रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आधे घंटे की चर्चा में भी कोई आपत्ति नहीं है। वैसे जो जानकारी है, सब स्पष्ट है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह नियम के विपरित होगा। पिछले सत्र का मैं कैसे इस सत्र में बहस करूंगा?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप जो चाहे रहे हैं, सारी जानकारी है। हमारा मकसद प्रश्न की पूरी जानकारी देना है।

श्री अजय चंद्राकर :- इसीलिए मैं बोला कि आपका ध्यान चाहूंगा। मुझे इस सत्र में कोई पुनरीक्षित जानकारी नहीं मिली है। जिस पुनरीक्षित उत्तर का रिफ्रेन्स दिया जा रहा है, वह मेरे पास भी है, लेकिन पिछले सत्र का है। जो आपने कल पटल पर प्रस्तुत किया, वह जानकारी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पिछले सत्र के अधूरे उत्तर में संदर्भित प्रश्न में इस सत्र में, दूसरे सत्र में बहस हो तो इसका रास्ता यह है कि आप किसी दिन आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय चौबे जी, अगर देश के किसी विधानसभा में पिछले सत्र में जो उत्तर आया हो, उसकी चर्चा अगर हुई होगी तो उसकी नजीर मंगवा लीजिये तो श्री अजय जी चर्चा कर लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका सबसे अच्छा हल यह है कि आप आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिए।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सहमति है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आधे घंटे नहीं लगेंगे, 5 मिनट का मामला है।

श्री अजय चंद्राकर :- आसंदी से घोषणा हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत हो गई ?

उपाध्यक्ष महोदय :- 15 मिनट की। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- 15 मिनट की चर्चा नहीं होती, आधे घंटे की होती है। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आधे घंटे की स्वीकृति देते हैं। श्री सौरभ सिंह जी।

श्री शिवरत्न शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आजकल खाली पुनरीक्षित आश्वासनों पर ही अपनी जानकारी को रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य को आधे घंटे का समय कब से दिया जा रहा है लेकिन वे बोल रहे हैं कि आधे घंटे का समय दिया जाये तो मैंने 15 मिनट बोला।

चावल से एथेनॉल बनाने हेतु उद्योगों से संपादित एम.ओ.यू.

8. (*क्र. 81) श्री सौरभ सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 और 2021 में दिनांक 30 जनवरी, 2021 तक चावल से एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रदेश के किस-किस जिले में कौन-कौन से उद्योग से कितनी लागत में उद्योग स्थापना के लिए कब-कब एम.ओ.यू. किया गया है? (ख) उपरोक्त से उत्पादन कब चालू होगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) वर्ष 2020 और 2021 में दिनांक 30 जनवरी, 2021 तक चावल से एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रदेश में कोई एम.ओ.यू. नहीं किया गया है तथापि धान से एथेनॉल उत्पादन हेतु 07 निवेशकों के साथ एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया है, जिसका विवरण + संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” से संबंधित एम.ओ.यू. निष्पादकों के द्वारा एम.ओ.यू. में निष्पादित शर्तों के अनुरूप दो वर्ष के भीतर उद्योग स्थापना की कार्यवाही की जायेगी.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या चावल से एथेनॉल बनता है तो उन्होंने कहा कि धान से बनता है। मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि धान से कहीं एथेनॉल नहीं बनता, चावल से ही एथेनॉल बनता है तो जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन 7 लोगों के साथ आपने 1162 करोड़ रुपए का आपने प्रदेश में एथेनॉल बनाने के लिये 7 एम.ओ.यू. किया है तो मैं आपसे केवल इतना ही पूछना चाहूंगा कि जिनके साथ आपने एम.ओ.यू. किया है, जो संयंत्र लगायेंगे तो उन लोगों को आप चावल देंगे कि धान देंगे ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एम.ओ.यू. किया है यह चावल के लिये नहीं किया है बल्कि धान के लिये किया है। धान बहुत सड़ रहा है, उसका एथेनॉल बनेगा।

श्री सौरभ सिंह :- आप धान देंगे ?

श्री कवासी लखमा :- अभी भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी है, अनुमति के लिये साथ में चलना है तो चलिये।

श्री सौरभ सिंह :- आप धान देंगे न ?

श्री कवासी लखमा :- धान।

श्री सौरभ सिंह :- धान, ठीक है। चलिये। अगर आप धान देंगे तो आपके एम.ओ.यू. में जो प्लांट लगायेंगे, आपके एम.ओ.यू. में यह उल्लेख है कि अगर आप धान देंगे तो धान की वे मीलिंग करेंगे, मीलिंग करने के बाद चावल बनायेंगे और चावल से एथेनॉल बनायेंगे तो क्या आपके एम.ओ.यू. में यह उल्लेख है कि जिन 7 लोगों ने एग्रीमेंट किया वे इसके साथ राईस मिल का भी स्थापन करेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- उसकी जरूरत नहीं है। जनता का जो धान सड़ रहा है, छत्तीसगढ़ का जो पुराना धान बहुत बचा है उसका एथेनॉल बनायेंगे और जनता को कम रेट में डीजल, पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिये यह सरकार सोच रही है, उसमें आपकी मदद चाहिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यही है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अच्छा सौरभ जी।

श्री सौरभ सिंह :- एक मिनट मंत्री जी । चाहे आप जवाब दे दें या वे दे दें । आप तय कर लीजिये कि दोनों में से कौन जवाब देगा ?

श्री अमरजीत भगत :- आप पहले सुन तो लीजिए । पहले मुर्गा कि पहले अंडा? (हँसी)

श्री सौरभ सिंह :- चलिये, आपको बता दूंगा कि पहले अंडा आयेगा कि मुर्गा आयेगी । उसके लिए मैनपाट जाना पड़ेगा । आपके साथ मैनपाट जाना पड़ेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे ही धान या चावल दोनों में एक ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री सौरभ सिंह जी ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान से चावल बनेगा यह पूरे सदन को पता है, आप गुमराह करने की क्या बात कर रहे हैं ? धान से चावल बनेगा और चावल से एथेनॉल बनेगा । अगर चावल के लिये आपके एम.ओ.यू. में कहीं पर उल्लेख नहीं है कि उनको राईस मिल लगाना है और अगर वे राईस मिल लगायेंगे तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ जायेगी और कास्टिंग बढ़ जाने के बाद कोई एम.ओ.यू. सफल नहीं होंगे । एक, दूसरी चीज अगर आप उनको धान देना चालू करेंगे तो उनकी लागत 1162 करोड़ की लागत है, अगर वे धान लेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2000 राईस मिल हैं तो आधी राईस मिलें बंद हो जायेगी तो आप क्या करना चाह रहे हैं ? एम.एस.एम.ई. को बंद करना चाह हैं, बड़े उद्योगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या एथेनॉल आने से आपको कोई प्राब्लम है ?

श्री कवासी लखमा :- छत्तीसगढ़ में धान का बहुत उत्पादन हो रहा है, मीलिंग कर नहीं पा रहे हैं इसीलिये तो इसका उपाय हमारी सरकार कर रही है । धान का उत्पादन कभी बंद नहीं होगा, दिनोंदिन धान का रेट बढ़ रहा है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके एम.ओ.यू. में कहीं पर नहीं है कि वे लोग करेंगे । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धुव :- आप लोग सहयोग तो कर नहीं रहे हैं और जो उपाय सोच रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- इतना सारा सड़ा धान है, सड़े धान की क्या मीलिंग होगी?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमर रतनजोत अस हवय, चिंता मत करव ।

श्री सौरभ सिंह :- कितना सड़ा धान है और सड़े धान की क्या मिलिंग होगी ? वह यह बता दें कि कितना सड़ा धान है । खाद्य मंत्री जी भी खड़े हुए थे, वे बता दें कि कितना सड़ा धान है । आपके पास डाटा है क्या, कि कितना सड़ा धान है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

श्री सौरभ सिंह :- खाद्य मंत्री जी आप खड़े हुए थे, आप बता दीजिए कि कितना सङ्ग धान है और उससे कितना ईथेनॉल बनेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- यहा बात तो है कि उन्होंने स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ में सङ्ग धान है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जैसा आप लोगों ने रतनजोत से डीजल लाने की बात की थी, वैसी बात नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- खाद्य मंत्री जी खड़े हुए थे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि कितना सङ्ग धान है ।

श्री रामकुमार यादव :- यह रतनजोत कस योजना नो हे ।

क्वारेंटाइन सेंटर की स्थापना एवं चिकित्सा व्यवस्था

9. (*क्र. 731) श्री धर्मजीत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना महामारी के दौरान रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली क्षेत्र में कहां-कहां पर ग्राम पंचायतों में क्वारेंटाइन सेंटर खोले गये और इन सेंटरों पर कितना खर्च हुआ? (ख) कंडिका “क” के सेंटरों में कितने श्रमिक/लोग ठहरे और इनकी चिकित्सा की क्या व्यवस्था थी? (ग) कंडिका “क” के सेंटरों में कौन-कौन अधिकारी, कब-कब गये?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पांच जिले के क्वारेंटाइन सेंटर, वहां लोगों की संख्या और उसके खर्च के बारे में पूछा है । मैं सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना जबरदस्त जवाब भेजा है । इसको कल से रखे रखे थक भी गया हूँ, इतना वजनी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि राजा साहब का हर काम बहुत पारदर्शी है । सिवाय दिल्ली में ही लफड़ा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इसमें ज्यादा नहीं पूछूँगा । 3426 क्वारेंटाइन सेंटर में 36 करोड़ 86 लाख रुपया आपने खर्च किया । यह मैंने पांच जिले का ही पूछा है । यह पैसा आपने किस मद से खर्च किया । क्या यह सही है कि इसमें 14वें वित्त आयोग का भी पैसा खर्च हुआ है और क्या यह सही है कि 14वें वित्त का पैसा ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आया था, इसके बारे में पहले बता दीजिए ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से ही यह गाइड लाइन आई थी कि 14 वित्त के पैसे का, उसमें टाइड/अनटाइड फंड के उपयोग का प्रावधान रहता है । जिस उपयोग के

लिए वहां से निर्देश आते हैं कि यह पैसा इसी में खर्च होना है तो कोविड के लिए वहां से निर्देश आए थे कि आप इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 14वें वित्त का पैसा क्वारेंटाइन सेंटर्स में खर्च कराया है तो क्या उन ग्राम पंचायतों को उतना पैसा छत्तीसगढ़ की सरकार चाहे दिल्ली के मद से या अपने मद से, उन ग्रामों के विकास के लिए जो पैसा लगेगा आप उनको पैसा देंगे क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया इसमें 50 प्रतिशत राशि टाइड फंड के रूप में केन्द्र सरकार उपलब्ध कराती है। शेष 50 प्रतिशत राशि अपटाइड रहती है जो पंचायतों को अपने विवेक से प्रावधानित मदों में खर्च करनी होती है। क्योंकि यह 50 प्रतिशत की राशि के अंतर्गत खर्च है, यदि उससे ज्यादा हुआ होगा तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वह आएगा। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा हुआ हो। उसका उद्देश्य ही सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। उसकी परिभाषा बड़ी व्यापक है कि किस किस चीज में खर्च करना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप पंचायत मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ग्राम पंचायतों के सरपंचों पर छोटे-छोटे कामों के लिए दबाव है। वह सारा पैसा क्वारेंटाइन सेंटर्स में खर्च हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम सरपंचों के मान सम्मान की रक्षा के लिए गांव के छोटे मोटे काम के लिए, यदि पूरी नहीं तो कुछ राशि तो दे ही दीजिए ताकि गांव में काम हो सके। छोटे छोटे काम के लिए लोग सरपंच की ओर जाते हैं और सरपंच बेचारा बेबस रहता है क्योंकि आपका फ्रमान रहता है कि क्वारेंटाइन सेंटर्स में उसको खर्च करा दिया गया है। उन सरपंचों के मान की रक्षा के लिए आप कुछ राशि वहां भेजेंगे क्या, जहां का राशि क्वारेंटाइन सेंटर्स में खर्च हो गई है। उसके लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं बताया था कि राशि कहां कहां से आई है। कुछ राशि पी.एम.रिलीफ फंड से आई, राज्य के आपदा प्रबंधन मद से आई, उसके अतिरिक्त यदि राशि खर्च हुई तो निश्चित रूप से सरपंच यह मानते हैं कि 15 वें वित्त का पैसा आया तो पूरा हम जैसा चाहें खर्च कर सकते हैं। व्यवस्था ऐसी नहीं है। उनको समझाने में भी दिक्कत जाती है। यह पूरा 15वें वित्त का पैसा अनटाइड फंड के रूप में पंचायत के लिए नहीं आता है। उसमें निर्धारित रहता है कि किस-किस काम में खर्च करना है। लेकिन आप कहते हैं तो अवश्य शासन से पूछँगा कि क्या वापस रिम्बर्स करेंगे क्या ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल 14 वें वित्त का पैसा आपने पूरा लगा दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आप जो पैसा पंचायत को रिलीज़ करते थे। आपने इतनी कंजूसी की कि एक नया पैसा पंचायत को नहीं दिया। 14वें वित्त की राशि आई उसको

आपने क्वारेंटाइन सेंटर्स में लगा दिया, 15 वें वित्त की राशि आई है उसमें भी गाइडलाइन है। आज पंचायत का पूरा विकास कार्य ठप हो गया। इसलिए माननीय सदस्य ने बड़े सम्मान के साथ और आपको भी सम्मान देते हुए कहा है कि आखिर पंचायत चुनाव के जीतने के बाद जो जनप्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, उनके सामने जो मुख्य प्रश्न उपस्थित है कि आखिर उस गांव के विकास के लिए चाहे वहां का सी.सी. रोड हो, सामुदायिक भवन हो, आंगनबाड़ी का बांड्रीवाल हो, पंचायत भवन हो। अभी भी जो पुराने पंचायत भवन हैं, वे जीर्ण-शीर्ण हैं। आप एक पंचायत भवन स्वीकृत नहीं करा रहे हैं। ऐसे कार्यों के लिए यदि आप पंचायत को राशि नहीं देंगे या उनकी व्यवस्था नहीं करायेंगे तो वह जनप्रतिनिधि अपने आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं और लोग तमाशबीन बनकर खड़े हुए हैं। आपको इसके लिए विचार करना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- नेता जी, पंचायत में पनिया दुकाल पड़ गया है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय इसमें जवाब आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- जवाब तो दे दिये न।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, अगर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, वे जवाब देना चाह रहे हैं। आप इधर पुकार रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, उसमें विचार करें। सारे पंचायत के सरपंच आपकी तरफ देख रहे हैं कि राजा साहब बैठे हुए हैं और तिजोरी का दरवाजा खोलेंगे। आप बंद करके रखे हैं। लॉक कर दिये हैं। उसे खोलिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही ऐसा कि मैंने बताया कि वित्त आयोग की जो राशि आयी है, उसमें एक संशोधन यह हुआ है कि पहले सेंक्षण गया था 5 प्रतिशत जिला पंचायत, 5 प्रतिशत जनपद पंचायत, 90 प्रतिशत पंचायत। इसमें केन्द्र सरकार से भी जो गाइडलाइन्स हैं, उससे यह थोड़ा सा भिन्न था। तो हम लोगों ने उस पर परिवर्तन करने पर विचार किया और जिला पंचायतों को 10 प्रतिशत, जनपद पंचायतों को 15 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत, यह राशि निर्धारित होकर 15वां वित्त आयोग की आयेगी। पैसा जा भी चुका है और जितना आयेगा, वह जायेगा भी। इस रेशियो में जायेगा। उसमें से भी जो गाइडलाइन है। अब जल जीवन मिशन का है। तो जल जीवन मिशन के लिए भी केन्द्र सरकार के स्पष्ट गाइडलाइन हैं कि 25 प्रतिशत 15वां वित्त आयोग का पैसा जल जीवन मिशन में लगेगा। सरपंचों को तकलीफ होगी और उन्हें यह लगेगा कि यह तो पूरा पैसा हमारा है, लेकिन यह पंचायत में विकास का पैसा है। 25 प्रतिशत स्वच्छ भारत मिशन

में लगेगा। ये केन्द्र सरकार के गाइडलाइन्स हैं और यही हमारी सीमा होती है कि जो राशि आती है, उस अनुपात में हमें खर्च के लिए देना पड़ता है। कहीं-कहीं सरपंचों ने 80-80 90-90 प्रतिशत राशि का आहरण कर लिया है, यह नहीं जानते हुए कि यह 50 प्रतिशत टाइड राशि है, उसका उपयोग उन्हें वैसे करना चाहिए, उसके बाहर नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके लिए और क्या उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए हम लोग जरूर पहल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे।

श्री पुन्नलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि आपने कहा टाइड और अनटाइड 50 प्रतिशत से ज्यादा की राशि भुगतान नहीं कर सकते। अगर क्वारंटाइन पर सरपंच लोग रखे थे, उन्होंने व्यवस्था की और खर्च किये। आप संपूर्ण भुगतान बता रहे हैं। ऐसे नये पंचायत जिसके पास एक रूपये नहीं था या चुनाव पीरियड पर जिन्होंने 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च कर दिये थे। उस पंचायत के पास व्यवस्था नहीं है। अगर उनका भुगतान नहीं हुआ होगा। 50 प्रतिशत पर अगर वे नहीं आते होंगे तो क्या आप उन्हें राशि उपलब्ध करायेंगे?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उमसें एक-एक प्रकरण आप बता दीजिएगा। कहां पर कैसे हुआ है। अगर ऐसी स्थिति आयी है। भरसक नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आयी है तो आप बताइएगा। वह कोरोना का समय था। अत्यधिक दबाव का समय था। राशियों की अनुपलब्धता का समय था। लोग आ रहे थे। किसी तरह से उनका प्रबंधन करना था। विकल्प सोचकर कि पैसा कहां से आयेगा, इसे देखने का समय नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उपयोग किया। लेकिन आप बता देंगे तो हम दिखवा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे जी।

श्री पुन्नलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत हो गया। आप बैठिएगा। बहुत सारा उत्तर आ गया है।

श्री पुन्नलाल मोहले :- जो घोषणा किये हैं, मैं उसे बोल रहा हूं। पिछले समय माननीय मंत्री जी क्वारंटाइन के समय 14वें वित्त आयोग का पैसा खर्च किये थे, उसे वापस करेंगे, यह विधान सभा में घोषणा हुई थी। इसलिए इसे मैं आपको बता रहा हूं। घोषणा जब किये हैं तो उसका पालन करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- उत्तर आ चुका है। श्रीमती इंदू बंजारे जी।

जांजगीर-चांपा जिला में संचालित उद्योग

10. (*क्र. 614) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में कितने छोटे-बड़े उद्योग संचालित हैं व कितने नये उद्योग स्थापना हेतु प्रस्तावित हैं? संचालित का नाम पता सहित जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत कुल 2194 छोटे-बड़े (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद व अल्ट्रा मेगा) उद्योग संचालित हैं एवं कुल 194 नये उद्योग स्थापना हेतु प्रस्तावित हैं। विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	उद्योगों की श्रेणी (2)	संचालित उद्योगों की संख्या (3)	प्रस्तावित नये उद्योगों की संख्या (4)
		योग	2194
1.	सूक्ष्म	1838	129
2.	लघु	340	56
3.	मध्यम	8	0
4.	वृहद	1	1
5.	मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स	7	8

संचालित उद्योगों का नाम व पता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय जी से जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब मुझे मिल गया है। धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुन्नलाल जी ने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर कहां आया है। सदन में घोषणा हुई है थी कि ऐसे खर्चों को वापस करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने स्पष्ट कहा है कि बहुत सारा उत्तर आ चुका है।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुन्नलाल जी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री पुन्नलाल मोहले :- वापस करेंगे मतलब वापस करें। बस इतना है।

श्री अमरजीत भगत :- पुन्नलाल जी की क्षमता में आपको कुछ संदेह है क्या? आप उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। क्या आपको उनकी क्षमता में संदेह है क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- पुन्नूलाल जी बहुत समझते हैं। वे 12 बार चुनाव लड़े हैं। 12 बार जीते हैं। हम उन्हें नहीं समझा सकते। हम लोगों को उनसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर वे बोले हैं तो मंत्री जी दो मिनट जवाब दे दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पिछले सत्र में यहां चर्चा में राशि वापस करने की बात हुई थी। वापस करेंगे या नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल भैया, मैं इसलिए बोल रहा था कि पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुका है। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, वह मंत्री जी ने बताया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उपाध्यक्ष जी, मैंने पिछले समय कोरेण्टाईन के संबंध में चर्चा की थी, उसमें माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी थे। उन्होंने कहा था कि हम राशि वापस करेंगे, इसका उत्तर आना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे जी।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था, उसका उत्तर मुझे मिल गया है।

जिला धमतरी में निर्माण समिति द्वारा आमंत्रित निविदा

11. (*क्र. 515) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिला में जिला निर्माण समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 से 31-01-2012 तक कितने कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है? विभागवार, वर्षवार कार्यों की सूची, निविदा प्रकाशन दिनांक एवं समाचार पत्रों की जानकारी देवें? (ख) क्या जिला निर्माण समिति द्वारा निविदा ऑफलाईन आमंत्रित की गई है? यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य शासन के आदेश की जानकारी दी जावें? (ग) उक्त वित्तीय वर्ष में आमंत्रित निविदा किन-किन निविदाकारों को आवंटित की गई? वर्षवार, विभागवार जानकारी दी जावें? साथ ही लोक निर्माण विभाग के एसओआर में उक्त कार्यों को कितने प्रतिशत अधिक या न्यूनतम में आवंटित किया गया की जानकारी दी जावें? (घ) उक्त वित्तीय वर्षों में आमंत्रित निविदा के सफल निविदाकारों को कार्यों का ले-आउट किन तिथियों को दिया गया तथा कार्य दिवस किस तिथि को पूर्ण हुए?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जी, नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि जिला निर्माण समिति के माध्यम से कार्यों का आवंटन होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जिला निर्माण समिति का गठन ही नहीं है, यही आपके प्रश्न के जवाब में आया है।

मनेन्द्रगढ़ औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी के विकास हेतु स्वीकृति/व्यय राशि

12. (*क्र. 472) डॉ. विनय जायसवाल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनेन्द्रगढ़ औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी के विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत है? स्वीकृत राशि में से कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है? (ख) कितने और कौन-कौन से उद्योगों को अभी तक भूमि आवंटित की गई है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) मनेन्द्रगढ़ औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी के विकास के लिए राशि रु. 1079.40 लाख स्वीकृत है। स्वीकृत राशि में से रु. 524.28 लाख का व्यय किया जा चुका है। (ख) औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी के अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर होने के कारण उद्योगों को भूमि का आवंटन प्रारंभ नहीं किया गया है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी में कितनी राशि का आवंटन हुआ है और कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? पहले प्रश्न का जो उत्तर आया है, उससे मैं संतुष्ट हूं। मैंने दूसरा प्रश्न (ख) पूछा था कि कितने और कौन-कौन से उद्योगों को अभी तक भूमि आवंटित की गई है? इसमें मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अधोसंरचना विकास कार्य के प्रगति की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक कोई भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां जो संबंधित अधिकारी थे, प्रबंधक थे-शैलेन्द्र रंगा। इस प्रबंधक ने बैलगाड़ी योजना के नाम से बीज निगम को जो जमीन आवंटित हुई थी और परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, उसमें प्रबंधक शैलेन्द्र रंगा ने 266/1 रकबा की 4 हेक्टेअर जमीन को बिना किसी विज्ञापन के हितग्राहियों को बंदरबांट कर दिया गया। इसका प्रकाशन प्रबंधक ने किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में नहीं करवाया। आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार की जो औद्योगिक नीति बनी है, उसमें आरक्षण नीति की प्रक्रिया को अपनानी चाहिए थी, उस प्रक्रिया का भी पालन कहीं नहीं किया गया। यहां तक कि जब उस अधिकारी के ट्रांसफर का दिन था, उस दिन भी ऑफ लाईन आवेदन लेकर गैर कानूनी तरीके से औद्योगिक जमीन का आवंटन उनके द्वारा किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि इसमें जो जांच हुई, उसका भी कोई प्रतिवेदन नहीं आया है। जांच में भी लीपापोती की गई है। मेरा आपसे आग्रह है कि पूर्व प्रबंधन ने जो भ्रष्टाचार का काम किया है और जिस तरह से औद्योगिक जमीनों का आवंटन होना चाहिए था, उसका पालन नहीं किया है तो मैं आपसे मांग करता हूं।

कि उसको इस सदन के माध्यम से निलंबित किया जाये । 17 लोगों को जमीन का आवंटन हुआ है, उसमें आरक्षण की प्रक्रिया अपनाते हुए उसको निरस्त करके पुनः उसका आवंटन किया जाये ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बैलगड़ी का प्रोजेक्ट था, उसको कृषि विभाग को दिया गया था । वह प्रोजेक्ट संचालित नहीं होने से हमने उसको वापस ले लिया है । उस अधिकारी ने वास्तव में गड़बड़ी की है । हम उसकी जांच करवा रहे हैं, फिर हम उसको दिखवा लेंगे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है । आप सदन के माध्यम से उसको निलंबित करें । क्योंकि जांच अधिकारियों ने अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और यह बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को निलंबित करके आप एक मैसेज दें ।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है । हमारी सरकार की मंथा के अनुरूप उस अधिकारी ने विपरीत काम किया है । आपका प्रश्न लगाने के बाद उसकी शिकायत हमें भी मिली है । मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि उसको निलंबित किया जाये । (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. विनय जायसवाल :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

जिला रायगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत पंजीकृत एवं अपंजीकृत महिला सहायता समूह

13. (*क्र. 321) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ में (बिहान) अंतर्गत कुल कितने पंजीकृत एवं अपंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह गठित है, विकासखण्डवार, पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) कंडिका (क) के अनुसार दिनांक 31-01-2021 की स्थिति में महिला स्व-सहायता समूहों पर कितना कर्ज किन-किन बैंकों का है समूह का नाम सहित जानकारी देवें? (ग) क्या शासन द्वारा कर्ज मुक्त करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है यदि हाँ, तो कब तक कर्ज मुक्त कर दिये जायेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जिला रायगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत एन.आर.एल.एम. एम.आई.एस. में दर्ज कुल 11,161 महिला स्व-सहायता समूह है. विकासखण्डवार एवं पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में दर्शित है. (ख) कंडिका के अनुसार दिनांक 31-01-2021 की स्थिति में महिला स्व-सहायता समूहों पर विभिन्न बैंकों में रु. 30,12,39,053.66 का कर्ज है. बैंकवार समूह का नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में दर्शित है. (ग) शासन द्वारा कर्ज मुक्त करने के संबंध में निर्णय नहीं हुआ है.

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि बिहान योजना के तहत जो योजना संचालित है, उसमें मेरा प्रश्न था कि समूहों का कर्ज माफ कब तक किया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12:00 बजे

श्री पुन्नलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम लोग लखमा जी को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बढ़िया बढ़िया उत्तर दिया।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ अनाचार, छेड़छाड़, महिला तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि सरकार की मौन सहमति बनी हुई है। सरकार को इन अपराधों पर ठोस कार्यवाही करना चाहिए, वह कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है। राजधानी में बलात्कार की घटना होती है, गैंगरेप की घटना होती है। 2 फरवरी को राजधानी के निकट मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म होता है। 24 दिसंबर को राखी थाना के अंतर्गत नाबालिग बच्ची के साथ तीन लोग दो बार गैंगरेप करते हैं। कोरबा जिले में जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, उस समाज की बालिका के साथ 6 लोग दुष्कर्म करते हैं और उससे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि ...।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, शिवरतन जी, जितने भी अपराध की गिनती आप कर रहे हैं, कल आपके स्थगन प्रस्ताव के ये मुख्य बिन्दु थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने कल हमारा स्थगन प्रस्ताव पढ़ा नहीं या सुना नहीं। इस स्थगन प्रस्ताव में दुष्कर्म और महिलाओं से संबंधित किसी बात का उल्लेख नहीं था। आप हमारा कल का स्थगन प्रस्ताव निकलवाकर पढ़ लीजिए।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- पूरा था।

श्री अजय चंद्राकर :- कल इस बात को हमने भाषण में भी कहा था। यदि हम सबका उल्लेख करेंगे तो पूरक चार्ज दीजिएगा। स्थगन के पत्ते को लंबा कीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय, अपराध पर ही आपका कल स्थगन था।

श्री शिवरतन शर्मा :- कल हमारा स्थगन हत्या, हत्या का प्रयास, डैक्टी, अपहरण इस पर था।

श्री रविन्द्र चौबे :- अपराध।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज हमारा सिर्फ महिलाओं से संबंधित अपराध पर हमारा स्थगन है।

श्री नारायण चंदेल :- कल हमारा स्थगन कानून व्यवस्था पर था। आज हमारा स्थगन महिलाओं के उपर अत्याचार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, उसके उपर है।

श्री अजय चंद्राकर :- तस्करी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- शिवरतन जी, एक मिनट मेरी बात हो जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी-जी।

श्री पुन्नलाल मोहले :- ये महिला से संबंधित है। कल का अपराध से संबंधित था।

श्री रविन्द्र चौबे :- ममा तै बईठ तो। ये तोर लईक सबजेक्ट नो हरे। (हंसी) तै नीचे बईस ना। (हंसी) माननीय उपाध्यक्ष जी, कल अपराधों पर काफी चर्चाएं हुई। डॉ. साहब ने तो बस्तर, मानपुर और नक्सल गतिविधियों को भी उसमें जोड़ दिया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह भी अपराध की श्रेणी में आता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कहां कुछ कह रहा हूं। एक स्थगन विषय पर कल आप लोगों ने ग्राह्यता पर चर्चा की, सरकार का उत्तर आया। आसंदी की जैसी भी व्यवस्था हुई। दूसरा, माननीय आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं।

समय :

12:03 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, आज अनुपूरक में सब कुछ चर्चा होना है। तीन-तीन घंटे की चर्चा है। इसलिए लगभग परंपरा यह है कि अनुपूरक या वित्तीय कार्य जिस दिन होते हैं उस दिन स्थगन जैसे कोई मुद्दे नहीं आते हैं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसको अभी तत्काल उठाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आगे बढ़ें, मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही चलना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसको उठाने की आवश्यकता इसलिए है कि पूरे प्रदेश की महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अपने आपको असहाय महसूस कर रही हैं और सरकार को जो ठोस कार्यवाही करनी चाहिए, सरकार ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिए प्रदेश में हो रहे दुष्कर्म के मामले, छेड़छाड़ के मामले, मानव तस्करी के मामले पर स्थगन पर चर्चा आवश्यक है। इसलिए इस विषय को हम लोग उठा रहे हैं। माननीय सभापति जी, कोरबा जिले के लेमरु गांव में बालिका के साथ उसके माता पिता के सामने बलात्कार किया गया, बाद में बालिका की, पिता की और उसके बहन की हत्या कर दी गयी। माननीय सभापति महोदय, जशपुर जिले में सत्तक प्रस्तुत युवतियां शिक्षित फिर भी कबूतरबाजी की शिकार हैं।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, शून्यकाल में कृपया संक्षेप में एक लाईन में बात कहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और महिलाओं पर जो दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं पर छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, मानव तस्करी हो रही है, उस पर हमारे स्थगन को स्वीकार करें और स्वीकार करके चर्चा करायें, हमारा यही निवेदन है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, यह अत्यंत ही गंभीर मसला है और किसी भी सरकार के लिये अत्यंत ही शर्मनाक है। सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और अब अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, महिलाओं के साथ हो रहा है, आदिवासी बालाओं के साथ हो रहा है, वनवासी क्षेत्रों में हो रहा है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपराधी खुले आम घूम रहे हैं और अपराध नये नित किस्म के हो रहे हैं। चाहे जशपुर की घटना हो, चाहे कांकेर की घटना हो, चाहे बस्तर की घटना हो, हास्टल के अंदर अनाचार हो रहा है। आदिवासियों, वनवासियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। हम लोगों ने उस पर स्थगन दिया है। इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए हमने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव दिया है। हम आपसे निवेदन करते हैं इसको स्वीकार करें और चर्चा करायें।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय सभापति महोदय, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री बहुत ही वरिष्ठतम् सदस्य हैं। वे यदि स्थगन के औचित्य पर प्रश्न उठाते हैं कि कल स्थगन ले लिया गया, आज स्थगन नहीं लिया जा सकता या यह परम्परा नहीं है, तो यह दुःखद बात है। इसलिए दुःखद बात है कि एक कोरवा लड़की 6 बार बिकती है और उसके बाद वह आत्महत्या कर लेती है। उसके लापता होने का प्रकरण 6 महीने थाने में पड़ा रहता है और उसके मरने, आत्महत्या करने के बाद यह उजागर होता है। उज्ज्वला सोसायटी, महिला संरक्षण गृह तथाकथित, कब से वहां संगठित यौन अपराध हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि यह उज्ज्वला वाला मामला सरकार संरक्षित है और ऐसे अनेकोंक, खासकर आदिवासी वर्ग की महिलाएं ...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी उज्ज्वला योजना में कार्रवाई हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो यह काफी महत्वपूर्ण है, यह तकनीकी विषय नहीं है। यह महिलाओं के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ के (व्यवधान) का सवाल है, जो लगातार संगठित यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। स्थगन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय :- कृपया शांत रहें। आपकी बात आ गई है। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति जी, जिस प्रकार प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अनाचार की घटनाएं निरंतर बढ़ते जा रही हैं, उससे प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। हमारे दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और जशपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे महिलाएं शर्मिन्दा हैं और महिलाओं के सम्मान पर आंच आई है। लेकिन इसमें सरकार के किसी भी जिम्मेदार मंत्री का बयान नहीं आता है यहां तक कि मुख्यमंत्री जी भी इन विषयों पर चुप रहते हैं। क्या इसमें इनकी मौन सहमति है ? यदि एक मंत्री का बयान आता है कि छत्तीसगढ़ की घटनाएं बहुत छोटी हैं तो यह हम सब महिलाओं के

लिए शर्मनाक है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां, क्या बेटियां नहीं हैं ? क्या छत्तीसगढ़ की महिलायें, महिलायें नहीं हैं ? उन महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को छोटा कहा जाता है। माननीय सभापति जी, हमारा इस पर स्थगन लगा है। आप स्थगन को स्वीकार कर चर्चा करायें।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति जी, रंजना जी ने एक बात कही, मैं उसके लिए आपसे आग्रह करता हूं। इतने अपराध हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं बोलते, उनकी मौन सहमति है, तो मौन सहमति वाली यह बात ठीक नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आप हमारे स्थगन को ग्राह्य कर लें। आप हमारे स्थगन को ग्राह्य करके चर्चा करायें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, कांकेर क्षेत्र में एक झलियावारी गांव है, वहां पर छात्रावास कन्या के साथ, बच्चों के साथ लगातार हुआ है।

सभापति महोदय :- श्री मोहले जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं उस बात को बतलाना चाहूंगी कि बी.जे.पी. शासनकाल में हुआ है और बच्चों की आयु महज 8 से 11 वर्ष थी।

श्री नारायण चंदेल :- इस स्थगन को ग्राह्य किया जाना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह आपके शासन काल में हुआ है। आप लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री पुन्नलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, जशपुर में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। भाटापारा में 8 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ किया गया। हरिभूमि पेपर में निकला है..।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आदरणीय सभापति महोदय जी, आज हम सुरक्षित हैं। बी.जे.पी. शासनकाल में हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं थीं।

श्री पुन्नलाल मोहले :- भाटापारा में 8 साल की बालिका के साथ बलात्कार किया गया। बलौदा बाजार में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो भेजा गया, उसमें आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- ऊपर से लेकर नीचे तक काण्ड ही काण्ड होता था, तब सरकार कैसे मौन थी ?

सभापति महोदय :- कृपया बैठ जायें।

श्री पुन्नलाल मोहले :- पलारी में शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण किया गया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे बहुत प्रकरण हैं, जिस पर चर्चा होनी है। स्थगन को स्वीकार कर चर्चा करायें।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय सभापति जी, यह स्थगन गंभीर है और इस गंभीरता में समाज का वह 50 प्रतिशत हिस्सा, अपनी बात को रखने में कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। इस पर दो-तीन बिन्दु महत्वपूर्ण हैं। इसमें एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किया गया है। एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने के लिए से एक या दो जिले की उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस प्रकार की घटनाएं अपराध घटित हो रही हैं। महिलाओं की हालत ठीक नहीं है। आज पूरे प्रदेश में हमारी महिला मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया और उससे वहां पर उत्तेजना और माहौल बना, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं में असुरक्षा का भाव है। इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होगी तो अलग-अलग जिलों के सारे तथ्य सामने आयेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे सभी सदस्यों ने इस बात को कहा है कि छत्तीसगढ़ में महिला प्रताङ्का, महिला उत्पीड़न, महिलाओं का अपहरण, महिलाओं की हत्यायें।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- कल पूरा घुमा-घुमाकर 40 मिनट बोले, अब क्या बचा है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की हत्या, उनके साथ बलात्कार, अपहरण, उनको पत्थरों से कुचल देना इतनी लोमहर्षक घटनाएं हो रही हैं और उनके बाद भी ये शासन जागने को तैयार नहीं है, चेतने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। महिलाओं को सड़कों पर उत्तरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने पूरे 28 जिलों में आंदोलन किया। रायपुर में उन्होंने जेलभरो तक की तैयारी की है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को जगाने की जरूरत है कि जिस प्रदेश में महिलाओं का सम्मान नहीं है वह प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता और इस सरकार के राज में महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यजनक है इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसे ग्राह्य करके इसके ऊपर चर्चा करायें।

श्री कवासी लखमा :- झालियामारी के समय में क्या हुआ था?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, एक तो विषय है कि महिला का उत्पीड़न और महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उस पर चर्चा होना है इसलिए इससे उसके पूरे तथ्य सामने आ जायेंगे और महिला उत्पीड़न का यह जो ग्राफ बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण आयेगा। कृपया इसे चर्चा हेतु स्वीकार करिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप लगातार समाचार पत्रों में देखें, लगातार टेलीविजन में देखें और जब सो-उठकर देखेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित न हों कि अनाचार की घटनाएं नहीं घट रही हैं। इस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में आम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। जिस प्रकार से यहां गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, झांसा देकर ले जा रहे हैं, कल हम लोग कानून-

व्यवस्था की बात कर रहे थे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कल हम कानून-व्यवस्था की बात कर रहे थे, वी.आई.पी. रोड का जिक्र आया था। उसमें जाकर थोड़ा दिखवायेंगे कि क्या स्थिति राजधानी रायपुर शहर की बनी हुई है? भयावह स्थिति है। गृहमंत्री जी के कंट्रोल से बाहर है और गृहमंत्री जी का तो इसलिए है कि जैसे हम लोग जानते हैं वैसे ही गृहमंत्री जी जानते हैं कि कब उनके एस.पी. का कहां ट्रांसफर हो गया, कब एस.डी.ओ.पी. का ट्रांसफर हो गया। जैसा हम लोग पेपर में पढ़कर समझते हैं वैसे ही गृहमंत्री जी भी जानते हैं, [XX] गृहमंत्री करें क्या? [XX] हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 5300 से अधिक महिलाएं जिनमें 3000 से अधिक नाबालिक महिला और बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं हुई हैं। 4400 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई हैं और इसमें खासकरके एस.सी. और एस.टी. वर्ग प्रमुखता में हैं। सभापति महोदय, यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जब यहां पर प्रश्न लगाया जाता है तो प्रश्न के एक ही दिन में दो उत्तर आते हैं तो दोनों का अलग-अलग जवाब आता है। मैं उसको केवल आपके सामने कोड कर रहा हूं। 01 जनवरी, 2019 से 04 दिसंबर, 2020 की स्थिति में 4038 ये जवाब आया है और 30 नवंबर, 2020 की स्थिति में 4446 अपहरण की जानकारी आई है। इसी प्रकार से इसमें दूसरे प्रश्न में 2448 आया है। एक ही समान प्रश्न में अलग-अलग जवाब। मतलब ये सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं उसको छिपाने का प्रयास किया जाता है। आपके अधिकारियों में तारतम्यता नहीं है और लगातार इसको जो अलग-अलग इंगित किया जाता है ये प्रश्न के इनके जवाब में हैं मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। पूरे प्रदेश में आज जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, पूरे जन आक्रोशित हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में इसको लेकर धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, इनको चेतावनी दी गई है, लेकिन घटना अभी रुकी नहीं है। दिनदहाड़े घटनाएं हो रही हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार करें और ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराई जाए। हम बाकी तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारे सारे सदस्य यह चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।

सभापति महोदय:- आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया गया है। इस विषय को किसी अन्य माध्यम से सदन में चर्चा में लाया जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, ये महत्वपूर्ण विषय है, यदि महिला के अनाचार के ऊपर मैं यदि विधानसभा में चर्चा नहीं होगी तो कहां पर चर्चा होगी? आज महिलायें सुरक्षित नहीं हैं और इसलिए इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

सभापति महोदय :- अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी। श्री धनेन्द्र साहू। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12.16 बजे से 12.23 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही।)

समय :

12:23 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय सभापति महोदय, पूर्व में जो बातें कही गई हैं, उन्हें विलोपित किया जाए।

सभापति महोदय :- माननीय धनेन्द्र साहू जी।

समय :

12:23 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) नवापारा राजिम में महानदी पर निर्मित एनीकट से लेकर कुलेश्वर मंदिर तक सिल्ट जमा होना।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

नवापारा राजिम में महानदी पर निर्मित एनीकट से लेकर कुलेश्वर मंदिर तक बड़े पैमाने में रेत, मिट्टी, मुरम, कचरा मिक्स सिल्ट जमा हो गया है। कहीं-कहीं तो 2-3 मीटर ऊंचाई तक सिल्ट जमा हो गया है। यह एक धार्मिक स्थल होने के कारण यहां पर बारहों महिना लोग दर्शन करने एवं अस्थि विसर्जन के लिए बड़े तादाद में आते रहते हैं। वे लोग भी पर्याप्त जल भराव नहीं होने एवं गंदी बदबू से परेशान हो जाते हैं। मेले में कई वर्षों से जो मिट्टी और मुरम सड़क बनाने के लिए डालते थे उसके कारण ही सिल्ट का जमाव हुआ है। सिल्ट जहां जमा हुआ है, वह स्थान ऊंचा होता जा रहा है। इसलिए और अधिक मात्रा में तेजी से सिल्ट जमा हो रहा है। वर्तमान में मुरम से सड़क बनाना बंद हो गया है फिर भी सिल्ट जमाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नदी से बाकी हिस्से से यह जगह ऊंचा है। नदी का आधा हिस्सा राजिम नगर पंचायत एवं आधा हिस्सा गोबरा-नवापारा नगर पालिका के अंतर्गत आता है। सिंचाई विभाग को उक्त कार्य के लिए बजट नहीं मिला है। इसलिए सिंचाई विभाग नदी में जमा सिल्ट निकलवाने में असमर्थ है। इस सिल्ट को शासन के द्वारा निर्धारित रायल्टी पर अपने-अपने उपयोग के लिए लोग ले जाने को तैयार हैं। इसके लिए लोगों को भुगतान करने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि वे लोग सिल्ट ले जाने के बदले वाहन की क्षमतानुसार शुल्क देने को भी तैयार हैं। इससे शासन के राजस्व में भी इजाफा होगा। यदि शासन निःशुल्क लेने की अनुमति देता है तब भी लोग सिल्ट के रूप में जमा रेत, मिट्टी, मुरम कचरा को ले जाने तैयार हैं। इसके लिए शासन से किसी

प्रकार का भुगतान भी नहीं लेंगे। इससे नदी के दोनों किनारे जमा सिल्ट साफ हो जायेगा। राजिम और गोबरा-नवापारा दोनों तरफ के लोग विगत 8-10 वर्षों से उक्त रेत, मिट्टी, मुर्म, कचरा से भरा जमा हुआ सिल्ट निकालने की मांग लगातार कर रहे हैं, जिसके कारण पानी का भराव भी बहुत कम हो जाता है और नदी का पानी गंदा हो जाता है। पानी की सफाई नहीं हो पा रही है। गंदरी और बदबू के कारण लोगों का निस्तारी करने में परेशानी होती है, जिसके कारण शासन के प्रति लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

जल संसाधन मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नवापारा राजिम के पास महानदी पर राजिम एनीकट निर्मित है। राजिम एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जहां हर वर्ष माघी पुन्नी मेला का आयोजन होता है, इसके अतिरिक्त बारहों महीनें लोक कुलेश्वर मंदिर, राजीव लोचन मंदिर दर्शन करने आते हैं। पवित्र संगम स्थल में अस्थि विसर्जन का कार्य भी होता है। राजिम मेला में विभाग द्वारा अस्थाई जल कुण्ड का निर्माण कराया जाता है तथा मेला स्थल में राजिम एनीकट से महानदी पैरी संगम स्थल तक जल प्रदाय किया जाता है। दर्शनार्थियों, आम जनों को नदी के मध्यभाग में जाने हेतु रास्ता तैयार करने का कार्य विभाग से संबंधित नहीं है।

एनीकट के ऊपर भाग में सिल्ट का जमाव हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से नदियों में जल प्रवाह से होता है। नदी में रेती, मुर्म, मिट्टी सिल्ट जमा है इसका खनन कार्य व रायल्टी शुल्क के साथ परिवहन आदि का कार्य विभाग से संबंधित नहीं है। गंदे पानी की निकासी हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा ड्रेन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभी बातें स्वीकार की हैं। एक तो उस स्थान की महत्ता को भी स्वीकार किया है कि वह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां पर लोग बारहों महीने आते रहते हैं। उसके कारण पानी भी गंदा हो रहा है, वहां से दोनों नगरों की पेयजल योजना भी संचालित हो रही है। उस सिल्ट को लोग अपने खर्च से निकालकर ले जाने को तैयार हैं, यहां तो सिल्ट को निकालने में शासन का खर्च भी नहीं लगना है। यदि उसमें निर्धारित रायल्टी भी खनिज विभाग तय कर दे कि हम इसमें इतनी रायल्टी लेते हैं, हालांकि वह कचरा है, मिक्स है, खनिज विभाग मिनिमम जो भी रेट तय कर दे, उसको भी लोग लेने को तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं, सिल्ट निकालना भी उचित समझ रहे हैं तो कृपया खनिज विभाग को निर्देश कर दें उसका परीक्षण कर लें और उसको आवश्यक शर्तों पर निकालने के लिए लोगों को, किसी भी एजेंसी को या किसी भी ठेकेदार को निर्धारित कर दें। सिल्ट भी पूरी तरह से साफ हो जायेगी। नगर के दोनों तरफ डूबान की भी समस्या आती है, पेयजल की भी समस्या है। वहां बारहों महीने लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं, उनके लिए पानी की कमी है, इस समस्या से भी निजात मिल जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि खनिज विभाग

को निर्देशित कर दें कि निर्धारित नियम शर्तों के अधीन ले जाने के लिए एक एजेंसी को ठेका दे दें ताकि लोग वहां से सिल्क को खाली कर सकें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, दुर्ग में महामारा एनीकट में desilting का कार्य एकात जगह किया गया था। लेकिन महानदी में लगभग राजिम के ऊपर डूलना, मेघा, देवपुर, रुद्री, पैरी में, कोपड़ा, नवागांव, कुकदा, पारागांव और नीचे रावर, टीला, राजीव समोदा, समोदा और हर्दी इस प्रकार से 12-13 एनीकट और बराज हैं। सिलिंग की समस्या तो थोड़ी-थोड़ी सभी एनीकट में है। राजिम में सिलिंग की समस्या इसलिए भी ज्यादा है कि वहां कुछ दिन कुंभ का आयोजन हुआ, हम लोग राजिम माधी मेला करते हैं। स्ट्रक्चर तैयार होता है, मुर्म डाली गई, रेत का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, सड़कें बनाई गई, सिलिंग को तो मैं स्वीकार किया हूँ। यह भी सच्चाई है कि नीचे वॉटर सप्लाई का जो काम है, वह भी प्रभावित होता है। उसमें जितना पानी का भराव होना चाहिए, वह नहीं होता। लेकिन आपने कहा कि इसको desilting करने के लिए केवल रायल्टी में ईजाजत दे दी जाये, पूर्व में भी जल संसाधन विभाग के द्वारा स्टोरेज स्ट्रक्टचर की सूची तैयार करके खनिज साधन विभाग को भेज दिया गया है। और उनसे कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सब जगह शर्त है कि रेत की निकासी किस तरीके से कर सकते हैं। सामान्यतः उसकी शर्त यह है कि पूरी नदी के थ्री फोर्थ हिस्से में ही आप रेत का खनन कर पायेंगे उसके बाद उसका एरिया डिसाईड है कि आप किसी भी एनीकट या बैराज के 500 मीटर की परिधि के अंदर रेत का उत्खनन नहीं करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रियूबनल की जो शर्त है उसको हम लोगों ने माईनिंग डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि श्री धनेंद्र श्रेया आप सबसे वरिष्ठ हैं और आप कह रहे हैं कि केवल रायल्टी के आधार पर यदि ईजाजत दे दी जाये, नेशनल ग्रीन ट्रियूबनल की सीमाओं में रहकर तो हमने तो पहले भी माईनिंग डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है, आप जैसे वरिष्ठ माननीय विधायक के रूप में चूंकि आप सदन में कह रहे हैं तो मैं फिर से माईनिंग डिपार्टमेंट को लिखूँगा, सारे जो एनीकट है पैरी और महानदी की जो मेरी जानकारी में है, इसके अतिरिक्त भी यदि आप और जानकारी देना चाहें तो उसको मैं प्रेषित भी कर दूँगा और नेशनल ग्रीन ट्रियूबनल के इन नाम्स का पालन करते हुए उनको ईजाजत देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि वे इस बात से सहमत हुए हैं कि वे माईनिंग को पुनः निर्देश करेंगे कि उसको निर्धारित शर्तों पर डिशिलिंग किया जा सके। मैंने और भी बहुत सारे एनीकट को देखा है, अभी मैं गया था। पौँढ़र नदी में एक बैटूंगा एनीकट बना है, सिंचाई एक एकड़ नहीं होती। अभी एक बूँद पानी नहीं है लेकिन बारिश में हजारों एकड़ फसल डूब जाती है, केवल किस कारण चूंकि वह गलत जगह बना है और इतना शिलिंग हो गया है कि पूरा शिल्ट के कारण पानी पूरा खेतों में भर जा रहा है और लगभग रावण एनीकट, तिला एनीकट, निसदा बैराज, दुलना एनीकट में शिल्ट के कारण तो पूरी पेयजल स्कीम ही फेल हो गई है और कठौली,

दुलना के आसपास बड़े पैमाने पर डूबान आता है और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि राजिम, नवापारा के साथ-साथ पूरे पैरी नदी, सोंदूर नदी और महानदी में हमारे जितने भी एनीकट या बैराज बने होंगे यहां पर भी यदि खनिज विभाग को इसी के अनुसार डिशिलिटिंग करने की आपके सिंचाई विभाग के द्वारा उनको निर्देश मिल जाये तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा फायदा मिलेगा यह मैं निवेदन कर रहा हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जी । माननीय सभापति महोदय, हम निर्देश जारी करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी एनीकट, जितने बैराज, जितने डेम बने हुए हैं उनकी 25 प्रतिशत से ज्यादा केपेसिटी कम इसलिए हो गई है क्योंकि वहां पर शिलिटिंग हो गई है, अभी आधुनिक तकनीक आयी है, उस आधुनिक तकनीकी से हमको कोई रेत की खुदाई करने की आवश्यकता नहीं है, पानी के अंदर ही पाईप डालकर वह उसको डिशिलिटिंग करेंगे, जिससे पानी खाली करने की आवश्यकता नहीं है, बिना पानी खाली किए तो हम ग्रीन ट्रियूबनल के नियमों के तहत और आप तो वरिष्ठ मंत्री हैं, आप संसदीय कार्यमंत्री हैं । यदि आप यह जवाब दें कि हमने माईनिंग को लिखा है तो यह उचित नहीं है । संयुक्त जिम्मेदारी है, यदि आप इस बात का निर्णय लें तो इससे पूरे छत्तीसगढ़ का भला होगा । यदि डिशिलिटिंग होना शुरू हो जाए तो विशेष रूप से...।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी पूर्व कृषि और जल संसाधन मंत्री रहे हैं । इनके कार्यकाल में जितने एनीकट बने हैं सब तकनीकी वृष्टिकोण से पूरी तरह से फेल्योर हैं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- हां, असली कारण इन्हीं का है । 15 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया । पूरा पट गया ।

श्री धनेंद्र साहू :- कोई गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है । शिल्ट डिपॉजिट होने के पीछे कारण यही है कि आपका गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है, कोई गेट खुल नहीं रहा है। यदि वे गेट बारिश में खुले रहते तो शिलिटिंग होता ही नहीं । आपका एक भी गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है, आप दुलना में देख लीजिए । दुलना एनीकट में लगभग 76 गेट हैं, 76 गेट में मुश्किल से...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह मेरे से नहीं है, सरकार से है ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धुव :- राजाडेरा बांध का गेट भी खुल नहीं रहा है ।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल गड़बड़ किया है तो 2 साल में ही थोड़ी न होगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्नकर्ता भी यह जो ट्रैग्लूर बना है न, यह सब जल संसाधन में वे भी मंत्री रहे हैं और वे भी मंत्री रहे हैं इसलिए सबको जात है और इतने दिनों से नहीं होने का कारण भी सबको जात है और यह सच्चाई है, हमारे डेनसाईट, बैराज की साईड है, यह होता ही है, प्राकृतिक है, शिलिटिंग तो होना ही होना है लेकिन कुछ जगह जो श्री धनेंद्र भैया कह रहे हैं वह भी

सच्चाई है यानी स्थल का जो चयन है और जो डिजाईन किया गया है उसमें काफी त्रुटिया हैं, अब आप बता रहे हैं न, माननीय सिंचाई एक एकड़ में नहीं होती और हजारों एकड़ भूमि डूबान में आ जाती है तो इसकी किस तरह से वैकल्पिक सुधार हो सकता है इस पर विचार किया जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, आपके समय भी वही अधिकारी थे, मेरे समय भी वही अधिकारी थे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कहां कुछ कह रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कैसे शासन चलता है, यह आप भी जानते हैं । अब उसमें कितने एनीकट धनेन्द्र भड़या के सुझाव पर बने हैं यह वही जानते हैं । कोई मंत्री अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाता ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहां कुछ कहा । मैंने कहा आप भी जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा यह कहना है कि यह सिस्टम बहुत पहले नहीं था कि बिना पानी खाली किये डिसिल्ट किया जा सके । वर्तमान में बिना पैसा खर्च किए डिसिल्ट हो सकता है और उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है । यह आधुनिक तकनीक आई है उस आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मैंने अपने समय यह कार्यवाही शुरू की थी और इसको इस तकनीक का उपयोग करके करते हैं तो हमारे गंगरेल डेम की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके तांदुला की कैपेसिटी बढ़ेगी । विशेष रूप से राजिम हमारा तीर्थ स्थल है, वहां लोग अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो पता चलता है कि पानी नहीं है तो लोग दुखी होकर वापस आ जाते हैं । वहां पानी की व्यवस्था हो जाए । डिसिल्ट हो जाए तो वहां बारहों महीना पानी रहेगा । इसकी व्यवस्था आप करवा दें और मुझे लगता है कि तेजी से डिसिल्टिंग वाले कार्यक्रम को हमें साथ में लेना चाहिए । इसकी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने बड़े भड़या को पहले आश्वस्त किया और आपके सुझावों का सम्मान किया जाएगा ।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि बहुत से एनीकट ऐसे हैं, बारिश में जिनके गेट ऑपरेट नहीं होते, वे बंद हैं, उस समय फसल डुबान होता है । जब रबी में हमको पानी की जरूरत है तो उसमें एक बूंद पानी नहीं रुकता, ऐसे एनीकट को तो पूरा का पूरा डिस्मेंटल कर देना चाहिए । इस तरह से बड़े पैमाने पर है । बारिश के बाद एक बूंद पानी नहीं रुकता ।

श्री अमितेश शुक्ल (राजिम) :- सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि राजिम पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था का केन्द्र है । हमारे मंत्री जी बड़े धार्मिक और ज्ञान से ओतप्रोत हैं । जो सिल्ट की बात चल रही है, निश्चित रूप से उसे हटाना चाहिए । लेकिन शताब्दियों से जो वहां पुन्नी मेला चल रहा है, उस

नदी में कुछ गंदे नाले भी आ रहे हैं। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ जो कि बड़े ही आस्थावान् हैं, वे उन गंदे नालों को बंद करने की दिशा में कार्य करेंगे।

सभापति महोदय :- वह जवाब में आ गया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, राजिम से अमितेश जी का जुड़ाव है, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। उन नालों के बारे में जैसे स्ट्रक्चर की बात आप कहेंगे हम उसकी स्वीकृति करेंगे और उसको करेंगे।

(2) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता.

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- 29 जनवरी, 2021 को राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बंद कर दिया। धान का दाना-दाना खरीदी का वायदा कर, सत्ता हासिल कर, किसानों को दाना-दाना के लिए मोहताज कर दिया। 75 हजार से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तकनीकी समस्या बताकर धान नहीं खरीदा गया। 17 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों के खेत का रकबा आधा कर दिया। प्रदेश का एक भी किसान ऐसा नहीं है, जिसके पूरे खाते के धान की खरीदी की गई हो। बाकायदा मुख्यमंत्री निवास से रोज जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये कि वो स्वयं गिरदावरी करने जाएं और पटवारियों को धान का रकबा कम करने के निर्देश का सख्ती से पालन कराएं। इसका परिणाम भयावह और डरावना है, लाखों किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए बैंकों से कर्ज लिया, वो आत्महत्या को मजबूर हो गये। 62 हजार किसानों का कर्ज लेने वाले बड़े राजपुर (कोंडागांव) का धनीराम मरकाम आत्महत्या को मजबूर हुआ, कारण था उसके लगभग 7 एकड़ खेत का रकबा घटाकर पौन एकड़ कर दिया गया। यही नहीं राजनांदगांव के आसरा नामक गांव के किसन मूलचंद यादव ने भी फांसी लगाकर, तो गिधवा निवासी किरण साहू धान खरीदी केन्द्र पर सदमे से इहलीला खत्म कर ली। इसका कारण उनका धान नहीं खरीदने का जवाब उसे कलेक्टर्स से लेने में होने की बात कही गई, इस तरह इस सरकार की धान खरीदी ने प्रदेश के सैकड़ों किसानों की जान ले ली और लाखों किसानों को कर्ज में लाद कर सड़क पर खड़ा कर दिया। आधा अधूरा जो धान खरीदा गया, उसमें तौल में डंडी मारना, किसानों को बोरा न देना, खरीदी केन्द्र पर 8-10 दिन तक धान का तौल न करना आदि कई दिक्कतों का सामना किसानों को कराकर अपमान का घूंट पीना पड़ा। इसके चलते प्रदेश के किसानों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हेतु समय-सीमा 1 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी,

2021 नियत की गई थी। दिनांक 30 जनवरी को शनिवार एवं 31 जनवरी को रविवार अवकाश होने के कारण धान खरीदी का कार्य 29 जनवरी तक किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार शनिवार तथा शासकीय अवकाश के दिन धान की खरीदी समितियों में नहीं की जाती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व के वर्षों में भी शनिवार तथा शासकीय अवकाश के दिन धान की खरीदी का कार्य नहीं किया जाता रहा है।

वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदेश के 20.53 लाख किसानों से रिकॉर्ड 92 लाख टन धान की खरीदी सहकारी समितियों के माध्यम से की गई है। राज्य शासन की धान खरीदी नीति से उत्साहित प्रदेश के सर्वाधिक 21.52 लाख किसानों द्वारा इस वर्ष धान बेचने के लिए पंजीयन कराया गया तथा किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इस हेतु राज्य शासन द्वारा वर्तमान खरीफ वर्ष हेतु 263 नवीन धान खरीदी केन्द्र खोले गए हैं तथा कुल 2311 धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदी की गई है। अतः यह सही नहीं है कि धान बेचने के लिए इच्छुक एवं पंजीकृत किसानों से सरकार द्वारा धान की खरीदी नहीं की गई है तथा प्रदेश के किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा गया है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में धान बेचने हेतु पंजीकृत 21.52 लाख किसानों में से 20.53 लाख अर्थात् 95 प्रतिशत किसानों द्वारा धान का विक्रय किया गया है। अतः यह सही नहीं है कि तकनीकी समस्या बताकर किसानों से धान की खरीदी नहीं की गई है। यह सही है कि राज्य शासन द्वारा धान की खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु धान के रकबे की गिरदावरी कराए जाने के निर्देश दिए गए थे ताकि केवल वास्तविक किसान से उनके द्वारा बोए गए धान के सही रकबा के अनुसार धान की खरीदी सुनिश्चित हो सके। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान के पंजीकृत रकबा में 3.97 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है अतः यह सही नहीं है कि 17 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों के खेत का रकबा आधा कर दिया गया है और धान की गिरदावरी के कारण लाखों किसान आत्महत्या को मजबूर हो गए।

कोंडागांव जिले के निवासी मृतक श्री धनीराम मरकाम की आत्महत्या के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, केशकाल के जांच प्रतिवेदन अनुसार मृतक अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के कारण अवसाद ग्रस्त थे, राजनांदगांव जिले के निवासी मृतक श्री मूलचंद यादव सेवा सहकारी समिति कोकपूर के आश्रित ग्राम आसरा के निवासी थे तथा धान विक्रय के लिए इस समिति के पंजीकृत किसान नहीं थे, जबकि मृतक श्री करण साहू द्वारा दिनांक 8 दिसंबर, 2020 को अपना धान विक्रय के लिए धान उपार्जन केंद्र में लाया गया था एवं तौल के उपरांत उनका धान खरीद भी लिया गया था, किंतु धान की तौल के बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया था जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।

प्रदेश के सभी धान खरीदी केन्द्रों में स्थापित तौल उपकरणों का सत्यापन नापतौल विभाग के अमले के जरिए धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही करा लिया गया था। वर्तमान खरीफ वर्ष में धान

खरीदने के लिए भारत सरकार से पर्याप्त बारदाने प्राप्त ना होने के बावजूद राज्य शासन द्वारा एचडीपीई बैग, मिलर्स के पास उपलब्ध पुराने बारदाने तथा किसानों के बारदानों में धान क्रय करने की वैकल्पिक व्यवस्था की ताकि किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धान खरीदी सुगमता से हो सके इस हेतु धान खरीदी के पूर्व किसानों के टोकन जारी किए गए। अतः यह सही नहीं है कि धान खरीदी में तौल में गड़बड़ी, तौल में विलंब, बारदानों को लेकर किसानों हेतु समस्या उत्पन्न की गई, अपितु सही यह है कि किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान पर समुचित मूल्य प्राप्त हो रहा है एवं यह राशि प्रदेश में खेती को लाभदायक बनाने और किसान को क्रृषि से मुक्त कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में भी सहायक होगी। वर्तमान खरीफ वर्ष के दौरान धान बेचने के लिए इच्छुक पंजीकृत सभी किसानों से धान की खरीदी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् अब तक सर्वाधिक 92 लाख टन धान की खरीदी की गई है, अतः किसानों में कोई रोष या आक्रोश नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कुल कितने किसान हैं और उनका कुल कितना रकबा है?

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों की संख्या 21,52,986 और कुल रकबा 27,92,806.44 हेक्टेअर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मंत्री जी, लगता है कि आपने प्रश्न ठीक से नहीं सुना। छत्तीसगढ़ में कुल कितने रकबे में इस समय धान बोया गया था और कितने किसानों ने धान बोया था, मैं इसकी जानकारी चाहता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं, वह कृषि मंत्री रहे हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं और पूरी तैयारी के साथ आये हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, वह केवल पंजीकृत किसानों की संख्या और रकबा के बारे में प्रश्न किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में कितने रकबे में खेती-किसानी होती है, उसके बारे में पूछेंगे तो वैसे तो यह कृषि विभाग से संबंधित है। वैसे यह लगभग 35 लाख हेक्टेअर होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो सभी विभागों में खड़े होकर बोलते हो, क्यों टाल रहे हो? बता दो।

श्री अमरजीत भगत :- बता तो दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा कौन सा विभाग है, जिसमें आप खड़े होकर नहीं बोलते।

श्री अमरजीत भगत :- आप भी तो हर विभाग में बोलते हो।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- एकर से तोला कौन से विभाग के प्रश्न करना है?

श्री अजय चन्द्राकर :- भगवान तोला सदबुद्धि दे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कौन सा प्रश्न पूछना है, ओला पूछ ले, सबके जवाब मिल जही ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में 2020-21 में कुल कितने किसान हैं, जिन्होंने धान बोया था और कितने रकबे में बोया था, मैं इसकी जानकारी चाहता हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं उन्हीं की बात को उनको स्मरण करा रहा हूँ कि हमारे पास जो रिकार्ड है, जो हमारे पास पंजीकृत किसान हैं, उनकी संख्या है, उनके रकबे की संख्या है और कितने किसानों ने कितना धान बेचा है, उसकी जानकारी है । अगर आपको शेष जानकारी लेनी है तो आप कृषि विभाग से जानकारी मांगिए, वह कृषि विभाग से मिलेगा । जो धान बेचने वाले किसान हैं, पंजीकृत किसान हैं, मेरे पास उनका रकबा इंगित है । अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि कितने धान की खरीदी हुई है, कितने धान का उठाव हुआ है, कितना मिलिंग हुआ है, केन्द्र से हमें क्या सहयोग मिला है, नहीं मिला है, मैं पूरा चीज बता दूँगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है । हम जिस चीज की जानकारी चाहते हैं, वह हमें नहीं मिलता है । हमारा यही तो कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में बैठते थे, तब वे स्वयं कहते थे कि छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं और 39 लाख किसानों में से 46 लाख एकड़ में खेती होती है । जब 46 लाख एकड़ में खेती होती है, आपने 21 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया तो बाकी किसानों का धान कहां गया ? आप राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 10 हजार रूपए प्रति एकड़ दे रहे हैं तो जितने भी किसान 49 लाख एकड़ में खेती कर रहे हैं, उन सबको राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आप 10 हजार रूपए प्रति एकड़ देंगे क्या ?

समय :

12:49 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन श्रेया, यहां सबको फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता है । आप किसी के ऊपर जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते कि आप धान बेचो । जिसको बेचना होगा, वह धान बेचेगा । सरकार की योजना है, तिथि निश्चित कर दी गई है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक पंजीयन होगा । जिसको धान बेचना है, वही तो पंजीयन करायेगा । हमारे पास आपको जो रिकार्ड मिलेगा, जो पंजीकृत किसान हैं और रकबा है, वह आपको मिलेगा । आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं, उससे वह उद्भूत ही नहीं होता है कि शेष किसान कहां गये ? हमारे पास आपको जो पंजीकृत किसान हैं, बेचने वाले किसान हैं, उनका रकबा और कितना धान बिका, ये सब जानकारी मिलेगी । अगर शेष जानकारी आपको पूछना है तो जो बताया है, वहीं से आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। आप जरा इस बात की जानकारी देंगे कि अगर छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं तो राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ क्या सभी किसानों को नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा ?

श्री अमरजीत भगत :- मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं। ये जो पंजीकृत किसान हैं, धान बेचने के लिये हमारे विभाग में उनका पंजीयन किया गया। उनसे धान खरीदी की गयी और अभी तक की सर्वाधिक जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उससे आप शुरू से लेंगे तो किसानों की संख्या पंजीयन में वृद्धि, रक्बा में वृद्धि, धान खरीदी में वृद्धि हुई है। आप जो शेष प्रश्न बोल रहे हैं, वह उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना को कृषि विभाग देखता है। आपको अगर जो जानकारी चाहिए तो आप उसको कृषि विभाग से पूछिये। आपको विस्तृत जानकारी कृषि विभाग से मिलेगी। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, आपको वे अच्छी तरह जानते हैं। (हंसी) अब शून्यकाल की सूचनाएं..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। हमारा यही तो कहना है कि एक-एक किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि प्रत्येक पर एकड़ में हम 10 हजार रूपये राजीव गांधी किसान न्याय योजना का फायदा देंगे। उसका फायदा सभी किसानों को नहीं मिला रहा है। चलिये, ये प्रश्न में आपसे संबंधित पूछ लेता हूं। कितने किसानों की गिरदावरी की गयी और गिरदावरी करने का अधिकार किसको है, ये बता दीजिए ?

श्री अमरजीत भगत :- देखिये, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, वह वास्तव में एकटम सही है और बहुत अध्ययन करके कर रहे हैं। आपको उत्तर भी उसी ढंग से मिलेगा कि गिरदावरी करने के लिये (हंसी) ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब नियम 267 के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप भी पूरा अध्ययन करके आये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- गिरदावरी करने की पूरी जवाबदारी राजस्व विभाग की है और जिला कलेक्टर की है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप पुन्नूलाल जी से शिक्षा लेकर आये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- या तो उनकी पुन्नूलाल जी के साथ क्लास लगवा दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- उनका पुराना विभाग तो रहा ही है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपकी गिरदावरी हुआ ही नहीं है। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो आप कोई व्यवस्था दें कि मैंने जितनी जानकारी मांगी है तो जानकारियों को माननीय मंत्री जी उपलब्ध करवायें। मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी ही तो मुख्य है, गिरदावरी के कारण रकबा कट गया। किसान परेशान हैं।

श्री अमरजीत भगत :- मूल प्रश्नकर्ता का तो उत्तर सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बैठिये। नियम 267 'क' के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं। निम्नलिखित सदस्य की सूचना...।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसान के...।

उपाध्यक्ष महोदय :- सदस्य की सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी। आदरणीय बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- महत्वपूर्ण विषय है, किसानों से संबंधित मामला है। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, किसानों से संबंधित मामला है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको आपको व्यवस्था करना चाहिए कि मंत्री जी ने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष जी, अभी भी लाखों किसान वंचित हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय आप लोग बैठिये। मैं उत्तर दे रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि छत्तीसगढ़ के लाखों किसान वंचित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल भैया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी के जवाब नहीं आने के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- सुनिये तो।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

समय :

12:54 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया।)

समय :

12:54 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा।

1. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
2. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र, सदस्य
3. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
4. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
5. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य

समय :

12:54 बजे

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

उपाध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि -

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 6, 7, 10, 24, 41, 47, 58, 64 एवं 71 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर पांच सौ पांच करोड़, सात सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- यह गलत अनुपूरक है। मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि..।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिये।

श्री बृहस्पति सिंह :- सभापति महोदय, हर बात में व्यवधान करने का ठेका ले लिया है क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, आप बोलिये। श्री अजय चन्द्राकर जी, अनुपूरक पर बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अनुपूरक पर ही बता देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका नाम है, आप बोलिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अनुपूरक पर ही व्यवस्था का प्रश्न किया हूं। मांग संख्या-58 कल प्रस्तुत हुआ, कल वितरित हुआ, हम आज पढ़े हैं। मुख्य शीर्ष 2245, मद्र क्रमांक- 1 से 6, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षति के लिए 16 सौ लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है, पहला लाईन। दूसरा लाईन है- अतः इस प्रयोजन हेतु 16 सौ करोड़ रुपया आवंटित किया जाये। 16 करोड़ की जगह, कुल 11 अंक है, यानि 16 सौ करोड़ रुपये चाहिए या 16 करोड़ रुपये चाहिए ? यह इसमें प्रिंट है। यह गलत बजट है। गलत बजट पर कैसे चर्चा होगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओती तोर डहार ले 10 बार टंकण त्रुटि होवत रहिस हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- इसीलिए चर्चा हो रही है कि आप चर्चा में बोलें। चन्द्राकर जी, इसीलिए आप चर्चा में बोलें।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अभी तो इन्ट्रायूज करेंगे न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसके बाद बोलेंगे कि प्रस्तुत हो गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, नहीं। प्रस्तुत हो गया। आप अपनी बात कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिये। गलत बजट पर चर्चा होगी ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो आप स्पष्टीकरण दीजिये। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- तो आप अपनी बात कहिये न।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या सही, क्या गलत, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप तो बहुत ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं। अगर पांच सौ करोड़ के बजट में 16 सौ करोड़ रुपया प्रिंट हो गया है, तो उसका सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी करवाईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- हो जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सुधार हो सकता है तो आप उसको प्रमाणित मत करिये। माननीय सदस्य इंगित कर रहे हैं। यह पूरा अनुपूरक डिफण्ड हो जायेगा। अगर 16 सौ करोड़ को 16 करोड़ करने की आवश्यकता है, तो उसको सुधार करवा लिया जायेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं होगा, सदन दो मिनट के लिए स्थगित होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि उसकी जगह यह प्रिंट हो गया, इसको सुधार किया जाता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई गलत बजट नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप देख लीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- देखेंगे न। आप अपने भाषण में बता दीजियेगा, देखेंगे। उसमें क्या बात है ? अनुपूरक प्रस्तुत हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाषण का विषय नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- ऐसा नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच सौ करोड़ के अनुपूरक में 16 सौ करोड़ दे रहे हैं। यही तो व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दोनों में से क्या सही है और किस पर बहस करें ? दोनों में कौन सा सही है और किस पर चर्चा करें, आप यह बता दीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- 16 सौ करोड़ पर बहस करना है या साढ़ पांच सौ करोड़ पर, इसको स्पष्ट किया जाये ?

श्री अमरजीत भगत :- आपको यह बताया कौन ? यह तो आपका विषय नहीं रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं शुरू करूंगा, यदि मैं बात करूंगा तो कौन सी चीज सही है और मैं किस पर बात करूंगा ? यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जवाब बाद में आयेगा। साढ़े पांच सौ करोड़ पर चर्चा करना है या सोलह सौ करोड़ रुपये के अनुपूरक पर चर्चा करना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- 16 करोड़ पर चर्चा करना है या 16 सौ करोड़ पर चर्चा करना है ?

श्री बृहस्पति सिंह :- उपाध्यक्ष जी, चर्चा के लिए ही तो आया है न। जितना चर्चा करना है, खूब चर्चा करें। आपको जो बोलना है, उसको बोलो न, इसीलिए तो अनुपूरक आया है। छेड़ने की क्या जरूरत है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, चलिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको करेक्ट करवाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप व्यवस्था दीजिये न। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आपने स्वीकार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आयेगा, उसमें आपको बता देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार किया है। आप इस पर व्यवस्था दीजिये कि यदि मैं चर्चा शुरू करूंगा तो कौन से आंकड़े पर शुरू करूंगा ? वह आपके हाथ में नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- गलत बजट पर कभी चर्चा नहीं हुई है। इस बजट पर कैसे चर्चा करेंगे ? आपने व्यवस्था सुना, मुझे व्यवस्था दीजिये। आप व्यवस्था दे दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चर्चा शुरू करूँगा। कौन से आकड़े सही हैं ? तो हम किस पर चर्चा करें, आप व्यवस्था दे दीजिये, हम मान लेंगे। हमको कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह कोई नई बात करें। आपकी सरकार में भी त्रुटि सुधार हुआ है।

श्री नारायण चंदेल :- अगर टंकण त्रुटि हुई है तो उसको सुधार दें।

श्री अमरजीत भगत :- हो गया है तो उसको सुधारकर पढ़ो न। उसमें दिक्कत क्या है ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि टंकण त्रुटि हुई है तो उसको सुधार दें।

श्री अमरजीत भगत :- हो गया ना, उसको सुधार कर पढ़ो ना, उसमें दिक्कत क्या है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सुधारकर पढ़ लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जायेगा, भाई। आप सुधारकर पढ़ लीजिए। आपको बोलने का मौका तो दिया जा रहा है ना, आप अपनी बात बोलिएगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आ जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, ये मामला चूंकि बजट का है इसलिए हमको कम से कम सदन के फ्लोर पर स्पष्ट होना चाहिए, आप करवा दीजिए, चर्चा शुरू हो जायेगी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पृष्ठ क्रमांक 13 में मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2245 मद क्रमांक 1 से 6 अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षति के लिए 1600 लाख रूपये लिखा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इन्होंने स्वीकार किया है, आपकी व्यवस्था आ जाए तो उसमें आगे बढ़ूँगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, अगर एकाध दो शून्य आगे पीछे हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। सुधारकर पढ़ें ना। इसीलिए तो आपको भाषण में बोलने का मौका दिया गया, आप अपने भाषण में बोल लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- नीचे का मत पढ़ो, ऊपर का पढ़ो ना। जब ऊपर से ही काम चल रहा है तो नीचे क्यों जा रहे हो। ऊपर में 1600 लाख लिखा हुआ है ना।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप तो रकबा कटने का उत्तर दे नहीं पा रहे हो कि कितने किसानों का रकबा कटा है। किसका रकबा कटा है बता दो ना।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उसमें ऐसा क्या है, 1600 करोड़ रूपये लिखा हुआ है। उसमें बिंदु लगा लीजिए ना। बोल तो रहे हैं कि बिंदु लगा लीजिए कि 1600 करोड़। बिंदु का फर्क है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक संशोधन पढ़ दें कि मांग संख्या 58, मुख्य शीर्ष 2245 में 1600 करोड़ के स्थान पर 16 करोड़ पढ़ा जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय आप लोगों की ओर से सुझाव आ जाए। माननीय आप लोगों की ओर से आपके भाषण में आ जाए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- रूपये, पैसे के बिंदु का फर्क है, और फर्क नहीं है। बिंदु का फर्क है और कुछ नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा 1600 लाख और 16 करोड़ में क्या अंतर है?

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि इसमें 1600 लाख लिखा गया है पर इसमें बिंदु के हिसाब से मिस प्रिंटिंग है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- इसमें लिखा है कि इस प्रयोजनों हेतु 1600,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है यह लिखा हुआ है।

श्री अमरजीत भगत :- 1600 लाख लिखा हुआ है। अजय भाई, केवल आप ही पढ़े-लिखे नहीं हो। 1600 लाख लिखा हुआ है उसको पढ़ो ना।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें करेक्सन आ जाए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब से ये मंत्री पद से हटे हैं तब से इन लोगों की ये स्थिति बन गई है। इन लोगों को हिसाब-किताब करना नहीं आ रहा है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- हम चेक में अगर साईंन करते हैं तो शब्दों में जो लिखते हैं वह मान्य है या नहीं है? शब्दों में हमने साफ लिखा है कि 1600 लाख।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ऊपर में पढ़ ना, 1600 लाख लिखे हैं। नेता जी, ऊपर में लिखा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी इसको पढ़कर देख लें, शब्दों में लिखे हुए हैं। शब्दों को पढ़कर देख लें। शून्य जो भी हैं लेकिन शब्द सही है, शब्द को पढ़कर देखिए। बात का बतंगड़ करना कोई सीखे तो सीखे चंद्राकर जी से।

श्री अमरजीत भगत :- 1600 लाख और 16 करोड़ में क्या अंतर है? जब ऊपर में लिखा है तो नीचे क्यों जा रहे हो।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ऊपर क्वालीफाई कर रहा है। लिखे हुए को शब्द क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है।

श्री शिवरत्न शर्मा :- अमरजीत जी, आपको अगर हिसाब-किताब करना आता ना तो आपके विभाग का हिसाब-किताब दूसरा व्यक्ति नहीं करता।

श्री अमरजीत भगत :- मेरे विभाग का हिसाब-किताब आप करते हैं क्या?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी और ओखर सब संगवारी मन मंत्रिपद से हटे हैं तब से हिसाब-किताब भुला गेहैं। ऐखर मन के गणित गड़बड़ा गेहैं।

श्री शिवरत्न शर्मा :- तोला हिसाब-किताब करे ला बहुत आथे भैय्या।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोला त आथे, मोर चिंता मत कर तैं ह।

श्री शिवरतन शर्मा :- हाँ, पूरा-पूरा। गुलाबी नोट के खूब हिसाब-किताब होथे तोर मेरा। मोला मालूम है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेज क्रमांक 13, मांग संख्या 58, मुख्य शीर्ष 2245 में रूपये 16,00,00,00,000 के स्थान पर 16,00,00,000 करोड़ पढ़ा जावे।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिए हो गया और क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी।

श्री अमरजीत भगत :- इतने में खुश?

श्री अजय चन्द्राकर :- इतने के लिए इतना लम्बा क्यों खिचें ? हम तो तैयार थे। ये हैं घुमावदार मंत्री। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी कब तक मेरी मुर्गी की तीन टांग बोलते रहेंगे ? मुर्गी की तो दो ही टांग होती है। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तृतीय अनुप्रूक बजट में क्या बोले ? इसमें छत्तीसगढ़ की दुर्दशा झलक रही है। आप एक लाईन में इस बजट को पढ़ें। पहले पृष्ठ में ...।

श्री बृहस्पत सिंह :- भाई, कभी तो शुभ-शुभ बोलिए। आप हर जगह दुर्दशा ही बोलते हो। आप कभी तो शुभ-शुभ बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है आप रामविचार नेताम, दोनों जो हैं जंतर मंतर करवाओ और वहीं भीड़ रहो। ⁴[XX] ज्यादा खड़ा होना है तो उसके साथ उधर हुआ करो।(व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय सदस्य को धमकाया रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जंतर मंतर में आपको भेजेंगे। (व्यवधान)

महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबंध (डॉ. रशिम आशिष सिंह) :- भईया [XX] किसको बोलते हैं? आप किलयर करिये। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह आधुनिक युग है।

श्री सौरभ सिंह :- कई तरह की भाषाएं हैं। प्यार मोहब्बत की भाषा है। (व्यवधान) जो बात है, वह बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाषा कई प्रकार की हो सकती है। बात लम्बी मत जाये।

⁴ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिस भाषा में बात हो जाए, उसमें क्या है? सरगुजिया में भाषण दे देंगे। गोंडी में भाषण दे देंगे। छत्तीसगढ़ी में भाषण दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप लोग बैठिएगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह माफी मांगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी खड़े हो तो इनको खराब लगता है और हर समय, हर किसी के टर्न में खड़े हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप लोग बैठिएगा। माननीय मंत्री जी आप बैठिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तैं सवन्नी समझ ले हस का ?

उपाध्यक्ष महोदय :- पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्यों से निवेदन है ..।

श्री अरुण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हम देख रहे हैं कि पिछले दो वर्षों से सत्य को असत्य में बदलने में आपने महारथ हासिल की है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवन्नी नहीं है। यह सब को सवन्नी समझ लिये हैं ऐसा लग रहा है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को धमकी दिये हैं वह माफी मांगे तब सदन चलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह क्यों माफी मांगे ? किस बात की माफी मांगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- वह क्या माफी मांगे ? (व्यवधान)

डॉ. रशिम आशिष सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन में मौजूद नहीं है, वह रामविचार नेताम जी का नाम भी लिया गया है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह वरिष्ठ सदस्य हैं। एक मर्यादा होती है। वह धमकी देंगे क्या ? (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह चर्चा की शुरूआत कर रहे हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप सही भाषा का उपयोग करिये।

श्री अरुण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष की भाषा को देखकर यह लग रहा है कि 'खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे'। आपने कुछ नहीं किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कर रही है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो शब्द कहा है, उसको विलोपित किया जाता है और निवेदन है कि संयमित होकर बात करें।

श्री मोहन मरकाम :- आप महामंत्री, सवन्नी समझ लिये क्या ? आप वैसे ही धमकी देतो हो, हमको धमकी मत दीजिए। हमारे सदस्यों धमकी मत दीजिए। हमको भी आता है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी धुव :- हम गांव का विकास कर रहे हैं। जादू मंत्र का नहीं। जंतर-मंतर का नहीं। ग्रामीण जनता का विकास कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम सब लोग आप पर आश्रित होते हैं और आसंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन भरे सदन में इस तरह की धमकी दी जाना, यह बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी धुव :- जंतर मंतर का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। (व्यवधान) तंत्र मंत्र का प्रयोग भाजपा करती है। कांग्रेस नहीं। कांग्रेस केवल विकास की बात करती है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको धमकी देना, यह बहुत ही गंभीर बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि उस शब्द को विलोपित किया गया है। दूसरी बात जैसा मैंने कहा है कि माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संयमित होकर बात करें। अजय चन्द्राकर जी बोलिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा के अंदर कहते हैं कि ⁵[XX] में बात करेंगे। ये कौन सी भाषा में बात करेंगे ? ये तेलगु जानते हैं क्या ? ये क्या जातने हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- उसे विलोपित किया गया है।

श्री शिवरत्न शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम हल्बी, गोंडी में बात करेंगे और जिस भाषा में समझ आये उस भाषा में बात करेंगे।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो धमकी हो गई।

श्री शिवरत्न शर्मा :- कवासी जी प्रेम से बोलिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेम से बोल रहा हूँ। यह [XX] में बात करेंगे। आप कौन सी भाषा में बात करेंगे ?

श्री शिवरत्न शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम हल्बी, हिंदी, गोंडी में बात करेंगे और जिस भाषा में समझ आये उस भाषा में बात करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय शिवरत्न जी, यदि अंग्रेजी में बात करेंगे तो आप बात करेंगे क्या ?

श्री सौरभ सिंह :- हाँ हम बात करेंगे। आप जवाब देंगे ? हम अंग्रेजी में बात करेंगे। आप भोजपुरी में बोलेंगे हम भोजपुरी में बात करेंगे।

श्री अरुण वोरा :- मुख्यमंत्री जी ने वैसे अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुलवा दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आप बहुत खड़े हो रहे हैं।

⁵ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात बहुत खड़े होने की नहीं है। वे माफि मांगें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं और उतने ही सम्मानित प्रत्येक सदस्य हैं जो इस सदन में चुनकर आये हैं। जिस तेवर, जिस भाषा में उन्होंने बृहस्पत सिंह जी को कहा कि रामविचार और आप क्या करते हो, उसके बात में फिर दूसरी भाषा में बात करूंगा, ये लहजा भी नहीं हो सकता, ये भाषा भी नहीं सकती। मैं समझता हूं कि वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी ने उसको विलोपित कर दिया है तो मुझे लगता है कि विलोपित करने के बाद समाप्त हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी से उदारता से बात कर रहा हूं। मैं उदारता की प्रशंसा कर देता हूं। यदि मेरी बॉडी लैंग्वेज, भाषा सही नहीं है तो वह किन कारणों से निकली? यदि वह मुझसे अपेक्षा करते हैं तो शायद अपने माननीय सदस्य से अपेक्षा करनी चाहिए कि कौन सी भाषा, किस प्रकार से कहें। मैंने उनसे पहले कहा कि आप कम से कम अच्छी भाषा तो बोलिये जो भाषा वह उपयोग कर रहे थे। उस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जब भी हम खड़े होते हैं तो व्यवस्था के तौर पर बात करते हैं, वह बात आसंदी के ऊपर आती है, वह व्यवस्था देते हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अजय जी, यह बता दीजिए कि क्या उन्होंने असंसदीय भाषा बोली थी?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कह दें, मुझे सदस्यों के लिए करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबका मान-सम्मान करता हूं और आज सुबह भी मैंने कहा और यह बात सबके लिए लागू होनी चाहिए, मेरे लिए भर लागू नहीं होनी चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि कभी तो शुभ-शुभ बोला करो। उसमें कौन सी आपत्तिजनक बात हो गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बात शुरू की थी, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा दिखती है।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन एक बात है कि आप जब भी बोलें तो सीट के अंदर रहकर ही बात करें, आप सीट से बाहर निकलकर बात करते हैं। वह ठीक नहीं है। आप थोड़ा सीट के अंदर रहकर बात करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह जो 4 फिट का गेप दिया है, उन्हीं के लिए दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय परंपरा में आसंदी की ओर देखकर ही बात की जाती है। मैं उधर ही देखकर बात करता हूं। आप अनुपूरक बजट की पुस्तक को देखेंगे तो पूँजीगत व्यय के लिए 300 रुपये का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के 28 राज्यों में तृतीय

अनुप्रूपक कहीं से मंगवाकर देख लीजिए जिसका पूँजीगत व्यय 300 रुपये रखा हो। आप पहला पेज देख लीजिए। अब इस प्रदेश के विकास के लिए हम क्या सोच सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कहां जायेगा? ये बातें इसलिए होती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, सरकार के राजस्व व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। आने वाले समय में 300 रुपये के पूँजीगत व्यय में राजस्व घाटा ओर बढ़ेगा। पूँजीगत व्यय में वृद्धि नहीं हो रही है तो उसका प्रभाव जी.डी.पी. पर भी पड़ेगा। सकल उत्पादन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की दो कहावत बहुत उम्दा हैं। इस बजट में चर्चा के लायक कुछ नहीं है। सब कार्य विभागीय बचत से पूरे किये जायेंगे। किसी विभाग को पैसा आवंटित नहीं है। कौन सा कार्य विभागीय बजट से पूरा हो जायेगा। माननीय टी.एस.सिंहदेव जी, डॉ. शिवकुमार डहरिया जी को बजट दिया है, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी को प्राधिकरण का बजट दिया गया है। इनको मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का और उनको अधोसंचरना का पैसा दिया गया है। है। यह बताईये कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है? यदि विभागीय बजट से खर्च किये जायेंगे तो विभाग के पास पैसा हो, अभी जब मैं बजट आयेगा तो पता चल जायेगा कि कितना प्रतिशत पूँजीगत व्यय का और कितना प्रतिशत राजस्व व्यय का खर्च हुआ है। इसमें 5 हजार से कुछ ऊपर करोड़ लिखा है, वह बजट आयेगा, विभागीय बचत से व्यय किया जायेगा, 1 रुपया, 2 रुपया आखिरी पेज में प्रतीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। किसी भी जनआकंक्षाओं पर यह सरकार खरा नहीं उत्तर सकती। इनके जनघोषणा-पत्र पर खरा नहीं उत्तर सकती। अब जो मैं कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक व्यक्ति ने गोबर बेचकर मोटर साइकिल लिया, एक तो विकास का वही पैमाना हो सकता है। एक बोलते हैं कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने से बाजार में मांग उत्पन्न हुई हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि कल हम कानून व्यवस्था में चर्चा कर रहे थे, 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, बाबा साहब आपने 2500 रुपये लिखा है न, उनको 2500 रुपये और दो दीजिए, मांग उत्पन्न हो जायेगी। आपको एक ही काम करना है, कर्जा लेना है। बस कर्जा लेना है, उसमें और कुछ नहीं है तो ढाई हजार बेरोजगारों को दो दो, ऑटोमोबाईल की बिक्री और बढ़ जाएगी। कर्जा, राजस्व इस पर और जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति नहीं मिली इस पर तो मैं मुख्य बजट में बात करूँगा कि केंद्र सरकार ने दो विकल्प दिये हैं और दोनों विकल्प के क्या-क्या प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे आप बताएंगे, जब मुख्य बजट प्रस्तुत होगा न। आप बार-बार यह बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने हमको इतना पैसा नहीं दिया, उतना पैसा नहीं दिया इस पर हम उसमें चर्चा करेंगे। आप कर्जा लेने के लिये बहाने बना रहे हैं, आपने जो बजट प्रस्तुत किया है किसी भी समय आपकी ताकत नहीं थी, आपका कुछ भी नहीं था, आपने कर दिया, कर दिया कोई बात नहीं अब विनियोग का जहां तक सवाल है। विनियोग पर साथ-साथ चर्चा करने की परंपरा है, धान खरीदी में बता रहे हैं कि इतने लाख इस पर भी मैं बाद में चर्चा करूँगा कि राजीव गांधी न्याय योजना धान खरीदी में केंद्र सरकार के साथ इनके

एम.ओ.यू. क्या हुए थे ? और राजीव गांधी न्याय योजना में इन्होंने क्या किया है, यह बाद की चर्चा है, 5000 करोड़ के बजट में इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती लेकिन बोनस देने या नहीं देने और इन्होंने गौधन न्याय योजना को किस स्वरूप में लागू किया है और 6000 किसान सम्मान निधि किस स्वरूप में है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सारी गलती उन कागजों की, उन दस्तावेजों के अध्ययन के पास इनके राजनीतिक कारणों से यह प्रदेश गर्त में जा रहा है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप पक्ष में हैं कि नहीं ? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को मिलनी चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं कि विरोध में हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने तो बोला है कि मैं इस पर बाद में चर्चा करूँगा। मैं पक्ष-विपक्ष उस दिन बताऊंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप अभी बता दें कि आप पक्ष में हैं कि विरोध में हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- यदि आप किसानों को शत्-प्रतिशत देंगे तो हम पक्ष में हैं शत्-प्रतिशत किसान, खाली पंजीकृत किसान नहीं।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो दिल्ली को लिखते क्यों नहीं ? देंगे क्या दे रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप शत्-प्रतिशत किसान को नहीं दे रहे हैं। यदि आप शत्-प्रतिशत किसान को देंगे तो हम उसके पक्ष में हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- वहां शिकायत करते।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप शत्-प्रतिशत कहां दे रहे हैं, अभी तो आधे को दे रहे हैं। 40 लाख किसानों में से आप कुल 20 लाख किसानों को दे रहे हैं, 20 लाख किसानों को नहीं दे रहे हैं। आप शत्-प्रतिशत किसानों को दीजिए, हम आपके समर्थन में हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या कभी आपने वापिस पन्ना पलटा है, आप 40 लाख किसानों की बात कर रहे हैं। आपके शासनकाल में 12 लाख की धान खरीदी करते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने 80 लाख तक खरीदा है, आप जब आये थे तो आप पहले 5 लाख ही खरीदते थे, यह तो समय के साथ बढ़ रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- 12 लाख से एक भी ज्यादा नहीं खरीदे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आप शत्-प्रतिशत किसानों को देंगे ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- श्री शिवरतन भैया, क्या आपने बोनस दिया था ? आप लोगों ने 300 रुपये बोनस देने का वायदा भी किया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने बोनस समर्थन मूल्य में घोषित किया था।

श्री उमेश पटेल :- आपके मैं तो पंजीयन भी पूरे नहीं हुए थे।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों ने वायदा किया था, क्या 2100 रुपये दिये ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए ।

श्री अरुण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में केंद्र सरकार के काले कानून को लेकर 84 दिन से किसान आंदोलनरत हैं लेकिन मोदी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी, आगे बढ़िए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइए कि एम.एस.पी. के ऊपर केंद्र सरकार की जो बोनस नहीं देने की बाध्यता है, आप यह बताइए कि आप उसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं उधर अगले ढाई-तीन साल में पहुंच जाऊंगा तो उत्तर दे दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी आपका समय हो गया है, आप बोलिए ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- श्री शिवरतन जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के खाते में 3 किश्तों में 2-2 हजार, कुल 6 हजार यहां प्रति एकड़ 10 हजार दोनों में से क्या ठीक है, बताइए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप यदि शत्-प्रतिशत् किसानों को देते हैं तो हम आपकी योजना का समर्थन करते हैं । उसमें पंजीकरण की शर्त को आप हटा लो । (व्यवधान) क्या आप शत्-प्रतिशत् किसान को देंगे यह बताइए, अभी सदन में घोषणा करिए, क्या आप शत्-प्रतिशत् किसान को देंगे ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- प्रति एकड़ 10 हजार, उधर एक खाते में 6 हजार । 2-2 हजार रूपये की 3 किश्त । 3 किश्त में 2 हजार, प्रति एकड़ 10 हजार । एक खाते में 3 बार 6 हजार ।

श्री अरुण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी यह भी बता देते कि सन् 2014 से बोनस... ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री चंद्राकर जी, बोलिए ।

श्री अरुण वोरा :- मैं जो पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिये । आप तो प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं । सन् 2014 में केंद्र सरकार ने बोनस का प्रतिबंध क्यों लगाया ? आप हंसिए मत । पूरे देश की जनता केंद्र सरकार पर हंस रही है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आज तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको ही फालो करूँगा ।

श्री अरुण वोरा :- सन् 2014 से एम.एस.पी. कम कर दिए, बोनस नहीं दिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- वोरा जी, आप क्यों अजय चंद्राकर जी से जवाब मांग रहे हैं ? कुछ दिन बाद जवाब देने लायक हो जाएंगे तो फिर आपको जवाब देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति उदारता के साथ घोषणा की थी कि जो पंजीकृत किसान धान बेचने से वंचित रह गए हैं, उनका भी धान

खरीदेंगे । कल के अभिभाषण को आप पढ़ लीजिए 99497 किसान वंचित हैं, जो पंजीकृत थे । मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि आज वे उत्तर देंगे तो इन 99 हजार किसानों का धान खरीदेंगे इस बात की घोषणा वे जरूर करेंगे, पिछले वर्ष की भाँति । आप ऐसा कदम उठाइए तो हम प्रशंसा करेंगे । दूसरी बात, जो पटवारी रिकॉर्ड है, कितने किसान हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय टी.एस.सिंहदेव जी का ऐतिहासिक दस्तावेज है विधान सभा के रिकॉर्ड में, कि इतने लाख किसान हैं, इतना एकड़ रकबा है, इतना आपने पंजीकृत किया, इतने कहां मर गये या गायब हो गए । हर सत्र में एक डायलॉग था ।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, मैं तुंहर से यह कहत हौं कि छत्तीसगढ़ अलग होए हे तब ले सबले जादा धान ए दारी खरीदी होए हे या नइ, एला बताओ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, 10 हजार रूपया, जो पटवारी रिकॉर्ड बोलता है । उसमें आपने देश भर में प्रचारित किया कि हमने जो वनवासी पट्टे दिये हैं उसका भी धान खरीदेंगे । अभी उसमें प्रश्न है, उसका उत्तर आएगा । अभी मुख्य बजट में उस विषय पर जाएंगे । उन सबको मिलाकर प्रति एकड़ सबको 10 हजार दिया जाएगा । यह घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करें, यदि किसी आदिवासी भाई का पट्टा 80 डिसमिल है तो उसको 8 हजार रूपया दे दें, 70 डिसमिल है तो 7 हजार रूपया दे दें । मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि ऐसी घोषणा करेंगे । दूसरी बात, माननीय कृषि मंत्री जी ने कृषि कानून के लिए एक दिन का विशेष सत्र आहुत किया। आप विरोध में हैं, अभी किसानों की बात चल रही थी । यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो आप जो धान का ई-ऑक्शन कर रहे हो, उसे वापस ले लो । वही अवधारणा उसमें है कि उनको देश भर की मंडी मिलेगी । आप ई-ऑक्शन करने के बजाय उस धान को मंडी में भेजिए, जिसके पक्ष में आप बहुत प्रखरता से बोल रहे थे ।

श्री अमरजीत भगत :- एक मिनट, क्या है कि जब भी भैंस पूछ उठाएगी तो क्या करेगी ? गोबर । आप जब भी बोलते हैं तो किसानों का नुकसान करने वाली बात बोलते हैं । आप कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिससे किसानों का लाभ हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आज बता दिया है कि मैं आज मुख्यमंत्री जी के बताए रास्ते पर ही चलने वाला हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी और कितना बोलेंगे आप ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो मैंने शुरू किया है । ये लोग मुझे बोलने ही कहां दे रहे हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- उपाध्यक्ष जी, यह तो अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी को फॉलो कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रविन्द्र चौबे जी मैं थोड़ी भी नैतिकता है जो नया मंडी कानून का तथाकथित रूप से विरोध कर रहे हैं, उनको ई-ऑक्शन के लिए निकाले गए टेंडर को वापस लेकर

छत्तीसगढ़ की मंडी में बेचना चाहिए, चाहे जितने में जाए, मंडी लाइव रहेगी । उस कानून में तो यही बात थी कि किसान को एक बाजार मिलेगा, पूरे देश में हम बेच सकते हैं । तो इनका विरोध किस बात का था, यही दोहरी राजनीति है । उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रदेश में जो कुछ घट रहा है उस पर बात करूंगा । डॉडीलोहारा नगर पंचायत में, मैंने कहा था कि किन कारणों से अपराध बढ़ रहे हैं, किन कारणों से राजनीतिक मूल्य गिर रहे हैं, छोटी-छोटी बातें बताऊंगा, बड़ी बातों के लिए अभी बहुत समय है, महीने भर का सत्र है । पूरा वीडियो वायरल है, आपका संरक्षण प्राप्त है या नहीं, यह आप जानें । कमीशन मेरा अधिकार है, पूरे प्रदेश की जनता ने सुना है इसको । आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी तो मैं बैठ सकता हूँ ? अमरजीत जी आप खड़े होंगे क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रायगढ़ में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कार्यसमिति में कहे रिहिस हे के एक साल कमीशन लेना छोड़ दें तो हमर सरकार बन जाही । उखरो बारे में कुछ बता दे ।

श्री अमरजीत भगत :- आज तोर बात ऊपर-ऊपर जात हे, हमर समझ ही में नइ आत हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- डहरिया नाम पूरे प्रदेश में चर्चित है साहब । उपाध्यक्ष महोदय, डहरिया नाम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है । राम नाम टाईप डहरिया नाम की प्रशंसा करता हूँ । खूबी डहरिया, कांग्रेस का नेता दारू दुकान में जाता है 150 पाव देशी मसाला चाहिए मुझको । नहीं, तो मार दूंगा, पीट दूंगा और जो करना है, वह करूंगा । पर चूंकि वह कांग्रेस का नेता है। ऊपर से उसके सामने डहरिया सरनेम लगा है। कैसे कार्रवाई होगी? हम इसीलिए तो बोल रहे थे कि ताकतवर गृह मंत्री चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें हैं, जो झलकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओ.एस.डी. साहब सरकार से तनख्वाह लेते हैं। अभी खेल मझई हुआ, उसके पहले उसमें पत्थर लगा था। उद्घाटन, समापन, अध्यक्षता इतना पावरफुल ओ.एस.डी. हमने नहीं देखा था। यदि उन्हें नेता बनाकर रखना है तो ओ.एस.डी. मत बनाओ न। सरकारी उपयोग मत करो। बेचारे कांग्रेस के नेता वहां तरस गये हैं। मैं तो पाठन रोज जाता हूँ और अभी और जाऊंगा। मे ओ दिन गे रहो भैय्या। बता देखों आपके बहुत प्रशंसा करके आये हों। तो सड़क के बिजली खंभा मन अमलेश्वर रोड के हटे नहीं हे। जल्दी हटा पी.डब्ल्यू.डी. के। अब चूंकि वह युवा कांग्रेस या कांग्रेस से जुड़ा है और डहरिया उपनाम लगा है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब तीसरी बात संस्कृति की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी इस बात को बोलते हैं। आज छत्तीसगढ़ में कोई महोत्सव स्थापित नहीं है। एक महोत्सव बृजमोहन जी ने शुरू किया था, उसे आगे बढ़ाने का काम हमने किया था। उसमें एक बार कोरिया के राजदूत आये थे। दूसरे देश के राजदूत आये थे। 18 जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, उसके लोग आये। सिरपुर महोत्सव शुरू किया था। अभी हम महोत्सव के नाम में एक-एक हजार, दो-दो लाख, पांच-पांच लाख दे देते हैं, लेकिन मेरे अंतरंग मित्र, प्रिय मित्र 4 बार के विधायक और आज के मंत्री, जिसका ध्यानाकर्षण लगा था माननीय अमरजीत भगत, महोत्सव में यह कहते हैं कि 03 काउंटर शराब खलेआम

लगी थी। कलेक्टर के हाथ-पैर कार्रवाई करने के लिए कांप रहे हैं। मंत्री जी का बयान आता है। यहां कोई सत्यनारायण की कथा सुनने आता है क्या? यहां तो आमोद-प्रमोद करने आते हैं। तो क्या आप स्वीकार करेंगे कि वह अवैध शराब आपके एक मंत्री के संरक्षण में बिका। (शेम-शेम की आवाज) और यह पूरे प्रदेश में बिक रहा है। वह तो एक बानगी है। एक उदाहरण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं जमीन नेता समझता था। अभी भी समझता हूं। उन्होंने मेहनत की। हमारी असफलताएं लायी हैं, मैं रमन सिंह जी के सामने कह रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, आप मैनपाट कितनी बार गये हो? आप कितनी बार गये हो?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आजू-बाजू जाओ नहीं, ओखरे डहार रहूं। ते कतको भड़काले तो भी कुछ नहीं बोलो।

श्री अमरजीत भगत :- मैनपाट गये हस तो एकाक बार सत्यनारायण कथा में शामिल होये हस का।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस सरकार में इकबाल है, नैतिकता है मैं तब मानूंगा जब मैं उल्लेख कर रहा हूं, उन बातों में कार्रवाई होगी। नहीं तो आपका संरक्षण माना जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जमीनी नेता समझता था। उन्होंने संघर्ष किया और यहां तक आये हैं। हमारी असफलताओं को भी उजागर किया। मैं अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के सामने बोल रहा हूं। पर दो साल में हेलीकॉप्टर का किराया कितना है? आप पढ़ लीजिएगा। 41 करोड़ रुपये में 15 करोड़ रुपये घटा दीजिए। यह कल मेरे प्रश्न का उत्तर है। साहब, इतनी हवाई यात्रा काहे। आप तो बोलते हैं कि पैसा नहीं है। हर बात में कर्जा ले रहे हैं। जितने का हेलीकॉप्टर आता है उससे ज्यादा उसका रख-रखाव है और उससे ज्यादा किराया। दोनों को जोड़ दें तो नया हेलीकॉप्टर आ जाता है। बहुत दिन में आये हैं 15 साल में सारा कोर कसर अभी पूरा करना है। और आगे नहीं आना है। चलिए, हवा में ही रहिए। मैं आपको हवा में विचरण करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब माननीय मोहन मरकाम जी हैं। वे हमारे मित्र हैं, कोई संकोच नहीं है। मेरे क्षेत्र कुरुद में भी उनका प्रवास बहुत होता है। पी.एम.जी.एस.वाई. या प्रधानमंत्री आवास शहरी। मोहन मरकाम जी का पत्र असली है या नकली है। वे मेरे मित्र हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं। गृह मंत्री जी बतायेंगे या मुख्यमंत्री जी उत्तर में बतायेंगे। दूसरा, प्रशासन कैसे चल रहा है। नारायणपुर कलेक्टर को भी उन्होंने पत्र लिखा है। वह पत्र असली है या नकली है। क्योंकि सारे लोग यह बोल रहे हैं कि जो वहां कलेक्टर है, कौन है मैं नहीं जानता। सही मैं नहीं जानता। वास्तव मैं नहीं जानता। जैसा कांग्रेस के कार्यकर्ता लिखकर देंगे, वैसा ही करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये फंड, वो फंड, ये फंड गिनाते हैं कि गैप फिलिंग के लिए होगा। कहीं गैप फिलिंग नहीं हो रही। मैंने कल विषय उठाया तो ये मुंगेली का प्रश्न है बोल दिये। कहां का आपका मस्तूरी का। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब गृह मंत्री जी का प्रश्न होता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, एक मिनट। चूंकि समय हो चुका है। माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3:00 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी अपना भाषण शुरू करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय अनुप्रक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, बृहस्पति सिंह जी नहीं आये हैं तो फिर चन्द्राकर जी का भाषण कैसे जमेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अधिकारी दीर्घा में कोई अधिकारी नहीं हैं, संसदीय कार्यमंत्री भी नहीं हैं। हम अपनी बात करेंगे तो नोट करने के लिए वित्त विभाग के कोई अधिकारी नहीं हैं। सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही पाँच मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए। हम बोलेंगे, उसका क्या मतलब होगा ? संसदीय कार्य का विषय नहीं है, बजट का विषय है।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति जी, वित्त विभाग का कोई अधिकारी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, संसदीय कार्य का विषय नहीं है, बजट का विषय है। एक मंत्री हैं, वह भी सुन नहीं रहे हैं। एकाध आदमी के आते तक ऐसे ही बात कर लेते हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति जी, बाकी सदस्य रहे या न रहे, लेकिन माननीय चन्द्राकर जी बोलेंगे तो बृहस्पति सिंह का रहना जरूरी है।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, मंत्री जी नहीं हैं तो चलेगा, पर अधिकारीगण तो रहें। वित्त विभाग के अधिकारी तो अधिकारी दीर्घा में रहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, संसदीय कार्यमंत्री नहीं हैं। सभापति जी, आप सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें। यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, आप सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दें। यह सदन की गरिमा का सवाल है।

श्री सौरभ सिंह :- 5 मिनट के लिए स्थगित कर दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी रहते तो भी मैं अपनी बात बोल देता, लेकिन नोट करने के लिए एक भी अधिकारी नहीं है न।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आ रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आ रहे हैं ? देखिए, मंत्री जी कैसा निर्देश कर रहे हैं। आप कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करवा दीजिए।

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(3:02 से 3:09 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

03:09 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के तृतीय अनुप्रक्रम अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, बिना वित्त विभाग के मंत्री या वित्त मंत्री दोनों में कोई तो होना चाहिए। आखिर सदस्य अपनी बात को कहेंगे, उसको नोट कौन करेगा, उसका जवाब कौन देगा ? आखिर ये सब बातें कोई विधानसभा की परंपरा है। अगर विधानसभा के 20 साल के इतिहास में, विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट आया है, सरकार को पैसा चाहिए। सप्लीमेंट्री बजट के बिल से फायनेंस बिल से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल कोई दूसरा नहीं होता है और उस बिल को भी सरकार गंभीरता से न लें तो यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो यह कहना है कि इसके बारे में आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सभापति जी, पूरी गंभीरता से हैं। हम लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। उनका फायनेंस से जो बिन्दु संबंधित आयेगा, उसको हम लोग नोट कर लेंगे, नोट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, आपकी तरफ से कोई व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री बृहस्पति सिंह :- सभापति जी, सदन में जिम्मेदार मंत्री भी उपस्थित हैं और जिम्मेदार अधिकारी भी है। आगे से चालू कराया जाये।

श्री संतराम नेताम :- सभापति जी, हम लोग यहां पर हैं, सब नोट कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- कृपया सब लोग बैठ जायें। माननीय चंद्राकर जी अपनी बात प्रारंभ करें। माननीय मंत्रिगण आ गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, व्यवस्था तो आ जाये।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- होगे न, तोर मुंह के बात ला में अनुग्रहित करत हंव।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, अभी आपने जिस कारण से सदन को स्थगित किया। उसको लेकर आपकी व्यवस्था आपनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। अधिकारी दीर्घा या माननीय मंत्रिमंडल की दीर्घा में सारे उपस्थित रहें। इसमें आपकी व्यवस्था आपनी चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, सारे लोग उपस्थित हैं, मैं तो इनकी बातों को नोट कर रहा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि ये पूरे सदन का अपमान हैं। ये हमारा भी अपमान नहीं है, आपका भी अपमान है, आसंदी का अपमान है। आपने 3 बजे तक के लिये स्थगित किया, घंटी बजने के बाद भी अधिकारी दीर्घा में, मंत्री दीर्घा में अगर कोई उपस्थित नहीं है तो ये दुर्भाग्यजनक है। विशेष रूप से वित्तीय कार्य के, बिना वित्तीय कार्य के प्रदेश चल नहीं सकता और उस समय वित्त विभाग के लोग उपस्थित नहीं हो तो यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये तो सदन का अपमान है। ऐसे समय पर जरा आपकी तरफ से व्यवस्था आये कि ऐसी व्यवस्था भविष्य में न हो, सरकार को ताकिद सभापति की तरफ से होना चाहिए। हम इस बात की व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप कुछ बोल रहे हैं कि मैं शुरू करूँ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी हैं, वे अधिकारियों को निर्देश दे देंगे कि भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। माननीय अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरुद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं जहां पर था, खनिज न्यास के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न में कह दिया ये मस्तुरी का प्रश्न है, धमतरी का प्रश्न नहीं है। मैं यह कहना चाहता था कि मुख्यमंत्री जी का यदि प्रश्न होता है तो माननीय सदस्यगण उत्साह से पूछते हैं कि हमारी समस्याओं का हल होगा। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हैं, यदि कोई भी सदस्य प्रश्न पूछता है तो जिले की परिधि से बाहर हैं। वह बैठक धमतरी जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी हैं। जो भी बात खनिज न्यास के बारे में कही गयी वह पूरी तरह से आपने विधायक को बना दिया, मंत्री को बना दिया, किसको बना दिया, यह विषय नहीं है। वह पूरी तरह से राजनीतिक फंड है और निश्चित रूप से असंतुलन है, इसलिए यह कहना कि हम आपकी अनुशंसा इसकी अनुशंसा से दे, यह स्वीकार कर लेना चाहिए। ये

कलेक्टर की जगह प्रभारी मंत्री का जेब खर्च है। उसमें पूरे 28 जिले में क्या बुराई है। अपने को कोई प्राब्लम नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये मीटिंग में जाते नहीं हैं, प्रस्ताव भिजवा देते हैं तो इनका काम कैसे होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- ते बझठबे ता मे हा बोलहूं। मे तो आज कल कथों कि भगवान तोला सद्बुद्धि दे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं-नहीं, तोर ज्यादा बुद्धि है, मोर तो कम हवय।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, सद्बुद्धि दे, अभी तो खरोरा में गुड़ तहीं खिलाथस।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तै प्रभारी मंत्री रहेस, ह मन मांगे ला जावत रेहेन ता तै हा देत रेहेस का। एको साल दे रेहेस ता बता। हमन ला विधायक निधि ला तलोक नई देत रेहेस। माननीय सभापति जी, ये कुछ देते नहीं थे।

सभापति जी :- माननीय अजय चंद्राकर जी, अपनी बात कहें।

श्री शिवरतन शर्मा :- विधायक निधि को समाप्त करने वाले तो आप ही लोग हो। माननीय लखमा जी भी थे और माननीय ताम्रध्वज साहू, माननीय प्रेमसाय जी भी उस मंत्रिमंडल में थे। डॉ. रमन सिंह ने तो विधायक निधि को फिर से शुरू किया। आप लोगों ने तो विधायक निधि को समाप्त किया था। आप लोग जोगी सरकार में विधायक निधि को समाप्त करने का निर्णय किये थे कि नहीं किये थे। आप भी उस समय विधायक थे, मंत्री थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दो करोड़ दे रहे हैं, दो करोड़।

श्री अरुण वोरा :- माननीय सभापति जी, शिवरतन जी खुद कहते हैं कि पहले एक करोड़ मिला करते थे, अब भूपेश सरकार आने के बाद दो करोड़ मिल रहे हैं और स्वेच्छानुदा 10 लाख मिला कि नहीं मिला। आपको कूपन मिला कि नहीं मिला।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने तो विधायक निधि की बात ही नहीं की। मैं तो खनिज निधि की बात कर रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वही तो है।

श्री अरुण वोरा :- मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, शिवरतन जी के बारे में बोल रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति ही, अब इस टाईम में मजबूरी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये मंत्री जी बैठे हैं, आपकी सरकार में इनकी सिफारिश में नहीं हुई। नेता जी की सिफारिश नहीं सुनी जाती थी।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी अपनी बात कहिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब दूसरी बात। हम लोग सुबह नारा लगा रहे थे। ताकतवर गृहमंत्री को ताकत दो करके। खनिज स्थल में रेत खनन को देखने के लिये एक पुलिस वाले की हिम्मत तो हो जाये। अब यह सरकार पैसे-पैसे, दाने-दाने के लिये मोहताज है, एक-एक पैसे के लिये मोहताज है तो माननीय गृहमंत्री या माननीय खनिज मंत्री जी ने क्या सुविधा दी है ? रात को सर्च लाईट,फ्लड लाईट, हैलोजन लगाकर खुदाई होती है तो वह छत्तीसगढ़ में होती है। कोई मॉई का लाल वहां घुसकर तो बता दे ? अब तो मैं बोलता हूं कि गृहमंत्री जी, आप अपने गृह विभाग की ओर से केन्टीन खुलवाईये, पान ठेला खुलवाईये, इन्कम बढ़ेगी। लीज में दीजिये कि यदि रात में चोरी करते हो तो कम से कम खाना खाकर चोरी करो। ओव्हर वेट चलाते हो, आप एक भी ओव्हर वेट गाड़ी को पकड़ नहीं सकते हो। पकड़ोगे तो हॉफ जाओगे। वह माफिया इतना सशक्त है।

माननीय सभापति महोदय, धान भी एक छोटा सा विषय है। आज वे लंबी-लंबी दे रहे थे। माननीय अमरजीत भगत जी नहीं हैं। 13 सौ करोड़ रूपये का धान, 4 लाख टन से ऊपर धान सड़ गया। हम जब भी पूछते हैं तो कहते हैं कि मिलिंग हो रही है। उन्होंने सदन में कहा कि वर्ष 2019-20 के धान का 31 दिसम्बर तक मिलिंग समाप्त हो जायेगी। लेकिन 2019-20 के धान का आज तक मिलिंग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ ? धान सड़ गया। इस वर्ष 2020-21 के धान की नीतामी कर रहे हो, मैं यह बात कर चुका हूं। मोहन मरकाम जी जब भी बोलेंगे तो बतायेंगे या उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता होगी, अपनी पार्टी की चिंता होगी, तो मेरे साथ चलें, नारायण चंदेल जी के साथ चल दे, धनेन्द्र भैय्या के साथ चल दें कि वह ग्राम-जोंदा के पास कितना धान सड़ा, कितना रखा है ? वह धान मिलिंग के लायक है या नहीं।

श्री नारायण चंदेल :- कहां जाना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- धान सड़े हे तेला देखे बर। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दोनों चले जाओ, घूमकर आ जाओ, दोनों घूमकर तो आओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोल रहा था कि गृहमंत्री को ताकत दो। हमने गृहमंत्री जी को ताकत नहीं दी, उसका क्या परिणाम होता है, उसको बता देता हूं। वे गुजरात के स्थानीय चुनाव के प्रभारी थे, वे आधे मन से काम करने गये। उनको ताकत दो, इसलिए बोल रहा हूं कि कल भी व्ही.आई.पी. रोड के होटल में एक घटना घटी। हम लोग उसी तरफ रहते हैं। गोली चली। अभी गृहमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि किस क्लब में गोली चली। वहां रोज दुर्घटनाएं होती हैं, वहां रोज गड़बड़ होती है, लोग रोज पिकनिक मनाते हैं, रोज सारी चीजें होती हैं। नेताओं का स्वागत होता है तो ट्रैफिक पुलिस कुचलकर मर जाता है, लेकिन कार्रवाई भर नहीं होती है। आप देख लेना, कल क्लब में जो हुल्लड़ हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। गृहमंत्री जी बता नहीं सकते कि पिछली बार गोली चालन में क्या हुआ है ? वे

कार्रवाई कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, उतनी लियाकत नहीं है, इतना इकबाल नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, उतना पावर नहीं है और यही प्रशासन का राजनीतिकरण है।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- उधर क्यों देख रहे हो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कहीं ला नइ देखत हंव ददा, मैं अऊ बृहस्पत सिंह चल दी काय, दूर्नौ गला मिल लेन।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सभापति जी, मैं उत्तर देय बर पुराना गृहमंत्री जी के उत्तर निकलवात रहेव। ओ मन कैसे उत्तर देथे, हमर 2 साल, इनखर 15 साल, तो शायद उत्तर अच्छा आही। येखर पहली जो गृहमंत्री रहिस, ओखर उत्तर ला निकलवात रहेव। ओ तरफ से प्रश्न पूछ्य तो गृहमंत्री कहय कि जांच जारी है, दूसरा पूछ्य तो फिर कहय कि जांच जारी है, फिर तीसरा बार बोलय कि जांच जारी है, चौथा बार बोलय कि जांच जारी है, पांचवा..ग्यारहवां बार बोलय कि जांच जारी है, तो ओखर बाद आखिरी मैं हमर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जाकर कहिस मुझे से भूल हो गया कि प्रश्न किया। (हंसी)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- 15 साल तक जांच जारी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उहूं मा जवाब आइस कि जांच जारी है। ये तोर गृहमंत्री कैसे ताकतवर रहिस हे, ओखर बारे मे जानकारी बतावत हे। सभापति जी, ये बोलत 15 मिनट से ज्यादा हो गय हे।

सभापति महोदय :- अजय जी, अपनी बात संक्षेप मैं रखियेगा।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय सभापति जी, हमारे पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर जी बैठे हुए हैं। ये अपना पर्सनल स्कॉट चलाते थे। आपको यादा होगा पुलिस विभाग अलग चलता था और अपना स्कॉट अलग चलाते थे। ये बात भूल गये क्या ? आज मंत्री जी के स्कॉट ने छापा मारा, आज मंत्री जी के स्कॉट ने रेत माफिया पकड़ा, आज मंत्री जी के स्कॉट ने ये किया।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति जी, चूंकि मेरा नाम आया, इसलिए बताना चाहता हूं। मैं जिस विभाग मैं काम किया हूं, मैं उस विभाग से ऊपर नहीं गया हूं। 5 साल मैं अपराध मैं कमी आई थी। आप क्या बात करते हो ? मैं एफ.आई.आर. करवाया।

श्री शैलेश पाण्डेय :- मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपके कार्यकाल मैं क्या हुआ, उसको बता रहा हूं।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, मैंने रिपोर्ट लिखवाया, एफ.आई.आर. करवाया, आज तक उस आरोपी को पकड़कर, गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजे। ऐसे आपके ताकतवर गृहमंत्री रहे हैं।

सभापति महोदय :- कृपया हस्तक्षेप न करें। अजय चन्द्राकर जी, आप अपनी बात रखें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ऐखर गृहमंत्री दारू पकड़े बर गे रहिसे तो गाड़ी वाला ऐला तीन-चार किलोमीटर दौड़ावत लेगे रहिसे।

सभापति महोदय :- सदन से निवेदन है कि कृपया सदस्य को बोलने दें, हस्तक्षेप न करें।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय सभापति महोदय, वी.आई.पी. रोड में हम और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी आगे-पीछे, आजू-बाजू पड़ोसी हैं। वह पूरा इलाका तो पूरी अवैध जगह हो गई है, सब चीज वहीं होता है तो कैसे करें आप बताओ और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं। धान सङ्गने की जो बात है उस पर यदि कोई कार्रवाई, कोई दौरा, कोई जांच समिति बनायें, ये राष्ट्रीय क्षति है, प्रदेश की क्षति है। जो सरकार एक-एक रूपये के लिए तड़प रही है वह सरकार एक हजार करोड़ का धान सङ्ग सकती है और उसमें जांच नहीं हो सकती, उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती, ये अनियमितता का संरक्षण है। (शेम-शेम की आवाज) वह सङ्ग गया, बिकेगा या नहीं बिकेगा, कहां जायेगा, हिसाब-किताब गोल हो जायेगा, आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा गृहमंत्री जी, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये कि चलो मैं धनेन्द्र साहू जी के साथ चलो जौंदा चल देते हैं, कांग्रेस का विधायक देख ले। वहां जांजगीर में कांग्रेस का विधायक देख ले। बिलासपुर से आगे जो फड़ है उसको पाण्डे जी जाकर देख लें। फोटो खींचकर रील बनाकर ले आयें कि सङ्ग है या नहीं सङ्ग है।

सभापति महोदय, अब मैं बहन शकुंतला जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और बहन शकुंतला जी दीर्घजीवी हों। उन्होंने जिस तरह से जन्मदिन का आयोजन किया और उसके लिए जो सरकारी निर्देश निकले और उस सी.ई.ओ. का भी अभिनंदन करता हूं कि प्रशासन के राजनीतिकरण में उन्होंने जो इच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी की हो, चाहे माननीय मेरे मुर्शिद मोहम्मद अकबर जी की इच्छा हो उसका पालन करते हुए उन्होंने जन्मदिन का भव्य आयोजन किया। (मोहन मरकाम सदस्य के आने पर) अब चूंकि मेरे मुर्शिद आ गये हैं उनको भी मैं एक लाईन समर्पित करता हूं। मोहन जी, रेत माफिया के बारे में छपा कि इतनी खोदाई हो रही है कि शिवनाथ की धारा बदल रही है। जाकर देख लीजिए। अब, आखिरी बात की ओर मुख्यमंत्री जी तो नहीं, कांग्रेस के लोगों ने किसान का जारी किया कि डॉ. रमन सिंह जी ने कितना धान बेचा, शिवरतन शर्मा जी ने कितना धान बेचा कि इतना धान बेचा। एक बेरोजगार का वीडियो आया तो कूद पड़े कि साहब ये भाजपा का कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्र आग्रह करूंगा कि किसान, किसान होता है। आप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हैं। मैं जानबूझकर ट्वीटर में उस घटना के बाद से मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस लिखता हूं, आपको बता देता हूं और मुझे वैसा लिखते हुए दुख होता है यह भी बता देता हूं। अब बेरोजगार भाजपा का होता है। बेरोजगार भाजपा का होता है, कांग्रेस का होता है इतने निम्न स्तर की राजनीति मैंने नहीं देखी। माननीय सभापति महोदय, गृहमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी कल जब बात कर रहे थे आज आपने नकार दिया। सत्र चलेगा मैं बहुत सारी बातें कहूंगा, लोग कहेंगे, सदस्यगण कहेंगे पर आप जाकर चिंतन कीजिए। जो शिवनाथ की धारा वह मोड़ रहे हैं ना,

छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया ये शब्द इस सदन में बहुत आता है, मेरी उस मामले में अवधारणा बहुत अलग है। कभी अवसर आयेगा, चर्चा होगी तो जरूर व्यक्त करूंगा। 325 से ज्यादा जो ठेकेदार हैं, उन 325 लोगों में 5 लोग छत्तीसगढ़ के होंगे, उनको छत्तीसगढ़ की संपदा, छत्तीसगढ़ के जलवायु परिवर्तन, छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी मेरी पूरी सद्भावना आपके साथ है। यदि आप सरकार के तौर पर कहीं सबसे ज्यादा बदनाम हैं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ extortion. वसूली-वसूली-वसूली-वसूली। गृहमंत्री जी यदि आप बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का हूं तो चिंतन कीजिए कि अपराध कितने बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। आपने 18 लाख नौजवानों के सपने मार दिये। माननीय आपने कहा कि 300 रूपये के पूँजीगत व्यय के लिए देश का सबसे बढ़िया अनुपूरक प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता को बधाई देते हुए और व्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण करने के लिए चाहे आशीष वर्मा जी हों, वह उद्घाटन, समापन में जाते हैं, शकुंतला बहन जी का जन्मदिन मनाते हों, चाहे कुछ भी करते हों। यह अभी अधिकारी खोज-खोज कर ला रहे थे, छत्तीसगढ़ में 20 सालों में 5 मिनट में कभी विधान सभा स्थगित नहीं हुई। अब मैं यह अपेक्षा करूंगा, उसके साथ बात समाप्त करूंगा। 16 करोड़ और 1600 करोड़, हम विधान सभा को चाहते हैं, हम लोगों की परम्परा रही है हमने स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री जी साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इसको कितनी बड़ी बात लेते हैं, इसको कितने हल्के से लेते हैं या गंभीरता से लेते हैं। ये छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। बजट की त्रुटि छोटी-मोटी त्रुटि नहीं है जिसको इतने हल्के से लिया जाए।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा है आप मेरे विषय में ध्यान ढेंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आपके समय में तो 10 हजार की टंकण त्रुटि हो गई थी।

श्री मोहन मरकाम (कोणडागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांग संख्या 6, 7, 10, 24, 41, 47, 58, 64 एवं 71 के लिए पांच सौ पांच करोड़, सात सौ रूपये की मांग की गई है, मैं इसका समर्थन करते हुए, अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मूल बजट एक लाख चार सौ इक्वानवे करोड़, प्रथम अनुपूरक तीन हजार आठ सौ सात करोड़, तृतीय अनुपूरक दो हजार तीन सौ छ्यासी करोड़ और तृतीय पांच सौ पचास करोड़, कुल एक लाख सात हजार दो सौ चौरासी करोड़ का इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में

प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अपने संसाधनों के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ अस्सी लाख जनता के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के जो संसाधन हैं छत्तीसगढ़ का जो बजट है छत्तीसगढ़ के खजाने में जो राशि है उस राशि से लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। जब वर्ष 2018 में हम सरकार में आये। वर्ष 2019-20 में कोरोना काल में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय खजाने में जरूर आर्थिक बोझ बढ़ा है। आज हम देखते हैं कोरोना काल की बात आती है। आदरणीय चन्द्राकर जी द्वारा राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय की बात होती है जब इस कोरोनाकाल में पूरे देश में पूरे राज्यों में 30 प्रतिशत कर्मचारियों की तनख्वाह कटौती की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में पूरे निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है। सांसद निधि तक की राशि को दो सालों तक रोक दिया जाता है। उससे कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार लगभग 15 हजार करोड़ रुपये लेना है। केन्द्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल साहब अपने संसाधनों के साथ यहां न विधायक निधि की कटौती की, यहां न कोई कर्मचारियों की तनख्वाह कटौती नहीं की, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगातार योजनाएं बना रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज वरिष्ठ, जानवान सदस्य जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की बात कह रहे थे। छत्तीसगढ़ की दुर्दशा के लिए कहीं कोई जिम्मेदार है तो 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी की माननीय डॉ. रमन सिंह जी की सरकार है। जब हम सरकार में आये तो 42 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हमारी सरकार के बोझ में है जो लगभग 5300 करोड़ रुपया हर साल इनके कर्ज का हमारी सरकार ब्याज पटा रही है। छत्तीसगढ़ की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है ?

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात जो लगातार कानून व्यवस्था की बात होती है। कानून व्यवस्था देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के कार्यकाल में जो विधान सभा के आंकड़े हैं 50 हजार हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती इनके कार्यकाल में होता था। हमारी छत्तीसगढ़ की 17 हजार बहनों को जो इस प्रदेश से बाहर बेचा गया था। मानव तस्करी का उदाहरण तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखने को मिला।

माननीय सभापति महोदय, आज जो बात आती है। केन्द्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की बहुत बड़ी घोषणा की थी। मैं हमारे सम्माननीय नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य को 20 लाख करोड़ के पैकेज में कितना मिला है? अभी तक के जो आंकड़े हैं, केन्द्र सरकार ने कोरोना काल में 76 अरब का लोन लिया है। विश्व बैंक ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की मोदी जी की सरकार है। आज कर्ज की बात करते हैं। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए कर्ज ले रही है। आपकी

तरह स्वीमिंग पुल बनाने के लिए से लेकर अन्य अनाप-शनाम खर्च करते थे, उसके लिए कर्ज नहीं ले रही है। हमारी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के लिए योजनाएं बना रही हैं। माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने दो- तीन बातों को कोड किया है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। उन्होंने डहरिया सरनेम, मरकाम, माननीय अमरजीत के बारे में कहा। पूरे छत्तीसगढ़ में चन्द्राकर सरनेम का कितना आतंक था, हम लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री सङ्कल योजना, प्रधानमंत्री सङ्कल योजना में काम नहीं होता था। पी.डब्ल्यू.डी. मैं बिना काम हुए पूरे पैसे निकल जाते थे। चन्द्राकर सरनेम का कितना आतंक होता था, हमने नजदीक से देखा है। चाहे मेरे क्षेत्र में हो या बस्तर में, कई ऐसी सङ्कें हैं जिनमें काम भी नहीं हुआ, मगर उसके पैसे का भुगतान हो गया। सरनेम का क्या असर होता है, हमने केन्द्र में देखा है। माननीय सभापति जी, कल तक देश में गुजरात मँडल की बात होती थी। आज देश में कहीं गुजरात मँडल की चर्चा नहीं होती है। वही नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या पंजाब नेशनल बैंक का 10 हजार करोड़ से अधिक की राशि लेकर रफू-चक्कर हो जाते हैं। मगर चूना कैसे लगाना है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे, चूना कैसे लगाना है। देश को चूना लगाने का काम केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। हमारी सरकार जो कहती है, वह पूरा करती है। आज जो धान की बातें हो रहीं हैं, धान में राजनीति करते हैं। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं यह 15 साल सरकार में रहे, इन्होंने एवरेज 50 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीदा। मैं माननीय भूपेश बघेल जी की धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार सरकार जो कहती है वह वादा पूरा करती है। 2018-19 में 80 लाख मीट्रिक टन, 2019-20 में 82 लाख मीट्रिक टन और 2020-21 में 93 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की किसी में हिम्मत है, किसानों के खातें में सीधा-सीधा लगभग 17 हजार करोड़ रुपया जमा करने वाली हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने खनिज न्याय निधि की बात की, हमने खनिज न्याय देखा है। हमारी विधायक निधि में 25 लाख रुपये होते थे, उसको भी कटौती की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाहे विपक्ष के सदस्य हों या कोई भी सदस्य हों, उनको भी खनिज न्याय निधि का सदस्य बनाकर उनके आवेदन हैं, उनकी जो भी सिफारिश है, उनको भी महत्व दिया जाता है। आज भेदभाव की बात करते हैं। हमने तो 15 साल भेदभाव देखा है। माननीय सभापति जी, 1300 करोड़ रुपये के धान सङ्केने की बात की है। अगर आपकी सरकार ने 15 साल ध्यान दिया होता तो आज वह नौबत नहीं आती। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद लगभग 4 हजार चबूतरे बन रहे हैं। आने वाले दिनों में उसका लाभ मिलने लगेगा। धान संग्रहण केन्द्रों में धान के सङ्केने की नौबत नहीं आयेगी। हमारी सरकार लगातार काम रही है। आज उसी की बदौलत देखिये नीति आयोग, रिजर्व बैंक और अन्य सूबों की सरकार भी हमारी सरकार की नीतियों की, योजनाओं की तारीफ कर रही है। आज हमारे वरिष्ठ सदस्य गौधन न्याय योजना की बात कर रहे थे, आज केंद्र सरकार में

बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारी गौधन न्याय योजना की तारीफ कर रहे हैं, कल तक खिल्ली उड़ाते थे। हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री चंद्राकर साहब, आप पूछ लीजिये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली में बैठे हैं, आज वे तारीफ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम किसी को उंगली दिखाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ भी ईशारा करती हैं। हम क्या थे? हमें अपने आपमें भी झांकना चाहिए। 15 साल जो कुकर्म किये हैं, आज 90 में से 14 सीटों में सिमट गए हैं इसीलिए इनकी यह दुर्गति हो गई है। छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है कि ये उस लायक नहीं हैं, नहीं तो आज ये 14 सीटों पर नहीं सिमट जाते। आज ये किस मुंह से कहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, आज जरूर हमारे पास वित्तीय संसाधन सीमित हैं, हमारे पास आय के साधन सीमित हैं। आज हमको लगभग 15,000 करोड़ केंद्र सरकार से लेना है, नहीं दे रहे हैं लेकिन आज ये किस मुंह से बड़ी बातें कहते हैं? हमारी सरकार हुआ करती थी, डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, आई.ए.पी. योजना, बी.आर.जी.एफ. योजना है। 30 करोड़ रूपया आई.ए.पी. योजना और बी.आर.जी.एफ. योजना लगभग 25 करोड़, एक-एक जिलों को 55 से 60-60 करोड़ रूपये मिलते थे लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और सम्माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ को क्या दे रहे हैं? हम जो भी योजना बनाते हैं उस योजना में अङ्ग डालते हैं, केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी थी कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लेंगे लेकिन जब अनुमति मिलती है तो मात्र 24 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है इस तरह से हमारे साथ भेटभाव करते हैं। किस मुंह से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, किसानों के नाम से कैसे राजनीति करते हैं? लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर और आम जनता समझ चुकी है। ये बेरोजगारी दर की बात कर रहे थे, सन् 2018 में बेरोजगारी दर 22.7 प्रतिशत थी, सन् 2019-20 में बेरोजगारी दर घटकर 5.2 प्रतिशत पर पहुंची है, इससे साफ जाहिर है कि हमारी सरकार की नीतियां, योजनाएं आम जनता के लिए हैं और आज इस कोरोना के विकट परिस्थितियों के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते वर्ष जिस कुशलता के साथ वित्तीय प्रबंधन किया है वह बहुत सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, वित्तीय प्रबंधन की बात होती है, हमारी सरकार के मुखिया ने वित्त मंत्री के तौर पर अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया है इसीलिये इस कोरोना काल में भी 7 लाख से अधिक प्रवासी कामगार, प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में आए, उनके लिये राशन कॉर्ड से लेकर 3 महीने तक फ्री में दाल-चावल से लेकर अन्य व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। राज्य सरकार की विवेकशीलता के कारण ही यह राज्य मंदी के प्रभाव से अछूता रहा है। सरकार की दीर्घकालीन सोच के कारण जहां जी.डी.पी. मार्डनस 2.3 दशमलव आगे बढ़ जाता है परंतु हमारे यहां मंदी का कोई असर नहीं है। ऑटोमोबाईल सेक्टर से लेकर हर सेक्टर बूम कर रहा है तो यह सरकार की नीतियों के कारण आगे बढ़ रहा है, चाहे किसान हो, वनवासी हो, व्यापारी हो अथवा

नौकरीपेशा लोग हों, किसी को भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा है। इस कोरोना काल में जहां महुआ सड़क में फेंक देते थे, हमारे वनवासी और आदिवासी भाई जो पूरे देश की पहली सरकार हैं, 74 प्रतिशत वनोपज खरीदने का लक्ष्य अगर किसी सरकार ने रखा है तो वह काम हमारी सरकार ने किया है। जहां महुआ 2 रुपए, 5 रुपए में बिकता था, समर्थन मूल्य में 30 रुपए में मिल रहा है। जहां इमली 21-22 रुपए थी, 31 रुपए इमली का रेट है। 52 वनोपजों में खरीदी काम अगर किसी सरकार में हिम्मत है, कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में तेंदू पत्ता 250 रुपए सैकड़ा, ढाई हजार मानक बोरा हमारी सरकार ने 400 रुपया सैकड़ा ... (जारी)

श्री कुरैशी

कुरैशी\24-02-2021\e10\03.40-03.45

(पूर्व से जारी)... श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तेंदूपत्ता का मूल्य ढाई सौ रुपए सैकड़ा, ढाई हजार मानक बोरा था। हमारी सरकार ने 400 रुपया सैकड़ा, 4000 रुपए मानक बोरा देने का काम किया है। कोरोना से बेरोज़गार हुए लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार की ज़रूरत थी, तब रोज़गार की व्यवस्था की गई, उन के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। दूसरे राज्यों से घर लौटने वालों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की व्यवस्था की गई। असामान्य वित्तीय परिस्थितियों में भी ...।

सभापति महोदय :- मरकाम जी, और कितना समय लेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- 5 मिनट। सभापति जी, तमाम तरह की चुनौतियों के बाद भी हमारे किसान भाइयों ने धान का उत्पादन किया और हमारी सरकार ने भी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया है। सभापति जी, जो बात में पहले कह चुका हूं आज पूरे देश का रिकॉर्ड है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। चाहे तामिलनाड़ु हो, आसाम हो, उत्तरप्रदेश हो, पंजाब हो सभी जगहों पर छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है।

श्री अमरजीत भगत :- मोहन मरकाम जी का भाषण इतना जोरदार चल रहा है कि अजय चन्द्राकर जी इधर आकर फेंकाए हैं।

श्री मोहन मरकाम :- आज कहीं भी गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं होती है। सभापति जी, कोरोना संकट के समय भी राज्य शासन ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। केन्द्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में अड़ंगे लगा रही है। 2013 से 2018 के बीच यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब इन्होंने बोनस देना शुरू किया, केन्द्र ने रोक लगा दिया तो इनके सारे विधायक केन्द्र सरकार के पास जाकर नत्-मस्तक हो गए माई बाप हमको बचा लो। यदि हम 2017-18 में बोनस नहीं देंगे तो हम सरकार से बाहर हो जाएंगे तो केन्द्र सरकार ने दो साल का अतिरिक्त बोनस देने की

अनुमति दी । वे भारतीय जनता पार्टी को अनुमति दे सकते हैं लेकिन हमारी सरकार को अनुमति नहीं देते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी, यह बजट में आपको सादर प्रस्तुत कर देता हूँ, इस पर भी कुछ बोल दीजिए ।

श्री मोहन मरकाम :- मेरे पास भी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अपना मौलिक स्वरूप खो चुके हो । जो लिखा हुआ मिल रहा है केवल उसी को बोल रहे हो ।

श्री मोहन मरकाम :- मोदी जी के पास नत्-मस्तक हो गए । माई बाप हमको बचा लो 2018 का चुनाव कोई भी नहीं जिता सकता । मगर छत्तीसगढ़ की जनता तो ठान ली थी कि आखिरी के दो साल बोनस भी दें तो 15 साल आपके द्वारा किये गए कामों को छत्तीसगढ़ की जनता ने माफ नहीं किया है । इसीलिए 90 में से 15 सीटों पर आकर सिमट गए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- दू साल के बचे हे ओ देबो कहे हौ, कब दिहौ ?

श्री मोहन मरकाम :- 14 लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे । चिल्ला लेंगे, सदन को बाधा पहुँचा लेंगे लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है । छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन है, अपने संसाधनों के साथ माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है । 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है । जो डी.एम.एफ. का पैसा होता था, वह तो एस.ओ.आर. में खर्च होता था लेकिन हमारी सरकार ने डी.एम.एफ का पैसा व्यक्तिमूलक कामों में लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे उसके लिए योजनाएं बना रही है इसीलिए जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन में 42 प्रतिशत कुपोषण हुआ करता था, हमारे शासनकाल में कुपोषण में 10 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई है । छत्तीसगढ़ के निर्माण में, छत्तीसगढ़ के विकास में माननीय भूपेश बघेल जी की जो दीर्घकालीन सोच है, लगातार छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए काम कर रही है । सभापति जी, 2018 में ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन आज पूरे देश में अच्छे नहीं, बुरे दिन आ गए हैं । देश के परिसम्पत्तियों को बेचने का काम केन्द्र में बैठे मोदी साहब कर रहे हैं । काला धन आने वाला था, यदि वे काला धन लाए होते तो आज यह नौबत नहीं आती । 15-15 लाख रुपया देश के जनधन खातों में डालना था उसका क्या हुआ । 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? कहीं न कहीं बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार को आये हुए 7 साल हो गये, आज महंगाई आसमान छू रही है। माननीय सभापति जी, हमारी डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो कच्चे तेल का रेट 109 रुपये प्रति बैरल था, आज 65 रुपये प्रति बैरल है फिर भी 100 रुपया पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ हो रहा है कि कहीं न कहीं जो देश को बेचने के लिए जो कल तक कहते थे कि देश बिकने नहीं दूँगा। आज देश के संसाधनों को बेचने पर तुले हुए हैं। कहीं न

कहीं हमारी सरकार इतने अड़चनों के बाद माननीय भूपेश बघेल साहब को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने संसाधनों के साथ लगातार जो वित्तीय प्रबंधन जो बहुत अच्छा है जो कम बजट में भी हम छत्तीसगढ़ की जनता को भूखे पेट किसी को सोने नहीं दिया। आज कहीं न कहीं आज हो सकता है कि कुछ कमियां हों। हो सकता है कि हममें कुछ कमियां हों, मगर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और तीसरी बात, हमारी मैनिफेस्टो की बार-बार बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि ये वर्ष 2003 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि यह न तो घोषणा है और न ही वादा है। संकल्प जिसे भारतीय जनता पार्टी हर दिन, हर क्षण और हर पल पूरा करेगी। माननीय सभापति जी, इन्हें 15 साल मौका मिला। छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया। 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार को दो साल हुए हैं। 36 वार्डों में हमारी सरकार ने 24 वादे पूरे किये हैं। (मेजों की थपथपाहट) आने वाले 3 वर्षों में जो 36 वादे हैं, वे भी वादे पूरा करेंगे। आज तृतीय अनुप्रूक बजट में मांग संख्या 6 सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लिए 206 करोड़ रूपये का पेंशन, जोकि उन्हें देना ही है, चाहे पूंजीगत व्यय हो या जो भी व्यय हो, उन्हें तो देना ही पड़ेगा, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है। मांग संख्या में परिवार पेंशन भुगतान के लिए 175 करोड़ है। यह तो अनिवार्य है और उन्हें आखिर देना ही है। पैसा रहे या न रहे मगर उनके लिए व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। मांग संख्या 41 शासकीय पॉलिटेक्नीक संस्थाओं के लिए 950 लाख रूपये का प्रावधान किया है। इस ढंग से 550 करोड़ रूपये का इस अनुप्रूक में मांग की गई है। उसका समर्थन करते हुए सम्माननीय विपक्ष के साथियों से मैं चाहूंगा कि इस छोटे से मैं भी राजनीति करना छोड़कर सर्वसम्मति से पास करें। यही निवेदन के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- अनुप्रूक बजट पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित है, जिसमें से 2 घंटे 16 मिनट कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 30 मिनट का समय आबंटित है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे समय-सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। माननीय डॉ. रमन सिंह जी।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- सभापति जी, आपने समय-सीमा ध्यान रखने के लिए कहा है, मगर मुझे लगता है कि इस अनुप्रूक में कोई ऐसे प्रावधान ही नहीं हैं कि जिस पर लंबी चर्चा की जाये। पूरे के पूरे अनुप्रूक को एक पेज का यदि इसके आखिरी का पैरा यदि पढ़ लिया जाये और इसमें जितने प्रावधान रखे गये हैं, उस प्रावधान के साथ-साथ जो पूंजीगत व्यय 100 रूपया, लोक निर्माण कार्य सङ्क और पुल पुलिया के लिए 100 रूपये का प्रतीक प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 100 रूपये का पूंजीगत प्रावधान रखा गया है। बाकी सारे मद राजस्व के मद हैं 505 करोड़ के। तो इस मद में इतनी

लंबी-चौड़ी चर्चा कहां गुजरात, कहां मध्यप्रदेश, कहां हिमाचल प्रदेश की बात और बाकी बात करते हुए ऐसा लगता है कि ये पूरे बजट की चर्चा हो रही है या अन्य विषय पर चर्चा हो रही है। मूलतः मुझे लगता है कि जो यह अनुपूरक प्रस्तुत किया गया है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2020-21 आ गया, ऐसा अनुपूरक तो आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ, जिसमें 300 रूपये प्रतीक प्रावधान के साथ पूरा का पूरा अनुपूरक निकल जाये और इसमें वर्ष 2020-21 के अनुपूरक और इसमें मुझे लगता है कि हम उम्मीद करते थे कि ऐसे समय में इसको लाया गया है, जब इनके कार्यकाल का दो साल का समय पूरा होने के बाद सवा दो साल में पहुंच गए हैं। अनुपूरक बजट में जो प्रावधान रखा गया है, उसमें दो-तीन महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान रखना चाहिए था। यदि इसमें थोड़ा कर्ज और ले लेते, कर्ज की सीमा और बढ़ जाती तो दो-तीन विषय में किसान भाइयों को चौथी किश्त मिलना था, कम से कम यदि उसका प्रावधान जुड़ जाता तो छत्तीसगढ़ के किसानों को लगता कि वह प्रावधान उनके लिए जुड़ गया है। सभापति महोदय, नवयुवकों को बेरोजगारी भूत्ता देने की बात होती तो लाखों नवयुवकों को लगता कि उनके लिए कुछ काम हो गया। अभी कोरोना कॉल की बात हो रही थी, जिस कठिन पीड़ा और दुख से निकलकर हम आये हैं, जिस त्रासदी को झेलकर छत्तीसगढ़ आया है। हमें लगता था कि इस कोरोना काल के निकलने के बाद शायद अनुपूरक बजट में उस दिशा में कुछ ध्यान होगा, जो बाकी राज्यों ने किया। मैं दिल्ली की तरह नहीं कहूंगा कि उन्होंने मृतक परिवार को एक करोड़ दिया तो यहां भी एक करोड़ की राशि दी जाये। मध्यप्रदेश और गुजरात ने निःशुल्क ईलाज किया। जिन्होंने कोरोना का ईलाज करवाया है, उनके घर बिक गए हैं, मकान बिक गए हैं। ऐसे मरीज जिनकी हालत लाखों की संख्या में है, उनके लिए कुछ राशि का प्रावधान होता तो उस प्रावधान के अनुसार उनको Reimburse कर दिया जाता तो कम से कम कोरोना की उस पीड़ा से, त्रासदी से मुक्त होने का काम हो सकता था और मुझे लगता है कि इस काम को किया जाना चाहिए था।

सभापति महोदय, इस प्रथम अनुपूरक बजट में 505 करोड़ का काम किया गया है, इसमें पेंशन के अलावा ब्याज के भुगतान की राशि का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा अनुपूरक बजट लाएंगे, जिसमें ब्याज के भुगतान की राशि का प्रावधान न हो। प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन पूर्णतः तहस-नहस हो चुका है। जिस प्रकार का अनुपूरक प्रस्तुत हुआ है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कर्ज की राशि कितनी बढ़ गई है। जब इसके लिए विधान सभा में प्रश्न आते हैं, हमारे सदस्य अलग-अलग प्रश्न करते हैं, अलग-अलग प्रश्न का जवाब भी अलग-अलग आता है। आज तो टंकण त्रुटि बोला जा रहा था, वह तो Blunder Mistake है। इस प्रकार के बजट के किताबों में यदि मिस प्रिंट होता रहा तो क्या होगा और मूल बजट में इसका ध्यान नहीं रखा गया तो क्या होगा?

सभापति महोदय, इन बातों के साथ-साथ मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार के 26 महीने के कार्यकाल निकल चुके हैं और 26 महीने में राज्य में 70,646 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है।

अर्थात् सरकार ने 26 महीने के अंदर ही 36 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया। पूंजीगत व्यय-यह किसी सरकार की कार्य योजना का, कार्य करने की पद्धति का, उसके तरीके को चिह्नांकित करता है कि सरकार किस तरह से वित्तीय प्रबंधन करने में सफल रही है। कर्ज लेना दूसरी बात है, मगर किसी राज्य के Continue Development के लिए जो हमने 15 साल में Structure खड़ा किया था, उस Structure को यदि आप समाहित ही करना चाहते हैं, सङ्क नया मत बनाईए, वह चल जायेगा, नये पुल-पुलिए न बनाएं, मगर उसकी Annual Repairing के लिए, Maintenance के लिए पैसा रखा जाएगा। यदि बड़े-बड़े स्टेडियम बन गए, बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज बन गए तो उनके Maintenance के लिए, उसको संचालित करने के लिए तो पैसा रखा जायेगा। उसके लिए भी व्यवस्था नहीं होती है तो यह सारा अधोसंरचना जो छत्तीसगढ़ में पूरे बस्तर से सरगुजा तक बनकर तैयार हुआ है, सवा दो साल में उसकी क्या हालत हुई है और आने वाला तीन साल स्थिति कितनी विकट होने वाली है, इसकी चिन्ता आज से हो रही है कि इसको Maintenance कैसे किया जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि 26 महीने में 36 हजार करोड़ रूपयों से ज्यादा कर्ज हो चुका है। पूंजीगत व्यय में 2017-18 में 10 हजार करोड़ से घटकर 19-20 में 8566 रह गया है। यह पूंजीगत व्यय में खर्च की राशि में जो गिरावट आ रही है, राज्य की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ता जा रहा है और उस डिमांड के अनुसार किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। यहां इतने विधायक बैठे हैं, लेकिन किसी के क्षेत्र में कोई काम नहीं चल रहा है। वे बोल नहीं सकते। यहां पर ताली बजाते हैं, बैठकर धन्यवाद देते हैं, मगर सबका हालत मुझे मालूम है कि Development के नाम से शून्य हो चुका है चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास के काम हो। अब जो अनुमान आ रहा है, वह और चिन्ताजनक है कि इस वर्ष में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूंजीगत व्यय का अनुमानित व्यय 10 हजार करोड़ से घटकर 5 हजार करोड़ तक आ जायेगा। यह किसी राज्य के लिए बहुत ही विकट स्थिति आती है कि पूरे बजट का Structure बड़ा दिखता है, हम बताते हैं कि एक लाख करोड़ का बजट हो रहा है। मूलतः उसमें खर्च कितना हो रहा है। कितनी राशि पूंजीगत व्यय में जा रही है। मुश्किल से पांच हजार करोड़, साढ़े पांच हजार करोड़ राशि ही पूंजीगत व्यय में खर्च होगा। यानी प्रदेश किस दिशा में जा रही है। इतना बड़ा प्रदेश एक लाख 36 स्क्वेयर किलोमीटर का क्षेत्रफल और उसकी डेव्लपमेंट की उम्मीदें, नया राज्य, नई कल्पना, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर क्या डेव्लपमेंट की हम यही तस्वीर खींचना चाहते हैं? सवा दो साल में इसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी अधोसंरचना निर्माण पूरी तरीके से ठप्प हो गया है और केवल और केवल सरकार कर्ज लेकर राजस्व व्यय बढ़ा रही है। इन सारे विषयों में मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने किताब में देखा कि एक काम कबीरधाम जिले का नाम भी छपा हुआ है। 11 करोड़ 36 लाख की लागत से पुल निर्माण के लिये कवर्धा से जबलपुर रोड में 100 रूपये का प्रावधान रखा गया है। अब ये पूरे किताब में पूरे प्रावधान 505 करोड़ जितने देखे गये उसमें 100 रूपये एक पुल पुलिये के लिये

है, बाकी ब्रिजेस बनना है, बाकी निर्माण कार्य होना है। छत्तीसगढ़ में बाकी कामों के लिये क्या स्थिति बनेगी, ये बड़ा मुश्किल है। मैं इस पूरे के पूरे बजट में देख रहा था, प्रतीक प्रावधान के सहारे ही ये बजट और सब कुछ को मिलाकर नीचे एक कालम लिख दिया गया है, जो लिखा जाता है, विभागीय बजट से समायोजित किया जायेगा। अब ये पूरा बजट ही पुराने काम को वित्तीय प्रबंधन करके किया जा रहा है। यदि वित्तीय प्रबंधन इतना अच्छा होता तो समायोजन की जरूरत क्यों पड़ती? वित्तीय प्रबंधन के फेल्व्योर होने की वजह से ही आज प्रदेश की यह स्थिति है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें 5 मिनट से ज्यादा कुछ बोलने लायक है। क्योंकि यदि 300 रुपये का प्रतीक प्रावधान रखा गया है, उस प्रावधान के लिये हम कितनी बात रखें और कितना मांग रखें। सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ (श्रीमती) लक्ष्मी धुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक बजट के रूप में पांच सौ पांच करोड़ सात सौ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। मैं उसके समर्थन में मांग संख्या 6, 7, 10, 24, 41, 47, 58, 64 पर मैं अपना विचार रखूँगी। चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, ये सबों ला सहयोग देबो संगवारी। उस धारणा को बिल्कुल जनता के समक्ष रखा और जनता ने 70 सीटों का भारी बहुमत के साथ सत्ता पर बैठाया। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिये माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो बातें कहीं उसको पूरा करने का प्रण किया और उस ओर चल पड़े। इस नरवा, गरवा, घुरवा, बारी में तीस हजार नरवा का चिन्हांकित किया गया है, दस हजार गौठान की बात है, उसमें से पांच हजार को पूरा कर दिया गया है और गोधन न्याय योजना भी लागू की गयी है। घुरवा में जैविक खाद बनाने का कार्य चालू हो गया है और 61 हजार कंपोस्ट टंकी का निर्माण किया जा चुका है। 5 हजार चारगाह और 8 हजार चबूतरा का निर्माण करके धीरे-धीरे हमने जो नारा दिया था, उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है।

समय :

4:00 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह छत्तीसगढ़ का विकास तभी हो सकता है, जब ग्रामों का विकास होगा। भारत महाशक्ति बनने का सपना देखता है, जब तक ग्राम का विकास नहीं होगा, तब तक भारत जो महाशक्ति का सपना देख रहा है, वह पूरा नहीं हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और वे इस दिशा की ओर चल पड़े हैं। मैं इसको आंकड़े के साथ बता रही हूं, सरकार उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। अभी अनुपूरक बजट में पुल-पुलियां, सड़क निर्माण, अधोसंचना की बात की जा रही है, शिक्षा को आगे बढ़ाने, गति देने की बात की जा रही है। इंजीनियरिंग,

पॉलिटेक्निक, स्वान, डाटा सेन्टर सभी की बात इसमें लिखी गई है। तो जब तक इसका विकास नहीं किया जायेगा, तब तक हम लोग पूरा काम अच्छे से नहीं कर पायेंगे और जनता भी आगे नहीं बढ़ पायेगी। नरवा योजना में भू-जल की रिचार्जिंग पर ध्यान दिया गया है। क्योंकि आज पानी, बहुत बड़ी समस्या है। कई क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं। लोगों को पानी देने के लिए नरवा का काम जरूरी है। क्योंकि पिछले 15 सालों तक नरवा की ओर ध्यान नहीं दिया गया, ना धुरवा की ओर ध्यान दिया गया तो बेसिक सरंचना कैसे बनेगी ? जब हम सत्ता में आये उसके पहले केवल शहरों को छोड़कर गांवों की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। उसको भी सुधारने के लिए अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। अभी इसके लिए 2200 किलोमीटर ऐसी सड़कें बना रहे हैं, जो सरकारी दफ्तरों को जोड़ती हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य में बिजली उपकेन्द्रों, पारेषण, वितरण, लाईनों का जाल बिछा रहे हैं, जिसके कारण बसाहटों में विद्युतीकरण का नया कीर्तिमान चालू है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण बच्चे पढ़ तो लेते थे, लेकिन नौकरी योग्य के बावजूद अंग्रेजी के अभाव में केवल गांवों तक सिमट जाते थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको आगे बढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला गया है। इसके साथ-साथ महासमुन्द, कोरबा और कांकेर में मेडिकल कालेज खोलने तथा चंदू लाल चन्द्राकर चिकित्सा महाविद्यालय को अधिग्रहित किया गया है। जो डाक्टरों की कमी है, उसको इसके माध्यम से पूरा किया जा सकेगा और गांव-गांव तक डाक्टरों की सेवा उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास शासन द्वारा किया जायेगा। इसके लिए बजट भी दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही जो पॉलिटेक्निक कालेज, एग्रीकल्चर, उद्यानिकी, वानिकी, डेयरी टेक्नालॉजी, फूड प्रोसेसिंग, मछली पालन, जैसे विषयों के लिए भी पॉलिटेक्निक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और पॉलिटेक्निक कालेज खोलने पर भी जोर दिया गया है। क्योंकि पॉलिटेक्निक करने से बच्चे आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के गांव के जो बच्चों की ओर कि वे भी पढ़-लिखकर कुशल बनकर आगे आयें और अपने पैरों पर खड़े रहे, यही उनकी योजना है और इसके लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जशपुर जिले के सरना, बालाछापर तथा कोइनार, कुनकुरी में बिलासपुर जिले के खुरदर, कोणडागांव के धनकुल, कांकेर जिले के लच्छेनवागांव में 31 रिसॉर्ट, सरगुजा जिले के महेशपुर जिले में साइड एमिनिटी का विकास किया जा रहा है। सिरपुर को ऐतिहासिक बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विश्व के मानचित्र में स्थान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वाटर ट्रिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सतरेंगा, दुधावा जलाशय, महासमुन्द के कोडार डेम, बिलासपुर जिले के संजयगांधी जलाशय, रत्नपुर खूंटाघाट में अधोसरंचना का निरंतर विकास किया जा रहा है। साथ ही राम वनगमन पथ को भी आगे बढ़ाने के लिए विकास कार्यों की ओर,

अधोसंरचना विकास की ओर अपना कदम बढ़ाई है और 75 स्थानों का चयन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 9 स्थानों में जैसे सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम जगदलपुर, आदि जगहों पर समुचित अधोसंरचना विकास का काम शुरू हो गया है जो कि पूरा किया जा रहा है ताकि लोगों की धार्मिक आस्था भी बनी रहे। चूंकि पूर्व में पूरे 15 साल राम का नाम तो लिया जा रहा था, राम मंदिर की बात भी कही जा रही थी लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने भी राम वनगमन का स्थान था, वह अछूता था उसको छोड़ दिया गया था। उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए विकास करने की बात सोची है और निरंतर विकास किया जा रहा है। उसी तरह से जवाहर सेतु योजना के तहत दो साल में लगभग 200 बड़े पुल-पुलिया बनाने का काम किया जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत बड़े-बड़े पुल थे, जिसकी खराबी से जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। उन तीन बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है और इससे जनता काफी खुश है। जो स्वान योजना है उसके बारे में कहना चाहती हूं कि संचार क्रांति का युग है और सबको इंटरनेट चाहिए। जंगल वाला एरिया इस सुविधा के अभाव से जूझ रहा है क्योंकि वहां अभी भी इंटरनेट की व्यवस्था का अभाव है। इसे पूरा करने के लिए डाटा सेंटर स्थापित किया गया है, स्वान परियोजना के लिए भी पैसा दिया गया है और इसके लिए लगभग 25 लाख 783 रुपये का अनुमानित बजट पारित किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही साथ जंगल विभाग के द्वारा विभागीय बचत से चिडियाघरों का निर्माण और विकास किया जा रहा है, उसको उन्नत किया जा रहा है क्योंकि बच्चों का मनोरंजन, जनता का मनोरंजन और हमारे दुर्लभ वन्य प्राणियों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है और इसका पोषण तभी किया जा सकता है जब इसके लिए बजट दें। लेकिन वन विभाग के द्वारा स्वयं के बचत से इसके लिए बजट दिया है यह एक बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ ही रायपुर के अटल नगर में पंजीयन विभाग का दो बड़ा कार्यालय खोला जायेगा क्योंकि ई-पंजीयन हो गया है और उसके लिए बड़ा कार्यालय और उसकी पूरी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अग्रिम राशि दी गई है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं। हमारे यहां जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके पेंशन भुगतान की व्यवस्था की गई है। केंद्र की सरकार ने तो अपने सांसदों को सांसद निधि भी नहीं दी। उनके पास बहुत सारी निधियों का अभाव है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया ने चाहे पेंशन की बात हो, चाहे पारिवारिक पेंशन की बात हो, चाहे विधायक निधि की बात हो, चाहे स्वेच्छानिधि की बात हो सबको सारी सुविधाएं दी हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं। आगे भी इसी तरह से जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें निरंतर सुधार होना बहुत जरूरी है। इसी तरह का बजट देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है वह जरूर पूरा होगा। इसमें पालिटेक्निक और इंजीनियरिंग कालेज के लिए भी बजट दिया गया है क्योंकि रिसेसन का युग है और अधिकांश प्रायवेट कालेज बंद होने की कगार पर हैं। उनको भी सुधारने की दिशा

मैं निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद देती हूं क्योंकि ये बजट जनता के हित में है, जनता के विकास के लिए है और इससे छत्तीसगढ़ का निरंतर विकास होगा और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। क्योंकि ग्रामीण जनता बिल्कुल शून्य हो गई थी कि ग्रामीणों का कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया, लोगों के उत्साह में बढ़ोत्तरी हुई और वह अब अपने क्षेत्र का कैसे विकास करेंगे, क्या मांग करेंगे, कैसे हम इसको आगे बढ़ायेंगे, कैसे कुटीर उद्योग के रूप में हम गांव को आगे ले जायेंगे ये धारणा निरंतर बनती जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए गांव के विकास के लिए वहां के लोग निरंतर सराहना कर रहे हैं। हम गांव में जाते हैं तो चाहे गोधन न्याय की योजना हो, चाहे राजीव किसान न्याय की योजना हो, चाहे धान खरीदी की 2500 रुपये समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे तेन्टूपत्ता के संग्रहण की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ की बात हो, चाहे सुपोषण की बात हो, चाहे हाट बाजार योजना की बात हो, चाहे छोटी-छोटी जमीन की रजिस्ट्री की बात हो, चाहे आदिवासियों के 54 वनोपज की बात हो, सभी के लिए लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और वह काफी खुश हैं कि उनको यह सुविधाएं अभी तक नहीं मिली थी और जब जो सुविधाएं मिल रही है उससे निरंतर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और वे थोड़ा सा अपने विकास के प्रति सचेत हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ को विकास की धारा में ले जाएं, आगे बढ़ायें। प्रदेश में अधोसंरचना का विकास कैसे हो, इसके बारे में आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा कि छत्तीसगढ़ में लोग सोचते रहे कि शहर, व्यापारियों, उद्योग का विकास कैसे होगा, लेकिन गांव का विकास, गांव की सड़क, अस्पताल, गोठनों का विकास कैसा होगा, यदि यह किसी ने सोचा है तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सोचा है। आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसे किसी भी प्रकार की मूल अधोसंरचना, विकास है उसको किसी ने नहीं सोचा था और न किसी ने सुविधा देने का प्रयास किया है। आदरणीय बघेल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसान पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांवों के लोगों की मूल भावना को समझा है। क्या इनको सुविधा चाहिए, इसको वह भलीभांति समझते थे और उनका ध्यान उधर गया। आज गांव की स्थिति बिल्कुल अलग है जैसे कि हम लोग छोटे-छोटे थे तो गाना गाता थे कि

"मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।"

ये जो गाना गाते थे वह आज दिखायी दे रहा है। आने वाले समय में हम ऐसा गाना गांवों में गायें और हमारी जनता खुश रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाये गये तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पांच सौ पांच करोड़ का बजट आया है। यह बजट का स्वरूप थोड़ा और बड़ा हो सकता था। 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे साल के लिए नया बजट लाएंगे। आज मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। एक सीनियर मंत्री जी का विडियो वॉयरल हुआ। उनके पास लोग जाते हैं तो वह बोलते हैं कि इस योजना के लिए तो पैसा ही नहीं है तो आज अगर हम सदन में बैठे हैं अनुपूरक बजट आ रहा है तो प्रदेश की जनता के लिए बजट आ रहा है। योजना के लिए पैसा आना चाहिए। ठीक है कर्ज लेना है तो वह एक अलग विषय है, अलग चर्चा है कि कर्ज कितना लेना है कितना नहीं लेना है, क्यों लेना है? कहां से लेना है वह एक अलग विषय है, पर अनुपूरक पर हम चर्चा करने के लिए बैठे तो पांच सौ पांच करोड़ का अनुपूरक बजट है और इधर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि योजनाओं के लिए पैसा ही नहीं है। जितने विधायक, यहां 90 विधायक बैठे हुए हैं सब इस समस्या से ज़्यादा रहे हैं। कोई इस बात को बोले या न बोले कि योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। आज प्रधानमंत्री आवास की दिवितिय किश्त, तृतीय किश्त राज्यांश नहीं जा रहा है, नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की दिवितिय किश्त, तृतीय किश्त नहीं आ रही है। उज्जवला योजना बंद है मनरेगा में जो सामग्री का भुगतान था वह बंद है हम राज्यांश की राशि क्यों नहीं दे रहे हैं? केन्द्र से पैसा आएगा और आएगा तो यह सारे जो पैसे हैं चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क का पैसा है यह रोल इकॉनामी में पैसा जाएगा। जब प्रधानमंत्री आवास चल रहे थे तो रुरल इकॉनामी को बहुत जम्प मिल रहा था। वहां पर लोग काम करते थे छोटे-छोटे लोग थे, वहां पलायन कम हो गया था। वहीं प्रधानमंत्री आवास के नाम से काम मिलने लगा था। इस प्रदेश में क्यों प्रधानमंत्री आवास को बंद कर रहे हैं? जो अच्छी चीज है उसको आने दीजिए। आज सिर्फ 206 करोड़ रूपये पेंशन भुगतान के लिए दिया गया है। मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि यहां से प्रदेश की जनता का पैसा जा रहा है। एक मेरे क्षेत्र के बी.ई.ओ. कार्यालय के बारे में बोल रहा हूँ कि वहां बिना कुछ लिये-दिये पैसा नहीं मिलता, जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये हैं। जो शिक्षक महिलाएं हैं उनके मातृत्व अवकाश के पैसे के लिए कमीशन मांगा जा रहा है। ये प्रदेश की जनता का पैसा है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खेल तो पहले भी चल चुका है।

श्री सौरभ सिंह :- बंद कर दीजिए न।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पहले चलता था इसलिए अभी भी चल रहा है।

श्री संतराम नेताम :- वह बात नहीं है। आप थोड़ा 15 साल के बारे में भी बता दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय संतराम जी जो पहले गलत होता था, आज क्या नहीं सुधारा जा सकता है। हम सुधारने का ही निवेदन कर रहे हैं, सुधरना चाहिए। अगर कोई गलत चीज चल रही है तो क्या गलत चीज जीवन भर चलती रहेगी? उसको सुधरना चाहिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे इतने सांसद हैं, उनको मोदी जी 1 रुपये नहीं दे रहे हैं। यदि वह कुछ पैसा देते तो छत्तीसगढ़ में कुछ विकास का काम होता। वह उनको क्यों नहीं दे

रहे हैं ? वह बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, छत्तीसगढ़ के 2 लोगों को नौकरी दिया। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मनमोहन सिंह जी ने बस्तर जिला को ए.पी.ए. मट से 30-30 करोड़ रुपये दे रहे थे। माननीय रमन सिंह जी उपस्थित हैं, अभी 7 साल में 7 रुपये नहीं दिया है। यह वहां जाकर क्यों नहीं बताते ? अगर अकेले जाने में डरते हो तो मेरे साथ चलो।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुकमा में कल 5 लोग बीमारी में मरे हैं, आप देखने जाओ, सब आपके खिलाफ भिड़े हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिडियाघरों के लिए पैसा गया, हमारी बहन चिडियाघर के लिए बोल रहीं थी। सेन्ट्रल जू अर्थारिटी ने कितनी बार निरीक्षण किया ? अकबर भाई बैठे हैं। मैं चिडियाघर का उदाहरण दे रहा हूँ, प्रदेश में ऐसा हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्रोकोडाइल पार्क है। जो टूरिस्ट देखने के लिए जाते हैं, 83 लाख रुपये पड़ा हुआ है, वह खर्च नहीं हो रहा है। उसको खर्च करवा दीजिए। ऐसे पैसों को तो कम से कम खर्च करवा दीजिए। वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ऐसे चिडियाघरों की व्यवस्था चलेगी। यहां वेटनरी डॉक्टर की क्या टीम है ? जंगल सफारी में कितने वेटनरी डॉक्टर हैं ? कितने वेटनरी डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है और कितने वेटनरी डॉक्टर प्रतिनियुक्ति में काम कर रहे हैं ? क्या वह वेटनरी डॉक्टर टॉस्क मेनेजमेंट जानते हैं ? हम हाथी का उत्पाद देख रहे हैं। क्या वह टॉस्क मेनेजमेंट जानते हैं, वेटनरी डॉक्टर को यह पता है कि हाथी, टाइगर को कैसे कंट्रोल करना है ? टाइगर तो दिख ही नहीं रहा है। और वन्य जीवों को कैसे कंट्रोल करना है क्या इस पर कोई योजना है? केन्द्र सरकार की बात हो रही थी। आदरणीय हमारे कवासी लखमा जी बात कर रहे थे, केन्द्र सरकार क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, 1 मार्च को हवाई जहाज में बिलासपुर से दिल्ली बैठकर चलेंगे। यह केन्द्र सरकार दे रही है।

श्री अरुण वोरा :- सौरभ सिंह जी, आपके बाजू में विद्वान सदस्य बैठे हैं, उनसे पूछिये जब केन्द्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और रमन सिंह जी यहां पर मुख्यमंत्री थे, मैं बोलना चाहूंगा कि कितनी उदारता का परिचय देते हुए केन्द्र सरकार अभी कितना दे रही है, 11 वर्षों में कितना दी है ? आपके बाजू में बहुत विद्वान सदस्य बैठे हैं, वह बहुत हिसाब-किताब रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप आगे बोलियेगा, आपका नाम है।

श्री सौरभ सिंह :- 1 मार्च को हवाईजहाज में बिलासपुर से बैठकर दिल्ली जायेंगे। आजादी के 70 साल बाद भी बिलासपुर वासियों को हवाईजहाज का सपना नहीं मिला था।

श्री कवासी लखमा :- हमारी सरकार ने 47 करोड़ रुपये दिया है। जगदलपुर में डॉक्टर साहब ने चालू किया था, वह भी बंद हो गया, नरेन्द्र मोदी जी दुर्ग आकर बटन दबाये थे, वह भी बंद हो गया। अभी भूपेश बघेल जी चला रहे हैं, जगदलपुर में हवाईजहाज चल रहा है, एक दिन मेरे साथ जगदलपुर चलिये।

श्री सौरभ सिंह :- वह प्रदेश की जनता ने दी है। हवाईजहाज किसने चालू किया ? आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके गवाह हैं। नितिन गडकरी जी से मिलने गये थे। बड़ी-बड़ी 5-5 सड़कें मिलीं, अभी 15 दिन पहले केन्द्र सरकार ने दिया है। मेंगा एक्सप्रेस हाईवे दी गई हैं, भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे जो विशाखापट्टनम से धनबाद तक भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, उसमें छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े भाग को अनुमति दी गई है।

श्री कवासी लखमा :- वह तो आन्ध्रप्रदेश में दिया है।

श्री सौरभ सिंह :- आदरणीय दादी रायपुर तक है। रायपुर से लेकर उरगा तक है और उरगा से लेकर आगे तक है। आपका ठेकेदार आकर बैठ गया है। प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सौरभ जी, इस बातों को अधिकारी लोग लिखकर दिये नहीं हैं, जितना लिखकर दिये हैं, उतना बोलेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- आज केन्द्र सरकार क्या दे रही है ? आप के इसी अनुपूरक में 275 (1) जो ट्राइवल क्षेत्र के लिए पैसा होता है, उस 275 (1) में जशपुर के आपने 17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केन्द्रांश का 7 करोड़ रुपये और राज्यांश की राशि 17 करोड़ रुपये का जशपुर के लिए प्रावधान किया है। आज सेन्ट्रल गवर्नर्मेण्ट एकलव्य विद्यालय दे रही है। सेंट्रल गवर्नर्मेण्ट भ्रेदभाव नहीं कर रही है, सैनिक विद्यालय भी दे रही है। इसके साथ-साथ 24 करोड़ रुपए का कोविड के लिये प्रावधान किया गया है। मैं यह बोलना चाहता हूं कि हमारा अकेला एक राज्य है, यहां पर भारत बॉयोटेक की को-वैक्सीन मिल रही थी लेकिन क्यों नहीं लगेगी ? आज मैं जिम्मेदारी से यह बोलना चाह रहा हूं कि यदि वैक्सीन लग रही है, जिस वैक्सीन को हमसे पूरा विश्व मांग रहा है, कोविड शील्ड की वैक्सीन आपके पास है, चलिये को-वैक्सीन को आप नहीं लगा रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- लोग डर रहे हैं, पहले मोदी जी को लगाना चाहिए न। आपके मोदी जी को बोलो कि वह पहले वैक्सीन लगवायें।

श्री सौरभ सिंह :- आपके मंत्री जी यह बोल रहे हैं कि हम भारत बॉयोटेक की को-वैक्सीन नहीं लगायेंगे। चलिये, आपके पास कोविड शील्ड की वैक्सीन है। आप सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन को एप्रूव कर रहे हैं, आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज विधानसभा के सत्र में क्या यह नहीं हो सकता था कि जितने हम सदस्य बैठे हैं, जो विधानसभा के लोग बैठे हैं उनको वैसीन लगा दिया जाए ? यदि 50 के ऊपर है तो 50 के ऊपर कितने लोग हैं ? माननीय मंत्री जी भी 50 के ऊपर हैं, बहुत लोग हैं तो आज यह बोलना कि यह वैक्सीन नहीं चलेगी, तीन राज्यों में यह वैक्सीन नहीं चलेगी।

श्री कवासी लखमा :- श्री अजय चन्द्राकर जी को पहले लगाओ, हम उसके बाद लगायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ जी, समय का ध्यान रखिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूँ। डी.एम.एफ. की बात हो रही थी, डी.एम.एफ. में आपने विधायकों को रखा अच्छी बात है, सांसदों को क्यों छोड़ दिया ? 2 सांसदों को क्यों रखा और बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया ? मेरा निवेदन है कि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सब चीजें बराबर होनी चाहिए।

श्री मोहन मरकाम :- श्री सौरभ भाई, आप ईमानदारीपूर्वक बताइए कि डी.एम.एफ. से कितना मिला है ? सबसे ज्यादा पता चला है कि जांजगीर में आपको मिला है, हमारे पास लिस्ट है, सही बताईएगा।

श्री सौरभ सिंह :- वहां सबसे ज्यादा पैसा भी आता है।

श्री कवासी लखमा :- श्री सौरभ सिंह जी, आप पहले यह बताइए कि हम आपके साथ इतने साल रहे लेकिन हमको सदस्य भी नहीं बनाए थे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहन मरकाम जी बात कर रहे थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भोजन अवकाश के बाद श्री कवासी लखमा जी बहुत खड़े हो रहे हैं इसकी जांच करवानी पड़ेगी। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- हां, जांच करवानी पड़ेगी। आप फॉर्म में आ गए हैं, प्रश्नकाल से निवृत्त हो गए हैं न।

श्री धर्मजीत सिंह :- श्री लखमा जी, वैक्सीन लगी नहीं है। आखिर क्या लगवा कर आ गये हो कि आज बार-बार ज्यादा खड़े हो रहे हैं ? (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- आपको अलग से बताऊंगा।

श्री सौरभ सिंह :- आदरणीय मोहन मरकाम जी बोल रहे थे बैंक का कर्जा। बहुत लोगों का नाम लिया, उस पर पृथक से टीवी में बाहर चर्चा करा लें क्योंकि यह लोकसभा का सत्र नहीं है, लोकसभा में हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच मैं छत्तीसगढ़ में जितने पाँचर प्लांट लगे और उन पाँचर प्लांटों को किस आधार पर, किन बैंकों ने फायरेंस किया और सारे पाँचर प्लांट एन.सी.एल.टी. मैं चले गये हैं इस पर भी जांच होने की आवश्यकता है। उस समय कैसे फायरेंस हुआ और किस ढंग से फायरेंस हुआ ? सन् 2004 से 2014 तक केवल छत्तीसगढ़ में जितने बैंक लगे और जो बैंक लगे उनको किन बैंकों ने कर्जा दिया और वे कैसे एन.पी.ए. में गये और कैसे एन.सी.एल.टी. मैं गये ? उस पर जांच होने की आवश्यकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसके लिये यह सदन नहीं है, सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री गौरव ग्राम एक योजना चलाती थी। श्री अजय चंद्राकर जी ने उस योजना को चालू किया था, अभी एक कार्यक्रम विरासत चला। मेरे परिवार के सदस्य आदरणीय बैरिस्टर छेदीलाल जी का कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले आई.एन.एच. चैनल और हरिभूमि में चला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने

उसमें इंटरव्यू भी दिया लेकिन उनका जो ग्राम था, मुख्यमंत्री गौरवग्राम था उसकी हालत क्या है, उस गौरवग्राम योजना में पिछले 2 साल में एक रूपया नहीं आया है और गौरवग्राम की हालत क्या है ? स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के नाम से जो गौरवग्राम बनाया गया था, उस गौरवग्राम योजना में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अगर अनुपूरक है तो उन अनुपूरक में क्यों नहीं जोड़ा जाता ? और उन जगहों पर क्यों पैसा नहीं दिया जा रहा है ? समग्र विकास में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है ? पहले 500 करोड़ था, फिर 200 करोड़ हो गया, यहां जितने विधायक बैठे हैं, सब ताक में बैठे हैं कि किस दिन दस्तखत होगा । क्योंकि सभी को सरपंच तंग कर रहे हैं । जहां-जहां भी दौरे पर जा रहे हैं वहां मांग आ रही है कि पचरी बना दो, सी.सी.रोड बना दो । इस साल कोई नहीं दिया, अब खत्म होने आ गया और किसी को कुछ नहीं मिला । विधायक निधि से कितना क्या होना है ?

श्री अमरजीत भगत :- सौरभ जी, जो कोविड आया, उसे किसी ने लाया तो नहीं, यह वैश्विक है । मोदी जी ने तो सबका सांसद निधि भी काट दिया । यहां तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए कि किसी का कोई निधि नहीं कटी ।

श्री सौरभ सिंह :- स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल रहे हैं । वे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी श्रद्धेय हैं, डॉक्टर साहब के लिए भी श्रद्धेय हैं और मेरे लिए भी । स्कूल बनना चाहिए, अकलतरा में भी बन रहा है । हर जगह स्कूल बन रहा है, उसके लिए बजट में पृथक से व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ? डी.ए.वी. की स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है, अंग्रेजी मीडियम की जो स्कूल पहले चल रही है उसे चलने देते । जो नये बना रहे हैं उनको भी बनाइए और अच्छे से बनाइए । उसके लिए बजट में क्या व्यवस्था की गई है ? मैं इस बात को मुख्य बजट में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अप्रैल महीने से आपका शिक्षा सत्र चालू हो जाएगा । आपका जो मुख्य बजट आएगा वह 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और 1 अप्रैल से पहले इस बजट में प्रावधान करेंगे तभी आदरणीय स्वामी आत्मानंद जी के स्कूल के लिए पैसा दे सकेंगे और जब आप पैसा देंगे तब वह वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेगा । इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस स्कूल के लिए इस बजट में पैसा देने की आवश्यकता थी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात बोलूँगा ।

श्री कवासी लखमा :- 3 हजार स्कूलें बंद की हैं उसके बारे में भी बताओ ।

श्री सौरभ सिंह :- वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करूँगा । जांजगीर-चांपा जिले में गौण खनिज का पैसा आता है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है । पंचायतों को गौण खनिज का पैसा मिल गया लेकिन अकलतरा नगर पालिका को आज तक पैसा नहीं मिला और अकलतरा नगर पालिका को 187 लाख मिलना है । जब पंचायतों को आपने दे दिया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लेकिन महाराज जी के किरपा तोर उपर बहुत हवया ।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज जी की के किरपा मोर ऊपर ही नहीं है, अध्यक्ष जी के ऊपर भी है और जांजगीर जिला के सबो विधायक के ऊपर है। आज मेरा यही निवेदन है कि वह फाइल कहाँ गई ? वित्तीय प्रबंधन जिस तरह से चल रहा है क्या स्थानीय विकास के लिए 187 लाख रुपए भी नहीं दिया जा सकता ? उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अरुण वोरा ।

श्री अरुण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरुण वोरा जी, बिना नाड़ा कसे आप नहीं बोल सकते?

श्री अरुण वोरा :- मैं नाड़ा नहीं, पैट वाला पाजामा पहनता हूँ (हंसी) ये बटन वाल हैं, नाड़े वाला नहीं पहन सकता मैं। मेरा बटन हमेशा मजबूत रहता है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अंदर की बात को रहने दीजिए ना (हंसी)।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी बताएंगे कौन सी बात है ।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, काकर हाथ कहाँ जात है, तैं बड़ा ध्यान रखेंगे ।

श्री अरुण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा तृतीय अनुप्रक अनुमान 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में मांग अनुदान संख्या 6, 7, 10, 24, 41, 47, 58, 64 एवं 71 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर पांच सौ पांच करोड़, सात सौ रुपए की अनुप्रक राशि दी जाय। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे विपक्ष के सभी साथी भी इसका समर्थन करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- संचित निधि में कितना पैसा है और उसमें से कितना पैसा मांगा गया है ?

श्री अरुण वोरा :- ये कोई प्रश्नोत्तरकाल नहीं है। जब मैं प्रश्नोत्तर का जवाब दूँगा तब आप मुझसे पूछिएगा। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको प्रश्नों का जवाब देने के लायक बनायेंगे तब न।

श्री अरुण वोरा :- उसके लिए लायक नहीं बनना पड़ता है। उसमें अपनी कूवत होनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आपमें यह कूवत है कि आपको यहाँ प्रश्नों का जवाब देने के लायक मैं इधर बैठा सकते हूँ।

श्री अरुण वोरा :- आप कैसे जानते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री जी से कैसा संबंध है?

श्री शिवरतन शर्मा :- भई, आप ही बताओ न। प्रश्नों का जवाब दूँगा, तब बताऊंगा। कब जवाब दोगे ?

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग अरुण भाई को छेड़ रहे हो। देखो, उन्हें बोलने दो।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, हम तो बोलने देंगे। हम तो सुन रहे हैं।

श्री अरुण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके रहते मुझे कोई छेड़े, यह संभव है क्या ? (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- आपको कोई नहीं छेड़ रहा है।

श्री अरुण वोरा :- और क्या मैं कोई छेड़ने वाली चीज़ हूं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अब आप ये बिल्कुल सही बोल दिये। (हंसी) आप कोई छेड़ने वाली चीज़ भी नहीं हैं। (हंसी) और मैं इसीलिए यह कह रहा था कि आपके भाषण के समय में पूरे सदन में मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष सब बैठे हैं, मुझे केवल एक कमी महसूस हो रही है। मुझे अमितेश शुक्ला जी की कमी महसूस हो रही है। आपका जब भाषण हो तो उनका रहना और उनका जब भाषण हो तो आपका रहना बहुत आवश्यक है।

श्री अरुण वोरा :- धर्मजीत भाई, सुनिए न। मैं वर्ष 1993 से एम.एल.ए. हूं और वे बाद में बने। आपसे पहले मैं बना हूं। (हंसी) मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विधायक रहा हूं और मध्यप्रदेश की विधान सभा में बैठा हूं। बृजमोहन जी के साथ बैठा हूं। रमन सिंह जी के साथ बैठा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, आप बिल्कुल बने हैं और आप बहुत वरिष्ठ हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वे भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और आप भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। लेकिन इस दौर में हम लोग कई बार आ चुके हैं। आप बहुत पीछे रह चुके हैं।

सौरभ सिंह :- धर्मजीत भैय्या, आपके बगल में अमितेश जी बैठते थे, आपका विशेष लगाव है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी सीनियारिटी को सब समझ गये हैं। अब कोई नहीं बोलेगा।

श्री अरुण वोरा :- आप मेरे बाल के सुकून स्तंभ देखकर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसीलिए बोल रहा हूं। उसके बाद भी आपको छेड़ रहे हैं तो अब आपको नहीं छेड़ेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पके बाल पर हम नहीं जाते। आप एकिटव हैं, हम मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय भाई, आपका बाल अभी नहीं पका है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एकिटव हैं।

श्री अरुण वोरा :- आपको धन्यवाद। मुख्यमंत्री का लड़का होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री का लड़का रहकर साधारण ढंग से जिया जा सकता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसी पर तो हम आप पर गौरव महसूस कर रहे हैं और आप इसे अलग ले रहे हैं। आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अमितेश जी हैं। तो आप लोगों को लोग सुनेंगे, देखेंगे, मेरा यह कहना है। मैं कोई अपमान थोड़े न कर रहा हूं।

श्री अरुण वोरा :- धर्मजीत भाई, मैं आपकी बातों का सम्मान कर रहा हूं। आप भी बहुत सीनियर हैं और आप बहुत विद्वान हैं जैसे अजय चन्द्राकर जी हैं। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, वोरा भैय्या बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब क्या बोलूँ मैं ?

श्री अरुण वोरा :- अब मैं क्या बोलूँ ? मुझे यह कहने में बहुत ही गर्व और फ़क्र का अनुभव हो रहा है कि प्रदेश सरकार दो वर्षों में विकास के हर मोर्चे में सफल रही है चन्द्राकर जी। 15 साल में हमने ऐसा विकास नहीं देखा जो हमने दो वर्षों में देखा। मैं मुख्यमंत्री जी की स्तुति नहीं कर रहा हूं। मैं हकीकत बता रहा हूं और मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं उनके साथ पिछले विधान सभा में था। हम लोग लगातार विकास की बात करते थे, लेकिन हमारे यहां विकास नहीं होता था और यह विकास हमें दो वर्ष में दिखा है। और जो ऐसी योजना जिसमें बारे में आपने सुना नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी जैसे गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना..।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धूँव :- नवाचार योजना।

श्री अरुण वोरा :- मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। ये ऐसी महती योजनाएं हैं। एक मॉडल स्वरूप पूरे देश में प्रस्तुत की गई है। केन्द्र सरकार को इससे शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसी योजना चालू करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में..।

श्री शिवरत्न शर्मा :- एक योजना के बारे में विस्तार से बता दो। आपने तीन योजनाओं का नाम लिया न। यह नवाचार योजना क्या है, आप यह बता दो।

श्री अरुण वोरा :- मैं नवाचार योजना के बारे में बोला ही नहीं।

श्री शिवरत्न शर्मा :- पीछे से लक्ष्मी जी ने कहा न।

श्री अरुण वोरा :- मैं पीछे वाली बात नहीं कर रहा हूं।

श्री शिवरत्न शर्मा :- अच्छा, गोधन योजना के बारे में बता दो। एक योजना के बारे में विस्तार से बता दो। (हंसी)

श्री अरुण वोरा :- आप इस उम्र में भी मेरी परीक्षा लेंगे। (हंसी) मेरी परीक्षा तो मेरे क्षेत्र के मतदाता लेते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी उम्र क्या है, जिसमें आप परीक्षा देने की बात कह रहे हो। अभी तो आप नौजवान हो।

श्री अरुण वोरा :- यह मैं पिछले सत्र में भी बोल चुका हूं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- नहीं-नहीं, उम्र पचपन का और दिल बचपन का।

श्री अरुण वोरा :- अभी मेरी उम्र 52 साल है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी की उम्र का हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी 52 के हैं ?

श्री अरुण वोरा :- मैं भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं कि 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस वर्ष की गई है, जिसे हमने 20 वर्षों में नहीं देखा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पूरा ठीक से पढ़े नहीं हो। आपके अभिभाषण में 92 लाख टन से ज्यादा है।

श्री अरुण वोरा :- अभी ज्यादा हुआ है। वह लगातार बढ़ते जा रहा है न।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, 31 जनवरी से धान खरीदी बंद हो गई थी।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष जी, चन्द्राकर जी हमारे वोरा जी को टोका-टोकी मत करें। इधर-उधर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हों।

श्री अरुण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जी कह रहे थे कि स्वामी आत्मानंद जी को मैं प्रणाम करता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यह पहला अवसर है, जब गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) ऐसा पहले कभी हुआ है ? भवन तो बन जाएंगे, राशि भी स्वीकृत हो जाएगी, लेकिन गरीब बच्चे अंग्रेजी जानें। आज कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें हमारे गरीब बच्चे कलेक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पुलिस एवं प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्कूल प्रारंभ किया, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हम लोगों ने इस मुद्दे को कई बार सठन में उठाया कि 3 हजार स्कूलें बंद हो गई थीं। आज लगभग 14,500 शिक्षकों की भर्ती हुई है। (श्री अजय चन्द्राकर की ओर इशारा करते हुए) आपने नहीं सुना, सुबह ताम्रध्वज जी बता रहे थे। एक तरह जहां पूरे देश में मंटी का दौर चल रहा था, जी.डी.पी. लगातार गिरती जा रही थी, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। लगभग सभी क्षेत्रों में चाहे किसानों का मामला हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत प्राथमिकता से और प्रमुखता से उस कार्य को किया। मैंने योजना के बारे में आपको बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही 52 वर्गों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई, सुदूर क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र के निवासियों को भी आर्थिक व सशक्तीकरण के एक नई दिशा दी है। पूरे देश में जहां किसान परेशान और आन्दोलनरत् हैं, वहीं प्रदेश में सर्वाधिक धान की खरीदी कर अन्नदाताओं का ध्यान रखा गया। न सिर्फ धान, बल्कि गन्ना-मक्का समेत 14 फसलों के लिए सरकार किसानों को सीधे आर्थिक मदद देने के लिए प्रतिबद्ध रही।

उपाध्यक्ष महोदय, हम गोठानों की बात करते हैं। गोठानों से कितना फायदा हो रहा है, कितना रोजगार मिल रहा है। गोबर से दीए बन रहे हैं, कंडे बन रहे हैं और आज रोजगार का साधन बना हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर दुर्ग के हर वार्ड में गोठान खुलवा दो।

श्री अरुण वोरा :- दुर्ग में चार गोठान खुल गए हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे जिले के हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो गोठान बनवा लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुपूरक अनुमान का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यह राशि स्वीकृत की जाये और जिस तरीके से सभी 90 विधायकों को अभी दो वर्षों में विकास के कार्य सभी के क्षेत्रों में हुए हैं। आप इसको झुठला नहीं सकते क्योंकि आप झूठ को सच बना देते हैं। इसमें तो आपने महारथ हासिल कर ली है, मैंने सुबह ही बोला था कि सच को झूठ बनाने की कला चन्द्राकर जी को बहुत अच्छे तरीके से आती है। आप विद्वान हैं, इसमें दो मत नहीं हैं। मैं आपकी विद्वता की प्रशंसा करता हूं।

श्री कवासी लखमा :- मोटी जी अभी बाबा बन रहे हैं, ऐसा दाढ़ी बढ़ा रहे हैं।

श्री शिवरत्न शर्मा :- कवासी जी, आप मोटी जी को याद कर रहे हो। राहुल जी ने भी वायनाड में कुछ कहा है और पूरे उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। उत्तर भारत में हम लोग भी आते हैं, उसमें भी कुछ बोल लो।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरुण जी, आप मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करिए तो कुछ कल्याण होगा।

श्री अरुण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जो कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, उसके चलते पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे नम्बर 1 में रही है, गरीबों को सहायता और लोगों को गीला अनाज, सूखा अनाज दिया गया है। हम लोग खुद कोरोना काल में लोगों के बीच में गए, हमारे प्रदेश के कांग्रेसजन लोगों के बीच में गए। उस समय चन्द्राकर जी कहां थे, आप यह बताईए। मुझे तो आप कहीं दिखे ही नहीं। दिल्ली में थे क्या? उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री कवासी लखमा :- आप किधर से बोलोगे?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों तरफ से बोल देता हूं। दोनों तरफ से बोलूँगा तो आप संतुष्ट रहेंगे न। मैं दोनों तरफ से बोल देता हूं। क्योंकि आप लोगों का आरोप है कि कमीशन की शुरुआत यहां से हुई। (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) और उस परम्परा को आपने जीवित रखा है। अब कमीशन की परम्परा को समाप्त होने नहीं देना चाहते।

श्री अजय चंद्राकर :- हाथी छाप सुनो। कमीशन की बात या इधर उधर की बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भाषण पिछले सत्र में नहीं सुने थे क्या? सत्युग से लेकर आज तक ...। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाये गये अनुपूरक बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी अच्छा याद दिला दिये कि आप किधर से बोलेंगे। इस सदन में पिछले पांच साल रहे तो 2003 से पहले की सरकार की तुलना और अभी की सरकार की तुलना सत्ता पक्ष की तरफ से भाषण की शुरूआत होती थी। आज शुरू हो रही है तो 15 साल बनाम दो साल, 15 साल में आपने क्या किया दो साल में आपने क्या किया? अगर जनता ने चुना है तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा, जिन कामों में कमी रही, जिनके कारण नाराज हो करके आपको मौका दिये हैं, इसलिए चुने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ के बारे में कहा कि एक साल कमीशन लेना बंद दोगे तो सरकार बन जायेगी तो कमीशन ले रहे थे, इसलिए सरकार उस परंपरा को जीवित कर रहे हैं। लेकिन ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार है तो केवल कांग्रेस के लोग या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग या कांग्रेस के सदस्य को ही सरकार की योजना का लाभ मिलेगा? यह नहीं होना चाहिए, आपके लिये तो पूरे प्रदेश की जनता सब आपके हैं। आपको अगर सरकार बनाया है तो जिसने वोट दिया है, जिसने वोट नहीं दिया है, जिसने आपका समर्थन किया है, जिसने आपका समर्थन नहीं किया है, उन सभी लोगों की हितों की रक्षा करना आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्रा जी, दस साल से तुंहर क्षेत्र में रोड हा कइसने रिहिस हे बतावव। लेकिन जइसने हम भूपेश बघेल जी हा बनिस हे, चमचमाती रोड बनिस की नई बनिस।

श्री सौरभ सिंह :- तुंहर यहां के सड़क के का हाल हे तेला आप बतावव।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, भूमिपूजन हो गे हे।

श्री सौरभ सिंह :- लेवा बन जाही, ओखर बाट बतावव।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो साल पहले सड़क क्या थी और दो साल सरकार बनने के बाद क्या स्थिति है? यह विषय नहीं है। सरकार किसी की भी बनेगी, सरकार के पास राशि आयेगी, उनका काम तो विकास के लिये करना है। 15 साल तक विकास हुआ, आजादी के बाद जितने दिन तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी विकास हुआ और आज भी विकास हो रहा है, ये निरंतर प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बात विकास की नहीं है, आम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, बेहतर ढंग से मिलना चाहिए, प्रश्न यह है। माननीय यादव जी, आप सड़क की बात कर रहे हैं, आज लोग कितने परेशान हैं? आप देख लीजिए भ्रष्टाचार से कितने ब्रस्त हैं। भ्रष्टाचार विकास में बाधक है और जो सरकार इसको नहीं रोकेगी, स्थिति यही होगी। मैं सदन में हर बार इसी चीज को बोलता हूं कि सरकार अनुदान दे रही है, सरकार लोगों को सुविधाएं देने के लिये योजनाएं लागू कर रही है लेकिन लोगों तक क्या पहुंच रहा है, इस पर आप थोड़ा सा सर्वे करा लें। डी.एम.एफ. की बात हुई, पिछली सरकार ने कंस्ट्रक्शन करवाया, बिल्डिंग बनाया, ये

बात हुई, चलो बिल्डिंग तो दिख रही है, आज आप व्यक्तिगत लाभ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बैटरी चलित स्पेयर दे रहे हैं। आप भी बहुत बांटे हैं, सबसे ज्यादा बांटे हैं। क्योंकि आप हमारे जिले में अकेले कांग्रेस के विधायक हैं, आपके तरफ प्रशासन के लोगों का ज्यादा ध्यान है। लेकिन आपने कभी देखा है कि वह बैटरी चलित स्पेयर जो खुले बाजार में 2200 रूपये की है, आप उसको 5800 रूपये में खरीदे हैं। लोगों को क्या मिला और ये 2200 से 5800 का अंतर कहां गया ? यादव जी, प्रश्न यह है। लोगों को लाभ के नाम से लाभ कौन ले रहा है, यह प्रश्न है। आप बांटिये ना $22 \times 3 = 66$ तीन स्पेयर आता। 3 लोगों को लाभ मिलता। उसमें क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है ? ये जो कमीशनखोरी का खेल है, उदाहरण इधर का दे देते हैं लेकिन इनसे सीख लिये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्रा जी, पहली के सरकार के समय बने आड़ा-बाड़ा ला देखे हा? तरी ले नहाकिया तो डर लागथे कि गिर झन जाही। पता नहीं आदमी रेंगे बर या कुकुर-बिलाई रेंगे बर बनाय हे।

श्री केशव चन्द्रा :- ओ आड़ा-बाड़ा को हटा दीजिये, उसी की तो विधानसभा में चर्चा हुई थी।

श्री सौरभ सिंह :- राजा साहब बैठे हैं, थोड़-बहुत हमन ला पैसा दे देथे तो ओखर जाकर अकबर रोड मा शिकायत कर देथे।

श्री केशव चन्द्रा :- आड़ा-बाड़ा हटा दीजिये, उसी की बात हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- अंदर के बात तुमन ला कैसे पता चलिस ?

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग ग्रामीण विकास विभाग से छोटे-छोटे काम करवाते थे। मंत्री जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि कोरोना के कारण बजट नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग में कितने का बजट था और हम लोग क्या देते थे ? आप लोग दो करोड़ देंगे बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग आज भी वही परम्परा जीवित रखे हो। हम डेढ़ ही करोड़ रूपये तो बांट रहे हैं बाकी तो प्रभारी मंत्री बांट रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आपकी तरफ पी.डी.एस. चावल बढ़िया बांट रहा है न? मतलब अभी तीन महीने का फ्री में दिए तो मिला था न ?

श्री केशव चन्द्रा :- बैठिये न। कल मेरा 8वें नंबर पर प्रश्न है, मेरा प्रश्न लगा है, आप उसमें जवाब दे देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग से लोगों की मांग के अनुसार वही थोड़ा-बहुत काम करवा लेते थे। आज आप विधायक निधि की बात कर रहे हैं तो आज आप लोग भी उसी परम्परा जीवित रखे हो। हम डेढ़ करोड़ की राशि ही बांट रहे हैं और 50 लाख प्रभारी मंत्री बांट रहे हैं, आपने कौन सी परम्परा को बदला और कहां बदला ? आप इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे थे, तो आपमें और इनमें क्या अंतर है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो सौ करोड़ रूपये का बजट था, दो सौ करोड़ ग्रामीण विकास विभाग की लोगों तक नहीं पहुंचा, गांव तक नहीं पहुंचा। अगर यही दो सौ करोड़ चला जाता, मैं जनप्रतिनिधि हूं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच मैं जाते हैं तो छोटी-मोटी मांग

आती है। डेढ़ करोड़ रूपये कितने गांव के लिए मिलता है ? पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांवों के लिए मिलता है। लेकिन आज केन्द्र सरकार की ओर से चौदहवें और पन्द्रहवें वित्त से छोटे से छोटे ग्राम पंचायत को भी कम से कम 10 लाख और बड़े-बड़े ग्राम पंचायत को 50-60 लाख रूपये एक वित्तीय वर्ष में मिल रहा है। लेकिन उसका भी दुरुपयोग। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि क्वारनटाइन पर जो लोग आये, जो अनटाइड फंड है, हमने उनको खर्च करने के लिए कहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि क्वारनटाइन में बढ़िया व्यवस्था हुई। केन्द्र सरकार ने भी किया, प्रदेश की सरकार ने भी किया, सामाजिक संस्था ने भी व्यवस्था की, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी किया। कोरोना काल में सभी ने मानवीय दृष्टिकोण से अपनी क्षमता से ऊपर उठकर निश्चित रूप से काम किए। लेकिन जिन पंचायतों से काम करवाया गया, जहां उन लोगों को रुकवाया गया, उसमें कई तो ऐसे ग्राम पंचायत थे, जो नये ग्राम पंचायत बने थे, वहां न तो चौदहवें वित्त की राशि थी न अन्य कोई फण्ड था, सरपंच ने कर्ज लेकर उनकी व्यवस्था बनाई, वे अपने घरों से पैसा लगाये और आज विधानसभा में जवाब आ रहा है कि हम उनको पूरा भुगतान कर दिए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री राहत कोष से एक-एक तहसील को 30-35 लाख रूपये मेरे विधानसभा में आया है, मैं बाकी जगह का नहीं जानता। आप उसको कितने पंचायत में दिए ? 7-8 पंचायत में दिए तो क्या बाकी पंचायत वाले आपके दुश्मन हैं? उसी राशि को पूरे पंचायत में बांट लेते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट में क्या लाये हैं, नहीं लाये हैं, आप कितना राजस्व व्यय कर रहे हैं, कितना पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, यह विषय अलग है। लेकिन किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना में चौथे किश्त के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सत्र में देने के लिए इसी सदन में घोषणा किया है। इसमें कोई जिक्र या प्रावधान नहीं है। अभी इसी वित्तीय वर्ष में जो धान खरीदे हैं, उनको कब देंगे, उनका तो किसी भी रूप से कहीं पर जिक्र ही नहीं है। इसीलिए किसान लोग सरकार की तरफ अविश्वास भरी नजर से देख रहे हैं कि पिछले साल का पैसा आज मिल रहा है तो इस साल का पैसा कब मिलेगा ? आप बार-बार दो साल का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन आपने तो कहा था कि हम उस पाप को भी धोयेंगे। भारतीय जनता पार्टी दो साल का बोनस देने की घोषणा करके नहीं दिए हैं, हम उस पाप को भी धोयेंगे, हम दो साल का बोनस देयेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्रा जी, मुख्यमंत्री जी हा ठीक समय में देथे। पहला किश्त धान बोर्ड, दूसरा किश्त गेंडी तिहार और तीसरा किश्त होली तिहार। वह कहां ल देना है, सबला जानत है, फिट है।

श्री सौरभ सिंह :- चौथा कब मिलही, सबमन पूछत हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सरकारी दुकान ठीक चलय ऐखर लिए फिट है। तिहार मन में वो पैसा ला बांटत रहव। काबर कि कहीं से गुजरते हैं तो हम बड़ा गर्व के साथ बोलते हैं कि दुकान हमारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देते हैं कि अच्छी भीड़ है साहब, दुकान ठीक-ठाक चल रही है क्योंकि

पूर्ण शराबबंदी की घोषणा भी आपने की थी। तो माननीय यादव जी, त्यौहार में उसका सदुपयोग होता रहे, किसी न किसी रास्ते से आपके पास पैसा आये, इसीलिए बांट रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के किसान और मजदूरों ने बहुत बड़ा विश्वास करके आपको 68 सीट दी थी और 68 सीट देने के बाद उनका अधिकार बनता है कि आप उनके प्रति सोचें और उनके लिए सकारात्मक रुख रखें। निश्चित रूप से कोरोना की विषम परिस्थिति आई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम एक बड़ी रोड नहीं बनायेंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि यदि आप 1000 करोड़ रुपये की रोड बना रहे हैं तो आप उसको मत बनाईये उसके लिए आप दो साल और रुक जाईये लेकिन छोटे-छोटे गांवों की आवश्यकता की तो आप पूर्ति कीजिए। वह 200 करोड़ रुपये का बजट है। किसानों के लिए आप जो घोषणा किए हैं उनको तो आप दे दीजिए। आप दे रहे हैं, दो साल 2500 रुपये प्रति किवंटल धान का दिये और दो साल का इनका जो पाप है उसे भी आप धो दीजिए। इन लोग भी गर्व से बोलेंगे कि हम लोग घोषणा किए थे और वह हमको मिल गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डेय जी।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, रेट लिस्ट को बताईयेगा।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- अभी बताता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है उसकी अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ बने हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 20 सालों में छत्तीसगढ़ को जो प्रगति मिली उसमें 15 साल आपके पास थे और 15 साल तक आपने सरकार चलाई। छत्तीसगढ़ की प्रगति की जो आपकी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच थी।

(पूर्व मुख्यमंत्री (डॉ रमन सिंह) के अपने सीट से उठकर सदन से बाहर जाने पर)

श्री कवासी लखमा :- डॉ. रमन सिंह चले गये।

श्री शैलेश पाण्डे:- डॉक्टर साहब अभी आयेंगे, शायद इधर-उधर कहीं गये होंगे। इन 15 सालों में डॉ. रमन सिंह जी की जो सोच थी, आपकी सरकार की जो सोच थी उसके तहत आपने बजट लाया, आपने जैसा प्रदेश का मनचाहा विकास करना चाहा वह आपने किया। अभी डॉ. रमन सिंह जी बोल रहे थे कि 10 हजार करोड़ रुपये पूँजीगत व्यय था जो कि अब घट गया है और 5 हजार करोड़ रुपये, 8 हजार करोड़ रुपये हो गया है, ऐसी दो बातें बोली थीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 15 साल सरकार चलाई, जब आप बजट की बात कर रहे हैं, एक-एक बात पर कमियां निकाल रहे हैं, एक-एक बात पर आरोप लगा रहे हैं तो 15 साल सरकार चलाने के बाद छत्तीसगढ़ में 39 प्रतिशत गरीबी

क्यों थी? यहां पर 5 लाख बच्चे कुपोषित क्यों थे? क्यों महिलाएं एनिमिया से मर रही थीं, क्यों छत्तीसगढ़ के बच्चे कुपोषण से मर रहे थे, क्यों हमारे प्रदेश में गरीबी का साया था? बजट आपके पास भी था, आपने 15 साल सरकार चलाई, आपने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों, क्योंकि आपके लिए जरूरी है बिल्डिंग, आपके लिए जरूरी है सड़क और बाकी चीजें। आपको भौतिकता में बनी हुई सब चीजों में ही सब विकास दिखता है। मानव का विकास, आदमी को सक्षम बनाने का विकास, स्वावलंबी बनाने का विकास आपको नहीं दिखता है। अगर ये किसी ने किया है तो यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) में इसमें यह कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश की जनता से जाकर पूछें कि आप यह बताईये कि डॉ. रमन सिंह जी की फोटो अखबार में ज्यादा छपती थी या आदरणीय भूपेश बघेल जी की फोटो ज्यादा छपती थी? तो मैं आपको जवाब बताता हूँ। इस प्रदेश की जनता बोलेगी कि डॉ. रमन सिंह जी की फोटो अखबार में ज्यादा छपती थी। यह क्यों? क्योंकि आप फिजूलखर्ची करते थे, आप इतना विज्ञापन देते थे प्रतिदिन आपके पूरे पन्ने का विज्ञापन आता था जैकेट लगता था पूरे 15 सालों तक आपने विज्ञापन दिया। क्या हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इतना विज्ञापन दिया? क्या हमने सरकार की योजनाओं का इतना प्रचार किया। हमने जितना जरूरी था, हमने उतना किया। हमने फिजूलखर्ची नहीं की। आपने जरूरी समझा तो 50 लाख लोगों को मोबाइल देने की योजना बनाई, आपने जरूरी समझा कि हम राजधानी में स्कार्डवॉक बनायेंगे। आपने ऐसी बहुत सारी चीजों को जरूरी समझा। हमने जरूरी नहीं समझा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं समझा। हमने क्या समझा कि हम गरीब के पास जाएंगे, हम गांव को समृद्ध बनायेंगे। जो छत्तीसगढ़ का खस्ता हाल होता जा रहा था, जिसमें हमारे पास खनिज संसाधनों, पानी की कमी होती जा रही थी। यह सब होता जा रहा था। इस पर कोई विचार नहीं किया। गरीब व्यक्ति, किसान मर रहा है तो उसे मरने दें। जब जनता ही मर जाएगी तो राज्य चलाकर क्या करेंगे? राज्य किसलिये चलाएंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बात पर विचार किया जाये कि आप सच्चे दिल से यह बताईये कि पूरे देश में आज हमारे सार्वजनिक उपक्रम क्यों बेचे जा रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत थी? पूरे देश में वह भी तो वित्त प्रबंधन कर रहे हैं। वहां पर 17 सेक्टरों को चिन्हांकित किया गया है। सारे सेक्टरों को धीरे-धीरे करके बेच रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह कौन सा वित्तीय प्रबंधन है? आपको यह नहीं दिखता? जो सलाह आप हमको दे रहे हैं वह सलाह आप केन्द्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीजिए कि वह देश की जो हमारी संस्थाएं हैं जो आजादी के बाद से लेकर तिनका-तिनका करके बनाई गई हैं उनको क्यों बेचने में लगे हैं। लोगों को क्यों बेरोजगार करने में लगे हुए हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह कौन सा वित्तीय प्रबंधन है?

समय :

4:57 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब, ग्रामीण विकास, मजदूर, जल, जंगल, जमीन की बात की है तो वह गलत है? माननीय मुख्यमंत्री जी गेड़ी चढ़ते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भंवरा चलाते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है। ऐसा क्यों भाई? उनको अच्छा लगता है उनको सिंहासन नहीं, उनको आम आदमी बनना अच्छा लगता है उनको ऐसा लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ी हूँ मेरा गरीब आदमी छत्तीसगढ़ी है मैं उसके जैसा दिखूँ, बनूँ और उसको ऐसा न लगे कि वह अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाएगा।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, एक बार माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी गेड़ी चढ़ने की कोशिश किये थे।(हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अमरजीत भगत जी, आप गेड़ी, भंवरा यहीं बुलवा लीजिए। एक दिन सत्र को गेड़ी, भंवरा और सब में रख देते हैं। आप जहां पैदा हुए हो वहां मैं भी पैदा हुआ हूँ। आप शैलेश पाण्डे को बताईये, आप मुझे मत बताईये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की जो परम्परा है उस परम्परा, लोकसंस्कृति, सभ्यता, यहां का जो ग्रामीण परिवृश्य है हमारी सरकार का फोकस ग्रामीण विकास है तो क्या गलत था? अगर हम किसान की जेब में पैसा डाल रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? केवल इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समग्र विकास के लिए 200 करोड़ रूपये नहीं दिया तो इतना हल्ला हो रहा है। इनके कार्यकाल में एजेंट जाता था, कमीशन देता था और यह पैसा निकल जाता था। यह सब हो जाता था। क्या पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ नहीं दिये? माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी यहां बैठे हुए हैं। पिछले साल यह समग्र विकास का पैसा दिया गया था। अगर इस साल इस राशि को रोका है तो वह कोरोनाकाल के कारण रोका है। केवल इस समस्या के कारण रोका है कि प्रदेश में ऐसी कोई समस्या न आ जाये जिसके कारण यह पैसा रोका है। हम नाली, सड़क रोक सकते हैं यह हमारे हाथ में है। यह पैसा खर्च हो जाएगा तो किसी दिन कोई बवाल हो गया, कोविड में ऐसी कोई बड़ी घटना हो गई तो हम कहां से पैसा लाएंगे? हमको पैसा कौन देगा? ये जिम्मेदारी हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों की भी है यह हमारे सत्ता के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। यह मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेदारी है, यह हमारे सारे माननीय मंत्रिगणों की भी है, हम सब की जवाबदारी है कि हम प्रदेश के पैसे को किस तरह उपयोग करें? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा पैसा देने में सख्ती कर रहे हैं वह थोड़ी जांच कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है? यह क्यों? क्योंकि पहले इस तरह की तकलीफ नहीं होती थी। पहले बड़ी आसानी से पैसा निकल जाता था। हुर्झ। यह सब बातें हैं। मैं उस बात पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, न कोई ऐसा विरोधाभास है और न किसी के प्रति दुर्भावना रखता हूँ। मेरा सिर्फ यह कहना है कि आपकी सरकार चलाने की जो सोच थी, आपने 15 साल

सरकार चलाई, आप चाऊर वाले बाबा से सूट बूट वाले बाबा कैसे बने, यह प्रदेश की जनता ने 15 साल में देख लिया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को लिया है कि मुझे छत्तीसगढ़ को अच्छा बनाना है, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास में काम करना है, किसानों के लिए काम करना है। नरवा, गरवा, घुर्वा, बाड़ी एक नारा है। जब हमारी सरकार ने यह नारा दिया तो सबको हंसी आ रही थी कि यह क्या है? नरवा, गरवा, घुर्वा, बाड़ी ये सब क्या चीजे हैं? जब उसके बाद धीरेधीरे गौठान बनने लगा, जब हम छत्तीसगढ़ के नालों, नदियों, पानी का संरक्षण करने लगे। हम ग्रामीण विकास में बाड़ी बनाने, वर्मी कम्पोस्ट की खाद बनाने की बात कर रहे थे। जब हम ये सारी बातें कर रहे थे, उस वक्त ये सब मजाक लग रहा था। आज छत्तीसगढ़ में 6 हजार गौठानों बन गई हैं। जो हमारा 10 गौठानों बनाने का लक्ष्य है, वह जरूर पूरा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में 6 हजार गौठानों में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। जब गौठानों बन रही थीं, मुझे याद है कि तब आपने कहा था कि हमारे पैसा नहीं है, गौठानों को पैसा नहीं दे रहे हैं, हम 10 हजार रुपये उनके लिए पैसा भी दे रहे हैं। सरकार के द्वारा किसी चीज का, पैसे का व्यर्थ उपयोग नहीं किया जा रहा है। आपको रेत खदान दिखती है, शराब की दुकान दिखती है, आपको ये सब बातें दिखती हैं, आपको किसान, गरीब, कुपोषण, बच्चों की बातें नहीं दिखती। माननीय सभापति महोदय, आप समय देंगे तो मैं और भी बोलूँ।

सभापति महोदय :- दो मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में इंगिलिश मीडियम स्कूल खोले गये हैं। इंगिलिश मीडियम स्कूल की परिकल्पना क्या थी? क्यों इंगिलिश मीडियम स्कूल खोले गये हैं? क्योंकि यह स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ की जरूरत थी। उन स्कूलों को खोलने के पीछे फोकस क्या था? उस स्कूल को खोलने के पीछे गरीब बच्चे को फोकस में रखा गया है। झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके माता-पिता का सपना था कि उनका बच्चा भी इंगिलिश मीडियम स्कूल में पढ़े। इसके लिए प्रदेश में 52 इंगिलिश मीडियम स्कूल खोले गये हैं। उनको उन्नयन किया गया है। उनके लिए आर्थिक मदद की गई, उन स्कूलों में अधोसंरचना का विकास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, सभी मंत्रियों ने पूरे प्रदेश में इन स्कूलों का उद्घाटन किया। नरवा, गरवा, घुर्वा, बाड़ी से हम ग्रामीण व्यवस्था को अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। जवाहर सेतु योजना में हम लगभग 200 पुल पुलिया का निर्माण कर रहे हैं। हम बिलासपुर में भी काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा कहने का मतलब यही है कि हमारी सरकार जो काम कर रही है, जिसमें पैसा खर्च कर रही है, उधार भी मांग रही है, ऋण भी ले रही है तो वह गरीब की भलाई के लिए ले रही है, फिजुलखर्चों के लिए नहीं ले रही है। आपकी सोच अलग थी, आपने डेवलपमेंट अलग तरीके की सोच से किया। हमारी सोच अलग है, हम अपनी सोच के हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए मैं सभी

से निवेदन करता हूं कि इस अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पास किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष का अंतिम बजट तृतीय अनुपूरक के रूप में कुल पांच सौ पांच करोड़, सात सौ रुपये का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है कि आपकी परिसम्पत्तियों का क्या निर्माण होगा ? उसके लिए केवल 300 रुपये पूंजीगत व्यय और बाकी सबको राजस्व व्यय में रखे हैं। राजस्व व्यय मतलब पेंशन, पारिवारिक पेंशन, तनख्वाह है, केवल इन्हीं में राजस्व व्यय होगा। मुझे यह लग रहा था कि इस वित्तीय वर्ष का अंतिम बजट है, भले हमारा सप्लीमेन्ट्री का बजट का आकार बढ़ जाये, लेकिन इस वर्ष की जो देनगी है, शायद इस बजट के माध्यम से पूरी हो जाये। लेकिन इस बजट को देखने से ये समझ में आया दीन हीन सरकार की दीनता को प्रदर्शित करने वाला यह बजट है, जिसमें एक पैसे का निर्माण कार्य और प्रदेश के आम लोगों के लिये इसमें जो लोककल्याणकारी कार्य और योजनाओं की बात करें जिसके माध्यम से संचालित हो जाये और इसलिए भी इस बजट की आवश्यकता नहीं थी कि जो आपके पास में है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। आपने पिछली बार धान खरीदी की और धान खरीदी करने के बाद उसकी जो कस्टम मीलिंग थी और कस्टम मीलिंग होने के बाद में जो चावल बनाकर उसे चावल के रूप में आपको बेचना था लेकिन आप कस्टम मीलिंग नहीं करवा पाए। आपका 500 करोड़ रुपये का बजट है और 1200-1300 करोड़ रुपये का धान आपने सङ्ग दिया, यह आपकी सरकार की जो नीति और नीयत है, नहीं तो मुझे लगता है कि धान का केवल कस्टम मीलिंग करा देते, धान को सङ्गने से बचा लेते और यदि धान को सङ्गने से बचा लेते तो इस बजट की इनको आवश्यकता ही नहीं थी इसलिये यह बजट इनको क्यों दिया जाये ? किसानों से खरीदकर के गरीब जनता के खून और पसीने का पैसा, जिनके ऊपर आप कर्जा बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में आप ऐसे अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं, अन्न का अपमान कर रहे हैं और उस अन्न का अपमान करने वाले का यही हश्श होगा और यही स्थिति बनेगी। बजट में हम सोच रहे थे कि खासकर गरीबों के लिये होगा, पिछली बार मेरे पास बहुत सारे लोग आये और बोले कि ऐसा पांप का कनेक्शन लगवाना है, क्या करना है। मैंने कहा कि रेगुलर कनेक्शन के लिये आप पैसा पटा दीजिए। किसी ने 50 हजार रुपए की राशि पटायी, किसी ने 60 हजार रुपए की राशि पटायी और 50 हजार, 60 हजार की राशि पटाने के बाद अब जब बिजली ऑफिस में वे जा रहे हैं और बिजली ऑफिस में जाकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि हमको पांप का रेगुलर कनेक्शन कब मिलेगा ? तब वे बता रहे हैं कि 40 हजार पैंडिंग है, आपको कनेक्शन मिलने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो यह होता कि हम उनको पैसे पटवाने के लिये नहीं बोलते।

समय :

5:07 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इसके लिये किसको जवाबदार बोलें ? एक समय वह सरकार थी कि आप जैसे ही पैसा पटाये, पंप का कनेक्शन लग गया। आज गरीब आदमी अपना धान बेचकर के बाकी चीजों पर कटौती करके पंप के कनेक्शन के लिये पैसे दिये और पंप का कनेक्शन का पैसा पटाने के बाद में आज उनके खेतों में सिंचाई का जो कनेक्शन मिलना चाहिए उससे वे वंचित हो रहे हैं। आपने इसमें उसको जोड़ दिया होता। कुछ पैसा बजट में रख दिया होता ताकि जिन्होंने पैसा पटाया हुआ है, उनको पंपों का कनेक्शन मिल जाता और उनको कम से कम इस बात की खुशी होती कि मैंने यदि पैसा पटाया है तो मुझे पंप का कनेक्शन मिल गया है। आपने उसका भी प्रावधान नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिये है ? प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है, वह वास्तविक में गरीब आदमी के लिये है कि जिनके सिर के ऊपर में छत नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि सन् 2022 तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके सिर के ऊपर में छत न हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर साल लक्ष्य निर्धारित होता है लेकिन लक्ष्य निर्धारित होने के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार की इतनी कूबत नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के मैचिंग ग्रांट वह दे सके और जो लक्ष्य उनको मिला है, उस लक्ष्य को प्राप्त करके उनके लिये मकान बनवा सके। आज आपकी यह हैसियत नहीं है।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- नेता जी, 15-15 लाख का भी बोले थे वह भी पूरा नहीं हुआ, कब होगा ? क्या सन् 2022 में होगा ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख की भी बात की थी कि काला धन लायेंगे, वह कब आयेगा?

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उसको कहीं पर दिखायेंगे ? क्या आपके पास कुछ है ? यदि आपके पास कुछ है तो मुझे दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जो 15 लाख रूपए देने का कहा है, वह मुझे दे दीजिए। आप कालेधन का भी दे दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- पूरा बोले थे, वीडियो है। आपके घोषणापत्र में काले धन वाला है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप कृपया बैठ जाईए। इस सरकार की इतनी भी हैसियत नहीं है कि गरीबों के जो आवास हैं उसका मैचिंग ग्रांट देकर उसके आवास बना सकें। आवास बनाकर जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति ऐसा न हो कि जिनके पास में मकान नहीं है, उनके पक्के के मकान बन जाएं। उसको शामिल कर दिये होते, यदि शामिल कर दिये होते तो उन गरीब आदमियों का भला होता। यह प्रधानमंत्री आवास आपके लिये नहीं है, यह हमारे लिये नहीं है, यह

छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिये है और यह गरीब लोगों को मिल जाता तो गरीब आपको धन्यवाद देते ।

श्री अमरजीत भगत :- नेताजी, अगर दिल्ली वाले थोड़ा-बहुत भी आपकी सुनते हों तो छत्तीसगढ़ के ऊपर कृपा कीजिए, दिल्ली से जो लेनदारी है, आप कभी-कभी जाते हों तो बोला कीजिए कि छत्तीसगढ़ की जी.एस.टी. और अन्य लेनदारी दे दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- छत्तीसगढ़ के ऊपर क्या कृपा है उसको आज नहीं बता रहा हूं, उसको परसों बताऊंगा कि आपके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने क्या कृपा की है।

श्री अमरजीत भगत :- प्रधानमंत्री जी ने तो गला घोंट दिया है । छत्तीसगढ़ का गला घोंट दिया । हमको केन्द्र से जो पैसा मिलना है, वह नहीं मिल पा रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी थी और 29 जनवरी को धान खरीदी बंद कर दी गई । किसान लेजाकर वहां धान रखे हुए हैं, उनके धान की खरीदी नहीं हुई । कहा गया कि हम दो दिन बाद धान खरीदी करेंगे । एक लाख किसानों के धान की खरीदी नहीं हुई है, आज भी वे किसान देख रहे हैं कि जब सरकार घोषणा करेगी तो हमारे धान की खरीदी हो जाएगी । ये गिरदावरी का जो सिस्टम अपनाया गया है उसमें पहले तो रकबा की कटौती की गई और उसके बाद गिरदावरी की गई तो 80 लाख हेक्टेयर किसानों के रकबे की कटौती कर दी गई । पिछली बार किसानों ने जो धान बेचा था उस धान में कहीं पर इन्होंने उसको मक्का लिख दिया । मौखिक निर्देश के तहत सब पटवारियों को टारगेट दिया गया । कलेक्टर को टारगेट दिया गया कि आप रकबा में कटौती करने के नाम पर पिछली बार जिन खेतों में धान की खरीदी हुई थी, उसमें इस बार कटौती कर दी गई । यह सरकार की नीयत है ।

श्री अमरजीत भगत :- नेताजी, मेरे पास रिकॉर्ड है । आप जो बोल रहे हों, आप जितना भी बोल रहे हों हमको एक अंक भी नहीं छू पाए हैं । हमारा स्टार्टिंग ही 80 लाख मेट्रिक टन से हुआ है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों की बात हो रही थी। हमें इस बात का गर्व है कि हम किसान हैं और हमने धान बेचा है । आपने जो होर्डिंग लगाकर रखा है । हमें तो इस बात का गर्व है कि हम धरतीपुत्र हैं, माटीपुत्र हैं और हम किसान हैं । हां हमने धान बेचा है लेकिन हमने नदियों को नहीं बेचा है, रेत को नहीं बेचा है । आज अवैध उत्खनन के बारे में पुलिस से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि यह हमारी जवाबदारी नहीं है, यह माइनिंग की जवाबदारी है । जब माइनिंग विभाग में फोन किया जाता है तो वे कहते हैं कि जब वहां पर गाड़ी खड़ी रहे तब हमें फोन करना । जब आम आदमी रखवाली करेगा तो आपके माइनिंग विभाग के अधिकारियों की ज़रूरत क्या है । आपकी पुलिस की ज़रूरत क्या है । जो सरकार की परिसम्पत्ति है उसकी चोरी हो जाए और नज़रों में चोरी होने के बाद भी विभाग के कान में जूँ नहीं रँग रही है । शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है । क्यों नहीं

हो रही है ? पिछली बार जांजगीर एस.डी.एम. का मामला आया था । अभी बीच में तहसीलदार का मामला आया है । जब वहां पर अधिकारियों के साथ रेत माफियाओं द्वारा मारपीट की जा रही है । जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट की जा रही है । आखिर आप इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं । आप देख रहे हैं कि भू-माफियाओं द्वारा किस प्रकार से कीमती जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है । वहां पर वर्षों से गरीब काबिज हैं, उनसे कहा जाता है कि इतना पैसा देना पड़ेगा अगर नहीं दे सकते तो इसकी नीलामी होगी । प्राइम लोकेशन की जमीनों को हथियानों के लिए लोग किस तरह से ललचाये बैठे हैं । यह जो तमाशा चल रहा है, मुख्यमंत्री जी इन सब बातों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । आखिर गरीब आदमी कहां जाए । आपने पट्टे देने की बात कही, पट्टा देना तो छोड़ दीजिए । आप प्रधानमंत्री जी के विषय में परिसम्पत्तियों की बात कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ में आपकी क्या स्थिति है ? बदतुर स्थिति है, छत्तीसगढ़ में अब बेचने को कुछ भी नहीं बचा है । मैं कल तालाब में धूमने के लिए गया था और मरीन ड्राइव तालाब बहुत सुंदर तालाब है । मैं देखा कि वहां चारों तरफ दुकान बन रहे हैं और चारों तरफ दुकान बन जायेंगे तो एक प्रकार से उसे लोगों के वॉकिंग के लिए बनाया गया है । जब वॉकिंग के लिए बनाया गया है तो चारों तरफ दुकान बन जायेंगे तो वहां पर प्रेशर बढ़ेगा, वहां पर लोग जायेंगे और उसके बाद धूमने के लिए आपके पास कौन सी जगह बचेगी? मतलब तालाब को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । उसे भी यह सरकार बेच खायेगी । आज जिस प्रकार से परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में आप लोग भी जा रहे हैं और हम लोग भी जाते हैं । जाने के बाद हम लोग स्थितियां देखते हैं कि कहीं पर भी पता नहीं लगता कि शराब की दुकान हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में जिस रास्ते पर जायेंगे तो आपको शहर के बाहर में मेला लगा हुआ, गांव के बाहर में मेला लगा हुआ दिखाई देगा । आपको पहले ही समझ में आ जायेगा कि कौन सा मंदिर यहां पर आने वाला है । इस छत्तीसगढ़ को आप किधर झोंकना चाहते हैं? ट्रेफिक जाम हो रहा है और इस प्रकार से यहां अवैध दारू की स्थिति बनी हुई है । आज पूरा पैसा मुझे लगता है कि शराब के माध्यम से सरकार उसे वापस लाने के लिए रणनीति बनाकर काम कर रही है । आप पूरे हिन्दुस्तान में चले जाइए । आपको ऐसा कहीं भी जगमगाते हुए कहीं नहीं दिखेगा । आप demoralise करने के बजाए उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपके दारू की बिक्री बढ़े । अवैध दारू की बिक्री बढ़े । जो वी.आई.पी. रोड है, उसके बारे में आपको बताया गया । रोज समाचार पत्रों में छप रहा है । शैलेश पाण्डे ने जिन-जिन पब के बारे में बताया था, हुक्का बार के बारे में बताया था, शैलेश जी वे आज भी बंद नहीं हुए हैं । आज भी बिलासपुर से लेकर आपके यहां चल रहे हैं । रायपुर से लेकर सारे प्रदेश में चल रहे हैं । आखिर यहां पर पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज है या नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस प्रदेश में स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसमें वास्तव में गहन चिंतन करने की आवश्यकता है । खासकर के आज के जो युवा पीढ़ी हैं,

उस युवा पीढ़ी को हम कैसे बचा सकें, उसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकें, इस बात का चिंतन करने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं पूरे बजट को देख रहा था। उसमें एक पुलिया की बात आयी है और एक जशपुर की बात आयी है और उसके बाद जो आपका सारा बजट है, वास्तव में कहें तो बजट में बोलने के लिए कुछ नहीं है। बजट के बाहर आप घंटों बोल लें, लेकिन बजट में बोलने के लिए आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, जिसे आप दिखा सकें और दिखाकर आप यह बता सकें। मैं समझता हूं कि यदि आप इसमें कुछ चीजों का उल्लेख किये होते तो निश्चित रूप से उससे इस प्रदेश के लोगों का, गरीब लोगों का, वनवासी लोगों का, आम लोगों का लाभ होता, लेकिन यह बजट उनके हित में नहीं है। इसलिए मैं उसका विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय अनुपूरक अनुमान अनुदान की मांग पर माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय मोहन मरकाम जी, डॉ. रमन सिंह जी, डॉ. लक्ष्मी धुव जी, सौरभ सिंह जी, अरुण वोरा जी, केशव प्रसाद चन्द्रा जी, शैलेश पाण्डे जी और अंत में नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात कही। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरूआत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से शुरू हुई और जिसमें कहा गया कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ की क्षतिपूर्ति हेतु 1600 लाख को सही माने या इस 1600 करोड़ को सही माने। इस आपत्ति के साथ शुरू हुई और बहुत तत्ख अंदाज में अजय चन्द्राकर जी, सौरभ सिंह जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने अपनी बातें कहीं। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी गलती हुई। रमन सिंह जी ने ब्लंडर कहा। इतनी बड़ी चूक। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा पुरानी बातों की याद दिलाना चाहता हूं। टंकण त्रुटि की आपकी तो सरकारी ही थी। आपने 10 हजार करोड़ का टंकण त्रुटि किया था। वर्ष 2015-16 के द्वितीय अनुपूरक ऊर्जा विभाग, रमन सिंह जी उस समय आप ही का विभाग था। उस समय उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर के ऊर्जा विकास निधि के अंतरण हेतु 57,74,50,958 लाख रूपये था तो कितने का अंतर हो गया। 54,57,50,958 लाख और फिर नीचे मैं लिखते हैं कि इस प्रकार के प्रयोजन हेतु 57,74,50,958 रूपये के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। यह ऊर्जा विभाग का 2015-16 का है। माननीय अजय जी, आप बहुत चीख-चीखकर बोल रहे थे। आप ही के विभाग में 2015-16 के प्रथम अनुपूरक में मद क्रमांक 35 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 2480.37 लाख था और बाद में आपने क्या लिखा? इस प्रकार इस प्रयोजन हेतु 24 करोड़, 80 लाख, 37 हजार लाख के अनुपूरक के अनुदान की आवश्यकता है। यह आप ही का विभाग था और जिन्होंने ब्लंडर कहा, उनके विभाग का भी था। यह कॉपी है, आप निकलवा लीजिए। आपके पास पुराने दस्तावेज होंगे। इसके लिए इतना हाय-तौबा मचा लिए, जबकि उसमें आलरेडी लिखा हुआ था कि 1600 लाख, लेकिन खूब हल्ला किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी बार-बार कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। जब आपकी सरकार बनी थी, तब आपने 2004 में कुल बजट का 18 प्रतिशत लोन लिया था। 2005 में कुल बजट का 8 प्रतिशत लोन लिया, 2006 में 8 प्रतिशत लोन लिया, 2007 में 6 प्रतिशत और उसके बाद जो आंकड़े हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। 2015 में 9 परसेंट लोन, 2016-17 में 6 परसेंट लोन और 2017-18 में बजट का 11 प्रतिशत लोन लिया और जिस साल चुनाव था, 1 अप्रैल, 2018 से 17 दिसम्बर तक आपने बजट का 16 परसेंट लोन लिया था। इतने के बाद भी हमने जो लोन लिया है, वह 12 प्रतिशत है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 9 प्रतिशत तक लोन लिया है। मार्च खत्म होते-होते जरूर यह आंकड़े बढ़ेंगे, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन आपने जो 16 परसेंट छोड़ा था, उस आंकड़े को हमने नहीं छुआ है। जी.एस.डी.पी. की बात करें तो जी.एस.डी.पी. में आपने 2004-05 में 19 परसेंट लोन लिया था। 2005-06 में आपने 19 परसेंट लोन लिया था, 2006-07 में 16 परसेंट लिया, 2007-08 में 13 परसेंट लोन लिया और 2015-16 में 12 परसेंट, 2016-17 में 12 परसेंट, 2017-18 में 14 परसेंट लोन लिया और जब आपकी सरकार गई, तब आपने 17 परसेंट लोन लिया। इसमें हमारी वृद्धि जरूर हुई है, वह 19 परसेंट हुआ है, लेकिन आपने जो छोड़ा है, उसी के आसपास हमारे बजट का आकार रहा है, लोन का आकार रहा है। फिर असत्य बोलने में तो आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। कल प्रश्न की बात हो रही थी, वे प्रश्न पूछ ही नहीं पाये। शिवरतन जी उलझा गए कि मैं अपना प्रश्न पूछूँ या नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न पूछूँ? दोनों में अंतर था, तिथि एक थी, लेकिन एक प्रश्न में से था और दूसरे प्रश्न में बो था। आपने उस तारीख तक, उस तारीख को कितना लोन था और जब हमारी सरकार बनी, उस तारीख से कितना लोन था और उस आंकड़े में जो अंतर आया, वह 36 हजार करोड़ और दूसरा 43 हजार करोड़ जो भी था, लेकिन लोगों को किस प्रकार से गुमराह करते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष जी अपने भाषण को उठाकर देख लें, अभी तत्काल भाषण में कहा कि रकबा में कटौती की गयी, कितना? 80 लाख हेक्टेयर की कटौती की कर दी। अभी निकालकर देख लीजिए, मैं ध्यान से भाषण सुन रहा था।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- 80 हजार बोला।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- टंकण त्रुटि।

श्री भूपेश बघेल :- वह उसी प्रकार से स्लीप हो रहा है जैसे रमन सिंह जी की जुबान में स्लीप हो गया। मुंडे जी को श्रद्धांजलि दे गये थे, नरेन्द्र मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दिये। (हंसी) उसी प्रकार से 80 हजार को आप 80 लाख बता रहे हैं तो स्लीप ऑफ टर्न हो गया। अब वह इतना बड़ा मुद्दा बना दिये कि इसको रोका जाये, ये किया जाये, वह किया जाये। अजय जी, आप नैतिकता की बात कम से कम मत करें। आप हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ। इधर वीडियो वायरल हुआ, आपने उसका क्या किया? एक छोटे से कार्यकर्ता का वीडियो है, पता नहीं, सच है,

झूठ है, जो भी हो, जांच का विषय हो सकता है। शिकायत कर लीजिए, जांच हो जायेगी, कार्रवाई होगी। लेकिन आपने तो प्रत्याशी खरीद लिया, प्रत्याशियों का सौदा किया। (शेम-शेम की आवाज) और अब तो आपने दुकान पूरे देश भर में बाजार खोल दिया। विधायकों को खरीद लो, सरकार गिरा दो। (शेम-शेम की आवाज) रोज स्थिति है, आपने प्रजातंत्र को लूटने का बाजार बना दिया। जिस प्रजातंत्र की दुहाई देते थे, इसलिए नैतिकता की बात मत करिये। चलिये बोलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान जी, छत्तीसगढ़ में खरीदने की शुरुआत करने वाली सरकार तो आपकी रही है। आप भी उस सरकार में मंत्री थे, जब 12 विधायकों को खरीदा गया था। आप भी मंत्री थे।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही कहा। हम लोग उसका 15 साल भोगे। (हंसी) (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) और उसकी मित्रता अभी जब मरवाही का उपचुनाव हो रहा था ना तब भी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी उस दोस्ती का निर्वहन किये, उसको चुनाव लड़ने देना था, हमने दो साल में क्या किया, आप उसका हिसाब-किताब मांग रहे हैं। आप 15 साल में एक व्यक्ति की जाति तय नहीं कर पाये थे और उसके बाद भी हृद तो तब हो गयी जब कहते हैं कि उनको चुनाव लड़ने देना था। मित्रता कितनी गहरी है, क्योंकि वे जानते हैं, उसी के भरोसे, उसका विरोध करके पहली बार सरकार में आये और उसके दो बार उसके साथ सहयोग करके सरकार में आये थे और ये मित्रता आप निभा रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग हेलीकॉप्टर चढ़ लिये हैं तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। भाई, हम लोगों को तो अधिकार ही नहीं है। वह करने का अधिकार तो केवल आपको है, आप हेलीकॉप्टर में उड़ सकते हैं, आप प्लेन में जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। हम लोगों को तो पैदल ही चलना चाहिए। अजय जी, लेकिन मैं आंकड़ा देना चाहूँगा। 2016 में आपने हेलीकॉप्टर का किराया 11 करोड़ में लिया था, 2017 में 11 करोड़ 96 लाख का लिया था, 2018 में 11 करोड़ 58 लाख का लिया था और हमने 2019 में 14 करोड़ 40 लाख का लिया है, 2020 में 8 करोड़ 21 लाख रूपये का लिया और अभी 2021 में 1 करोड़ 30 लाख रूपये का लिया। इतना बड़ा मुद्रदा बना रहे हैं। आप न नया प्लेन ले पाये, न नया हेलीकॉप्टर ले पाये, वह कंडम पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कैसे करके चला रहे हैं, प्लेन तो चलने की स्थिति में नहीं है।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- 15 साल में कंडम करके रख दिये थे। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट। आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि किया जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में भी बात हुई और मैंने रमन सिंह जी के मुंह से सुना। 10 साल वित्त मंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अनुपूरक में आप उसको भी कम से कम रख देते। ये पहले से ही प्रावधानित हैं तो उसको फिर से क्यों रखें और मैं आपको इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को आश्वस्त करता हूं, हमने 21 मई, 20 अगस्त, 1 नंबरबर को बोनस दिया और चौथा किस्त इस वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले सारे किसानों को मिल जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) आपने जो किया, आपने किसानों से वादा किया था। आपने किसानों से कर्जमाफी का भी वादा किया था, हर साल बोनस देने का वाद किया, लेकिन आप नहीं दे पाये। आप हर बार झूठ बोलते रहे, किसानों को धोखा देते रहे। आपके समय में कितना धान का खरीदी होती थी ? कितने किसानों का धान खरीदा जाता था ? आखिरी साल सन् 2016-17 में 15 लाख किसानों का धान खरीदा गया। जब रविन्द्र चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थे, आप उनका हर बार का भाषण उठाकर देख लीजिये, नियम 139 की चर्चा में देख लीजिये, वह कहते थे कि कृषि आकार सिकुड़ रहा है, कृषि जोत कम हो रहा है। आपके शासनकाल में लगातार एक लाख, दो लाख हैक्टेयर तक की कमी होती रही। लेकिन हमारे शासनकाल में 15 लाख किसानों से बढ़कर 21 लाख किसानों ने धान बोया और रक्बा 28 लाख हैक्टेयर तक बढ़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। यही बात दिल्ली के धरने में बैठे किसान मांग कर रहे हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रही है, वैसी खरीदी की जाये। (मेजों की थपथपाहट) बृजमोहन जी ध्यानाकर्षण के समय पूछ रहे थे कि कितने हैक्टेयर में किसान धान बोये ? जितने लोग धान बोये उतने का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके हिसाब से धान खरीदी हुई। नेता प्रतिपक्ष बार-बार एक लाख हैक्टेयर की कमी के बारे में कहते हैं। आपके समय में तो 15 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और 12 लाख किसान धान बेचा था। हमारे समय में 21 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और साढ़े बीस लाख किसानों ने धान बेचा। यदि एक लाख किसान धान नहीं बेच, तो नहीं बेचे। आपके समय के आकड़े निकालकर देख लीजिये। जिस साल जितना रजिस्ट्रेशन होता है, उतनी खरीदी होती है। दूसरी बात, लोग कोदो कुटकी बोते हैं, मक्का भी बोते हैं, सोयाबीन भी बोते हैं, अरहर भी बोते हैं। उसके साथ-साथ गन्ना, सब्जी, फल, सारा चीज तो बोते हैं, खाली धान भर नहीं बोते। ये सारे आंकड़े हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और आंकड़ा देना चाहूंगा कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ के साथ किस प्रकार भेदभाव कर रही है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, यू.पी.ए. की सरकार थी और आप मुख्यमंत्री थे। केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी और आप यहां भी मुख्यमंत्री थे और जब आज केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार है और यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो स्थिति क्या है, वह आकड़े बतायेंगे। वर्ष 2004-05 केन्द्रीय बजट में 1,962 करोड़ था और आपको 1,876 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई, 86 करोड़ कम प्राप्त हुई। वर्ष 2005-06 में केन्द्रीय बजट में 2,522 करोड़ का प्रावधान था

और 2,508 करोड़ मिला, केवल 14 करोड़ का अंतर रहा। वर्ष 2006-07 में केन्द्रीय बजट में 3,015 करोड़ का प्रावधान था लेकिन आपको 2,199 करोड़ मिला था, मतलब 184 करोड़ ज्यादा मिला। वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय बजट में 3,786 करोड़ का प्रावधान था और 4,035 करोड़ मिला था, मतलब जितना केन्द्रीय बजट में था, उससे 249 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ को ज्यादा मिला। वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय बजट में 4,369 करोड़ का प्रावधान था और आपको 4,381 करोड़ मिला, इस वर्ष भी आपको 12 करोड़ अधिक ही मिला। वर्ष 2010-11 में केन्द्रीय बजट में 5,071 करोड़ का प्रावधान था और आपको 5,425, मतलब 255 करोड़ अधिक मिला। वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय बजट में 6,500 रूपये का प्रावधान था, उस समय निश्चित रूप से 200 करोड़ रूपये कम मिले। वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय बजट में 7,472 करोड़ का प्रावधान था और उस समय 7,412 करोड़ मिला। वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय बजट में 8,500 करोड़ का प्रावधान था और उसके बाद वर्ष 7,800 करोड़। उसके बाद वर्ष 2014-15 में जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी तब क्या स्थिति थी ? तब केन्द्रीय बजट में 9467 करोड़ का प्रावधान था और 8,386 करोड़ मिला, रमन सिंह जी, आपके साथ भी 1,000 करोड़ रूपये चूना लगाने का काम किया गया। उसके बाद वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय बजट में 16,212 करोड़ रूपये का प्रावधान था, लेकिन उस समय आपको 15,716 करोड़ मिला, उस समय भी 497 करोड़ का चूना लगाया। लेकिन वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय बजट में 1,165 करोड़ रूपये अधिक मिला, उसी प्रकार से वर्ष 2017-18 में 113 करोड़ कम मिला। 2018 के बाद 2019-20 में आ जाईये। वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय बजट में 26,014 करोड़ रूपया प्रावधानित था और हमको मिला केवल 20206 करोड़। मतलब एक ही साल में 5808 करोड़ रूपये का चूना। कुल मिलाकर आपके एन.डी.ए. शासन में अब तक के जब इधर हमारी सरकार बनी तब से 14073 करोड़ रूपये का चूना लगाये हैं। इतनी कमी। अब ये 14073 करोड़ हमको दिला दीजिए हुजूर तो हमको कहीं पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो कह रहे हैं वह सारे काम हम करेंगे। (मेंजों की थपथपाहट) 14 हजार करोड़ रूपये छोटी-मोटी राशि नहीं होती। ये स्थिति है और ये भेदभाव भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कर रही है। अभी मैंने पत्र लिखा कि आपने कहा कि पेट्रोल-डीजल में टैक्स में जो एक्साईज ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया और 4 प्रतिशत सेस लगा दिया गया। तो एक्साईज ड्यूटी का हिस्सा राज्यों को मिलता था। उस दिन नीति आयोग की बैठक थी, उसमें भी मैं बोला लेकिन सेस की जो राशि है वह पूरी राशि भारत सरकार को जायेगी इसका मतलब छत्तीसगढ़ को उसमें भी एक हजार करोड़ रूपये का नुकसान होने वाला है। तो ऐसा लगातार आप इधर कहते रहो कि इस सरकार का वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है और उधर चूना भी लगाते रहो। डॉ. रमन सिंह जी, उसके बावजूद मैंने आंकड़े बताये कि आप जितना लोन लेते थे उस प्रतिशत में ही हम लोन ले रहे हैं, उससे अधिक हम नहीं लिये हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- चूना लगाने की बात उधर से पहले आई।

श्री भूपेश बघेल :- चूना लगाने की बात तो नेता प्रतिपक्ष जी ने की।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- चूना के साथ कल्था भी लगाना चाहिए तब पान खाने में मजा आयेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक हैं इसमें 300 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप जो राजस्व की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें हमने मुख्य बजट, प्रथम अनुपूरक, द्वितीय अनुपूरक में पर्याप्त प्रावधान कर दिये हैं। आप जिस कवर्धा के पुल के बारे में कह रहे थे, पी.डब्ल्यू.डी. के पास पैसा है, केवल हेड नहीं था इसलिए हेड खोलना पड़ा है। हमारे पास विकास कार्य के लिए पूरा प्रावधान है और इसमें हमने केवल उसी को रखा है जो बहुत आवश्यक है। दो दिन बाद मुख्य बजट रखा जायेगा उसमें सारी बातें आयेंगी लेकिन अभी जो प्रावधानित किया गया है वह जितना आवश्यक था वह या हेड खोलना है वही प्रावधानित किया गया है। इसलिए मैं पूरे सदन से चाहूंगा कि ये जो अनुपूरक मांग है उसे स्वीकृत करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या -6, 7, 10, 24, 41, 47, 58, 64 एवं 71 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर पांच सौ पांच करोड़, सात सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :

5:39 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021)

श्री भूपेश बघेल:- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) का पुरःस्थापन करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 5 बजकर 42 मिनट पर विधान सभा गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2021 (फाल्गुन 6 शक् संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई.)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छ.ग.)

प्रमुख सचिव

दिनांक : 24 फरवरी, 2021

छत्तीसगढ़ विधान सभा